खण्ड-326, अंक-2
सोमवार, 7 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(29 अगस्त, 1977 ई0)

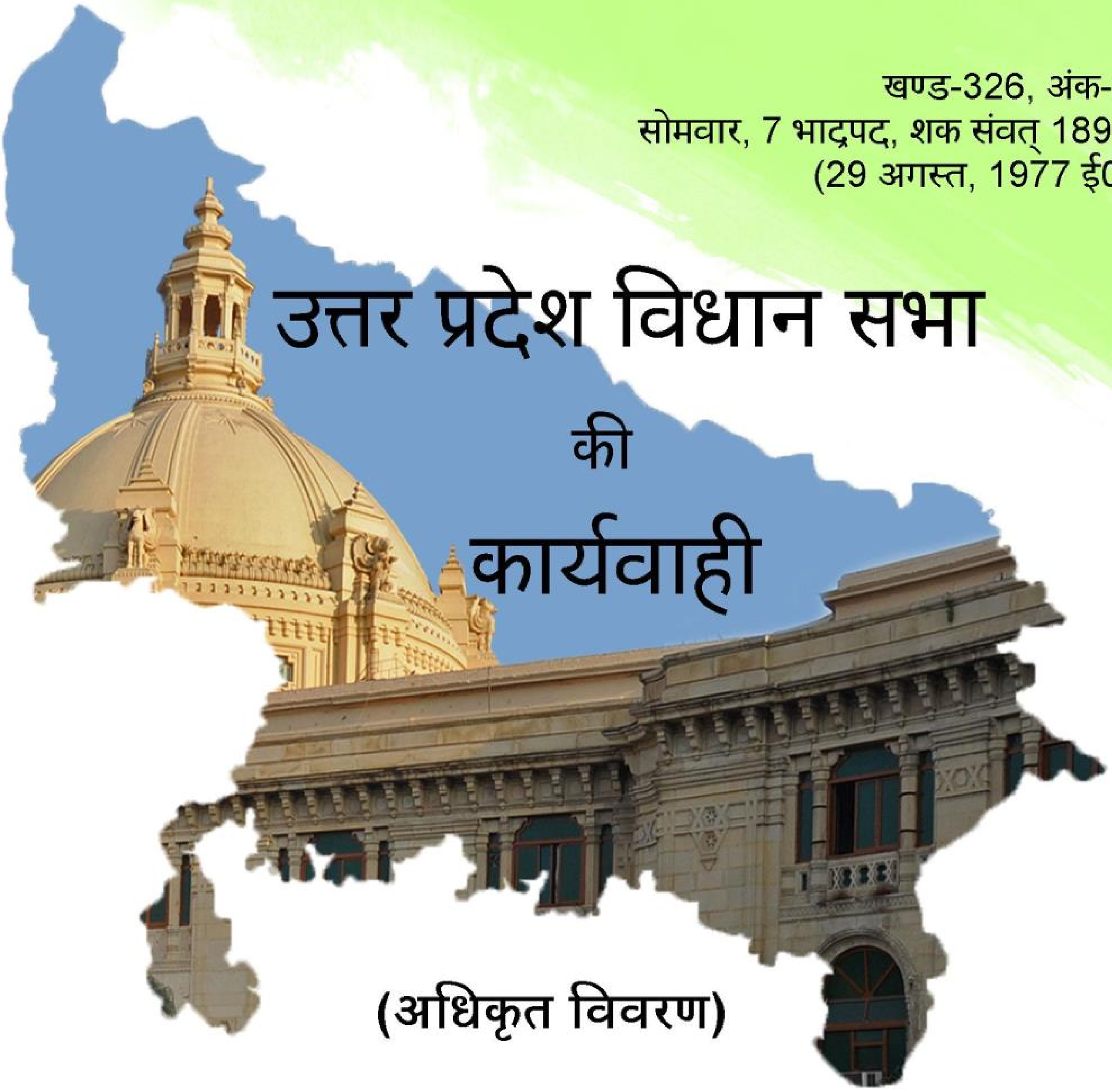

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 326 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	89–93
प्रश्नोत्तर (जारी)	93–103
श्री सुन्दर लाल दीक्षित का सदन से निष्कासन	103–106
प्रश्नोत्तर	106–116
फैजाबाद जिले की प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल की जर्जर इमारतों की छतें गिरने से दो बच्चों की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	116–117
श्री शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते समय एस0 पी0, गोरखपुर द्वारा अशिष्टता का व्यवहार करने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	117–118
कृषि विभाग के सेवा से अलग किए गए कृषि अमीनों एवं चपरासियों द्वारा अनशन के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	118
तहसील हसनपुर, मुरादाबाद में बाढ़ से जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	118–119
यू0 पी0 निवास की समप्रति बिगड़ी हुई हालत तथा वहां के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की असुरक्षा के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	119–121
बजट की गोपनीयता भंग होने के सम्बन्ध में कतिपय मन्त्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	121–124
नेता विरोधी दल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	125
1977–78 के द्वितीय लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	125–130
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977 (स्वीकृत) ..	130–136
1977–78 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	136–180
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	180–181

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 29 अगस्त, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—339

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी,
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भैइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप श्री
कृष्णा राय, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोण्डा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (जिला इटावा)
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
छोटे लाल, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री

फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हसन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्रनाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्खी सिंह श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी , श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण ,श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री रामनरेश यादव तथा गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 29 अगस्त, 1977

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

पशु चिकित्सकों द्वारा अनशन तथा उनकी मांगें

*1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर), श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया) तथा श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या पशुधन एवं सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान भवन के सामने प्रदेश पशुधन-कर्मचारियों का अनशन विगत 25 जून, 1977 से चल रहा है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं, एवं उन्हें पूरा करने में शासन को क्या कठिनाई है?

सहकारिता उप-मन्त्री (श्री मुख्तार अनीस)—

पशु-चिकित्सकों का अनशन, जो 25 जून, 1977 से आरम्भ हुआ वह दिनांक 11 जुलाई, 1977 को समाप्त हो गया।

2—उनकी मांगें निम्नलिखित हैं—

(1) पशु चिकित्सकों को जन चिकित्सकों के समान वेतन-क्रम एवं स्तर दिया जाना।

(2) विकास खण्डों पर नियुक्त पशु-चिकित्सकों का वेतन आहरण विकास खण्ड अधिकारी के स्थान पर जिला पशुधन अधिकारी द्वारा किया जाना।

(3) विभाग में 'वन प्वाइन्ट इन्ट्री'।

(4) विभाग का पुनर्गठन।

(5) रुपए 450—850 के वेतन-क्रम में नियुक्त समस्त पशु-चिकित्सकों को एक ही पदनाम 'पशु-चिकित्सा अधिकारी' दिया जाना।

(6) प्रदेश में नियुक्त सभी जिला पशुधन अधिकारियों को श्रेणी-2 के समान वेतन-क्रम तथा स्तर दिया जाना।

(7) स्नातकोतर भत्ते दिया जाना।

(8) जिन पदों पर प्राइवेट प्रैक्टिस की सुविधा सम्भव नहीं है उन पर नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जाना।

(9) प्राइवेट प्रैक्टिस के नियमों में संशोधन।

उपरोक्त मांगों में से मांग संख्या 1 व 2 शासन द्वारा अस्वीकृत की जा चुकी है जिनका विवरण नीचे दिया हुआ है। मांग संख्या 3 से 9 तक शासन के विचाराधीन है।

उपरोक्त मांगों के अतिरिक्त पशु-चिकित्सक संघ से निम्नलिखित मांगें पहले प्राप्त हुई थीं :—

(1) विकास खण्डों में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिए जाने के बजाय जिला पशुधन अधिकारी को रिपोर्टिंग आफिसर बनाया जाय।

(2) चिकित्सकों को गजेटेड बनाना।

3—पशु-चिकित्सकों के नाम के पहले शब्द डा0 का लिखा जाना।

4—निःशुल्क आवास गृह के बदले मकान किराया भत्ता का दिया जाना।

5—पशु-चिकित्सों को स्थायी किया जाना।

उपरोक्त पहली चार मांगें शासन द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। पशु-चिकित्सकों के 1372 स्थायी पदों में से 641 पदों पर चिकित्सकों का स्थायीकरण हो चुका है। अवशेष 731 में से 383 पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य आरक्षित वर्गों के लिए सुरक्षित हैं और लोक-सेवा आयोग के विचाराधीन है। बाकी 348 पदों का स्थायीकरण स्वास्थ्य परीक्षण और विभागीय परीक्षा में उत्तोर्ण न होने के कारण और सेवा रिकार्ड के सन्तोषजनक न होने के कारण नहीं हुआ है।

जो मांगें शासन द्वारा अस्वीकृत की गयी हैं उनका कारण निम्नवत् है :—

1—पशु-चिकित्सकों को जन-चिकित्सकों के समान वेतन-क्रम एवं स्तर दिया जाना।

इस समय पशु-चिकित्सकों का वेतन-मान रुपए 450–850 है तथा जन-चिकित्सकों का वेतन-मान रुपए 550–1200 है। चूंकि जन-चिकित्सकों का कार्य बड़ी जिम्मेदारी का है और उनकी ड्यूटियां भी अधिक हैं इस कारण इस मांग को शासन ने अस्वीकृत कर दिया।

2––विकास खण्डों पर नियुक्त पशु-चिकित्सकों का वेतन आहरण विकास खण्ड अधिकारी के स्थान पर जिला पशुधन अधिकारी द्वारा किया जाना।

संघ की इस मांग पर पूर्णरूप से विचार किया गया। शासन की दृष्टि से ब्लाक में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आहरण एवं वितरण की वर्तमान व्यवस्था उचित है। खण्ड विकास अधिकारी विकास खन्ड स्तर पर समन्वय करते हैं और क्षेत्र समिति के प्रति उनका स्पष्ट उत्तरदायित्व है और अन्य विकास अधिकारियों का उनके प्रति उत्तरदायित्व है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मांग संख्या एक तथा दो, जो शासन द्वारा अस्वीकार की जा चुकी हैं, वह कौन से कारण हैं, शासन के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं, जिनके कारण इतनी न्यायोचित मांग जो देखने में लगती हैं उनको अस्वीकार कर दिया गया है ?

श्री मुख्तार अनीस––

मान्यवर, पहली मांग के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस समय पशु चिकित्सकों का वेतन-मान रुपए 450–850 है तथा जन-चिकित्सकों का वेतन-मान रुपए 550–1200 है। चूंकि जन-चिकित्सकों का कार्य बड़ी जिम्मेदारी का है और उनकी ड्यूटियां भी अधिक हैं, इस कारण इस मांग को शासन ने अस्वीकृत कर दिया। दूसरी मांग के सम्बन्ध में, मुझे यह कहना है कि संघ की इस मांग पर पूर्ण रूप से विचार किया गया। शासन की दृष्टि से ब्लाक, में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आहरण एवं वितरण की वर्तमान व्यवस्था उचित है। खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर समन्वय करते हैं और क्षेत्र समिति के प्रति उनका स्पष्ट उत्तरदायित्व है और अन्य विकास अधिकारियों का उनके प्रति उत्तरदायित्व है। उसके जो कर्त्तव्य हैं, उसके अनुसार वेतन दिलाने की व्यवस्था की गयी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

माननीय अध्यक्ष जी, वह कौन सी परिस्थिति है, कौनसी बात है, ये भी गजटेड आफिसर हैं, इनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी की खण्ड विकास अधिकारी की है। उनकी शैक्षिक योग्यता भी उतनी ही है, तो क्या कारण है कि उनको बी0 डी0 ओ0 के साथ अटैच कर दिया गया है और उन्हीं के द्वारा उनको वेतन दिलाने की व्यवस्था की गयी है ?

श्री मुख्तार अनीस––

वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड में सबका समन्वय करते हैं। उन पर अन्य विकास अधिकारियों का उत्तरदायित्व है। इसलिए उन्हीं के द्वारा वेतन दिलाने के बारे में सरकार ने विचार किया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी क्या यह कृपया बतायेंगे कि जो दूसरे डाक्टर्स जैसे मेडिकल प्रैक्टिस वाले लोग हैं, उन्हें भी वेतन मिलता है, वह भी इन्हीं के समकक्ष हैं, उन्हें तो ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर्स हैं, तो जो दूसरे डाक्टर्स को सुविधायें दी जा रही हैं, वह सुविधायें उनको नहीं दी जा रही हैं, क्या कारण है ? अगर वह सुविधायें नहीं दी जा रही हैं, तो क्या उसे दिलाने की फिर से माननीय मन्त्री जी व्यवस्था करेंगे ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह पहले भी बताया जा चुका है कि जन-चिकित्सकों की जिम्मेदारी बहुत है। वह ज्यादा काम करते हैं और उन्हीं के बराबर ये वेतन मांगते हैं। और वह बराबर यह वेतन मांग रहे हैं। इसलिए शासन द्वारा बहुत गम्भीरता से, पूरी तरह से विचार किया जा चुका है। उनको जन-चिकित्सकों के बराबर तनख्वाह देना सम्भव नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जो उत्तर दिया गया है। उसमें यह है कि मांग संख्या 1 व 2 शासन द्वारा अस्वीकृत की जा चुकी हैं। मांग संख्या 3 से 9 तक शासन के विचाराधीन है। तो कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री मुख्तार अनीस—

मांग संख्या 3 से 9 के बारे में शासन विचार कर रहा है। कुछ मांगों के सन्दर्भ में वित्त विभाग से सहमति लेनी पड़ेगी। कुछ इसमें पुनर्गठन के सम्बन्ध में भी विचार करना पड़ेगा। जब इन पर विस्तार से चर्चा हो जायगी, तब मांगों पर विचार कर लिया जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं जानना चाहता हूं कि कितना समय लगेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं है। इसमें वित्त विभाग की राय लेनी पड़ेगी। कहीं-कहीं पर दूसरी जगह से राय लेनी पड़ेगी, हमारी शासन की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है पूरी कार्यवाही बहुत तेजी से चालू की जा रही है।

[सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 1977 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला गन्ना अधिकारियों की प्रतियोगात्मक परीक्षा एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति

*1—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास उत्तर प्रदेश में वर्ष 1974-75 में जिला गन्ना अधिकारियों की नियुक्ति हेतु कोई प्रतियोगात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई थी ? यदि हां, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए कितने पद आरक्षित थ और उनमें से आरक्षण के अनुसार कोई नियुक्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा, 1974 जो आयोग द्वारा दिसम्बर, 1974/ जनवरी, 1975 में आयोजित की गयी थी, में जिला गन्नाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु कोई संस्तुति नहीं की गयी थी क्योंकि उक्त वर्ष में 9 पदों (7 सामान्य तथा 2 अनुसूचित जाति) के लिए भेजा गया अधिवाचन इस कारण निरस्त कर दिया गया था कि वर्ष 1973 की परीक्षा के आधार पर चुने गए अभ्यर्थी उपलब्ध हो गए थे। अत: उक्त परीक्षा के आधार पर कोई नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बिहारी लाल हंस—

अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि इनमें से एक सामान्य पद भरा गया है?

श्रीमती चन्द्रावती—

माननीय सदस्य प्रश्न जरा दोहरा दें।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि सामान्य में से एक पद भर दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्री बिहारी लाल हंस—

माननीया मन्त्री जी, ऐसा है कि परीक्षा हुई थी। वह स्थगित कर दी गई थी। लेकिन बाद में एक आदमी सामान्य में से ले लिया गया। हरिजन 2-4 लड़के थे, उनको मौका देना चाहिए था न कि सामान्य को, क्या यह सत्य है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने अपना इन्चार्ज (चार्ज) नहीं लिया था, इसलिए वह रह गया था।

एक सदस्य—

मान्यवर, स्पष्ट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, आपका कहना यह है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने परीक्षा ली, उनकी संस्तुति को सरकार ने इसलिए अस्वीकार कर दिया कि पहली सूची मौजूद थी, तो माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि उस संस्तुति में से एक जनरल व्यक्ति को ले लिया गया और अनुसूचित जाति में से नहीं लिए गए, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि उन्होंने अपने पद का इन्चार्ज (चार्ज) नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, आपको यह कहना चाहिए कि उनको नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने चार्ज नहीं लिया।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि उनके पास दो लिस्टें हैं। एक पहले बनी है और एक लोक सेवा आयोग से आयी है। तो पहली लिस्ट किस

आधार पर बनायी गयी और दूसरी लिस्ट, जो बनी है, वह किस आधार पर और इन दोनों में अन्तर क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न साफ नहीं है। इसमें लिखा है कि दिसम्बर, 1974, जनवरी, 1975 में लोक सेवा आयोग की परीक्षायें हुई लेकिन माननीय मन्त्री जी का उत्तर है कि उस पर अमल नहीं हुआ और चूंकि 1973 की सूची पहले ही उपलब्ध थी, इसलिए उसके अनुसार किया। आप प्रश्न साफ करें।

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, 1973 में किस आधार पर सूची बनायी गयी है और 1974 की सूची को किस आधार पर रेजेक्ट किया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

1974 के आधार पर नियुक्ति नहीं की गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी आप बतायें कि आधार क्या है 1973 का और 1974 का, इसका उत्तर दें ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, जो आधार अनुसूचित जाति के लिए था तो उन्होंने अपना चार्ज नहीं लिया। उनका स्थान रिक्त है । इस समय 3 अनुसूचित जाति के काम कर रहे हैं और शेष 2 को दुबारा भरने की व्यवस्था कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी प्रश्न यह ह कि 1974 में क्या आधार था परीक्षा का, और 1973 में क्या आधार था ? क्या दोनों का आधार एक था या भिन्न था ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, इसमें सूचना की जरूरत है ।

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 1973 की लिस्ट मौजूद थी तो 1974 की आपने क्यों बनवाई ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी बतलायें कि पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों भेजा गया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

इसमें सूचना की जरूरत है । आप जो स्पष्ट रूप से चाहते हैं, वैसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी आपको इसके लिए तैयार होकर आना चाहिए था। प्रश्न साफ है कि जब 1973 की सूची में आदमी थे और जिनको सेवा में लिया गया तो 1974 में पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों भेजा गया ? प्रश्न साफ है। इसलिए आगे से आपको तैयार होकर आना चाहिए।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जब 1973 की सूची थी तो क्या वह सूची पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एप्रूव्ड थी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो दे चुके हैं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, उत्तर नहीं दे चुके हैं। यदि एप्रूव्ड थी तो 1974 में लोक सेवा आयोग को भेजने का प्रश्न ही नहीं था। 1973 की जो सूची बनी थी, वह पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एप्रूव्ड नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न ठीक है।

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, वर्ष 1973 की प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर 8 जिला गन्ना अधिकारियों के पदों की सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु, अधियाचन, लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। इसमें 6 पद सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 1 पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए तथा 1 पद स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए था।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर आ चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनुमोदन किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि एक की नियुक्ति की गयी, लेकिन उसने चार्ज नहीं लिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का नाम क्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

उनके नाम श्री देवराम सिंह और श्री राम भजन सिंह थे।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1974 की परीक्षा में उत्तीर्ण हरिजनों को आगे अवसर दिया जायगा और यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सन् 1973 में जो चुनाव हुआ था, उसके अभ्यर्थी उपलब्ध हो गए थे, इसलिए उनको ले लिया गया था और दूसरे को निरस्त कर दिया गया था।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जितने सप्लीमेन्टरी सवाल हुए हैं किसी का भी उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

आप टिप्पणी न करके अपना प्रश्न पूछें।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त 1974 की परीक्षा में उत्तीर्ण हरिजन लोगों को आगे नियुक्ति के लिए अवसर दिया जायगा और यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती चन्द्रावती—

उनको लिया जायगा। शीघ्र ही व्यवस्था की जायगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसा उम्मीदवार हुआ, जिसकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए जो उम्र होती है, उससे ज्यादा हो गयी तो क्या उस पर विचार करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती—

रेशियो के हिसाब से ही व्यवस्था की जायगी।

*2—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[3रे सोमवार के लिए स्थगित।]

चीनी मिल बुढ़वल व चीनी मिल बाराबंकी पर बकाया गन्ना मूल्य

*3—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1976-77 में चीनी मिल बुढ़वल व चीनी मिल बाराबंकी पर किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया रह गया है और इस बकाया रकम के भुगतान करने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती चन्द्रावती—

वर्ष 1976–77 में चीनी मिल बुढ़वल व चीनी मिल, बाराबंकी पर क्रमश: 1.09 लाख रुपया तथा 11.56 लाख रुपया किसानों का गन्ना मूल्य 15 जुलाई, 1977 तक बकाया रह गया है। उसके भुगतान हेतु सम्बन्धित चीनी मिल के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे इन बकायों का मार्जिन मनी से शीघ्र भुगतान कराने की व्यवस्था करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बाराबंकी मिल के प्रशासक ने इस वर्ष करीब 10 हजार बोरियां, बगैर बैंक को प्लेज किए बेच दिया और मिल के इन्तजाम में खर्च किया। इससे किसानों का लाखों रुपया रह गया। प्रशासक ने जो अनियमित कार्य किया क्या उस प्रशासक के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

श्रीमती चन्द्रावती—

माननीय सदस्य का सवाल लम्बा है। स्पष्ट बतायें।

श्री ऊदल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो किसानों को भुगतान करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, तो उन आदेशों के मुताबिक क्या-क्या कार्यवाही अब तक भुगतान के सम्बन्ध में की गयी है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

माननीय सदस्य इसका ब्योरा चाहेंगे तो वह दे दिया जायगा। उस में काफी समय लगेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मार्जिन मनी से लगभग कितना रुपया प्राप्त हो जायगा और कितना किसानों का उसके पास बाकी रह जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो दे दिया गया है कि 1.09 लाख और 11.56 लाख रुपया बकाया है.....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

निर्देश दे दिए गए हैं कि मार्जिन मनी से भुगतान किया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि मार्जिन मनी से कितना रुपया प्राप्त होगा और उसके बाद भी कितना रुपये किसानों का बकाया रह जायगा ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मार्जिन मनी जितनी भी ज्यादा से ज्यादा होगी उसकी व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जैसे बुढ़वल चीनी मिल पर लाखों रुपया किसानों का बकाया है, उसी प्रकार प्रदेश के अन्य चीनी मिलों पर भी किसानों का रुपया बकाया है, क्या कोई ऐसे आदेश पारित करने की कृपा करेंगी कि गन्ना किसानों का रुपया शीघ्र भुगतान हो सके ?

श्री अध्यक्ष—

इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या गन्ना मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो बकाया धन पड़ा है, वह एक साल से पड़ा हुआ है, उसका भुगतान कब किया जायगा ? अगर वह धन सरकार का होता, तो उस धन पर वह सूद ले कर किसानों से वसूल कर लेती और जब किसानों का धन गन्ना मिलों पर बकाया है, तो वह अब तक क्यों नहीं भुगतान किया गया ? क्या मन्त्री जी शीघ्र भुगतान कराने के आदेश देंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अगर जानना चाहेंगे तो मैं आंकड़े दे सकती हूं। ब्याज काफी मात्रा में किसानों को इस में दे दिया गया है और जब से सरकार ने यह मिल अपने अधिकार में ली है तब से बहुत थोड़ा धन इस में शेष रह गया है।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस चीनी मिल के कितने बोरे अब तक बैंक में प्लेज हैं और वे बोरे किस हिसाब से विभाजित किए गए हैं और पैसा किस तरह से मिलेगा ?

श्रीमती चन्द्रावती—

इसका किस तरह से पैसा मिलेगा इसकी व्यवस्था अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि बाराबंकी जनपद के बुढ़वल चीनी मिल पर किसानों का जो पैसा बकाया है सरकार कितने दिन में उसका भुगतान करने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

शीघ्र व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि उन्होंने जो आदेश अपने अधिकारियों को दिए हैं कि मार्जिन मनी से उसका भुगतान कर दिया जायगा.....

श्रीमती चन्द्रावती--

अध्यक्ष जी, इसमें बहुत ज्यादा सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन हो चुके हैं। तीन से ज्यादा एलाउ नहीं हैं.....(शोर)

श्री अध्यक्ष--

यह गलत है।

श्री यशपाल सिंह--

माननीय मन्त्री ने जो मार्जिन मनी से भुगतान करने के आदेश दिए हैं, तो क्या उन्होंने इस बात का परीक्षण कर लिया है कि मार्जिन मनी में इतनी रकम है, जिससे किसानों को भुगतान हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री इस प्रकार का उत्तर दें। उनका काम यह नहीं देखना है कि कितने अनुपूरक प्रश्न पूछे जायें ? यह मुझे देखना है।

श्री ऊदल--

माननीय मन्त्री ने आपके अधिकार को चेलेंज किया है। यह सदन का अपमान है। मैं इस पर आपत्ति करता हूं और इसके खिलाफ नोटिस देता हूं।

श्रीमती चन्द्रावती--

माननीय सदस्य का सवाल स्पष्ट नहीं हुआ है। कृपया फिर से पूछ लिया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय मन्त्री जी को यह बतला दिया जाय कि वह तैयार हो कर आया करें। इस तरह से चल नहीं पाएगा।

श्री अध्यक्ष--

यह मैंने मन्त्री जी को बतला दिया है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री यशपाल सिंह--

मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री बतला दें कि उन्होंने क्या उत्तर दिया।

श्री यशपाल सिंह--

उन्होंने प्रश्न ही नहीं सुना, उत्तर क्या देंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

माननीय सदस्य जरा अपना सवाल दोहरा दें, मैं समझ नहीं पाई कि उनका क्या सवाल है ?

श्री यशपाल सिंह—

मैंने यह पूछा था कि मार्जिन मनी से भुगतान न करने के जो आदेश दिए गए हैं, तो जो बकिया रकम किसानों की है, वह मार्जिन मनी से पूरी हो सकती है या नहीं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

इसके लिए पत्रावली को देखने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वक्त मैं नहीं बतला सकती।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

यह आपका कर्त्तव्य है अध्यक्ष महोदय कि आप मन्त्री जी से जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मेरे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर उन्होंने दिया कि बाद में वह सूचना देंगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

इस प्रश्न के उत्तर संतोषजनक ढंग से नहीं दिए गए। अच्छा हो आप इसको पोस्टपोन कर दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित का सदन से निष्कासन

(प्रश्न संख्या 4 के लिए श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, लाखों किसानों का सवाल है। प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं आया है। बहुत मुश्किल से प्रश्न स्वीकार होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी आप बैठें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

आप खफा हो रहे हैं, मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं। मान्यवर, उत्तर तो आना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप सदन को छोड़ें या फिर आप बैठिए। (व्यवधान)

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े रहने पर) आप सदन छोड़ें। मार्शल इन्हें बाहर करें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मार्शल इन्हें बाहर निकालें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मान्यवर, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं सवाल का उत्तर चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, बिना प्रस्ताव के मार्शल नहीं भेजना चाहिए (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

श्री सुन्दर लाल जी, सदन छोड़िए।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन का अवमान है इन्हें निलम्बित किया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

एक तरफ तो उत्तर स्पष्ट नहीं दिया जाता है और दूसरी तरफ बिना प्रस्ताव के मार्शल भेजा जाता है। यह अनुचित है। मान्यवर, बजाय यह काम करें, सरकार से स्पष्ट उत्तर दिलाया जाना चाहिए।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, यह उचित नहीं है। (मार्शल के वहां पर जाने पर)।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी ने कहा कि मैं इस प्रश्न का पुन: पत्रावली देख कर उत्तर दे दूंगी। जब उन्होंने स्वयं यह कहा है, तो उसके बाद प्रश्न करना और कहना कि वह अभी उत्तर दें, यह नियम के अनुसार नहीं है। (मार्शल जरा रुकें) मैंने माननीय सदस्य से बार-बार कहा आप बैठें और दूसरे प्रश्न के लिये श्री ऊदल का नाम लिया और सहकारिता मन्त्री खड़े हुए। उसके बाद आपका यह व्यवहार सदन का अवमान है, इस पीठ की अवज्ञा करना है। इस प्रकार की कार्यवाही को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मैं पुन: सुन्दर लाल दीक्षित जी से कहूंगा कि वह इस तरह का व्यवहार न करें, अपना स्थान ग्रहण करें (श्री सुन्दर लाल के खड़े रहने पर) (व्यवधान) मार्शल इन्हें बाहर करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

पहले मार्शल को बाहर किया जाय।

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष की आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) (श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े रहने पर)। मार्शल इन्हें बाहर करें।

(व्यवधान)

मार्शल, इनको यहां से बाहर हटा दीजिए।

(मार्शल अपने विधान भवन रक्षकों की सहायता से उनको बाहर ले जाने का प्रयास करते रहे।)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, आप इनको बलपूर्वक बाहर निकाल दीजिए।

एक सदस्य—

सुन्दर लाल दीक्षित जी बैठ गए।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं, यह सदन छोड़ें।

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इनको 15 दिन के लिए निलम्बित किया जाए।

(विरोध पक्ष से शेम-शेम के नारे।)

(मार्शल गार्डों की सहायता से श्री सुन्दर लाल दीक्षित को सदन से बाहर ले गए।)

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं आपकी व्यवस्था और माननीय मुख्य मन्त्री जी के इस आचरण के खिलाफ वाक आउट करता हूं।

(राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गए।)

(व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन की जिस तरह से अवमानना की है, यह बड़े ही शर्म की बात है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें 15 दिन के लिए सदन से निलम्बित किया जाए।

श्री अध्यक्ष—

श्री सुन्दर लाल दीक्षित को आज के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया है इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा कि अब अन्य किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मेरा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है, जब आपने आदेश दिया कि इनको निकाल दिया जाय, तो फिर मुख्य मन्त्री जी ने बिना आपकी अनुमति के दूसरा प्रस्ताव कैसे कर दिया? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा। एक बात और है, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था, जिसका उत्तर नहीं आ रहा था और सुन्दर लाल दीक्षित जी जिसका उत्तर चाहते थे, इसे आपने स्थगित कर दिया होता, तो उससे सबको सन्तोष होता और यह अप्रिय स्थिति न आती कि इसका फिर उत्तर आ जाएगा। सुन्दर लाल दीक्षित जी इसका उत्तर चाहते थे और जब प्रश्न स्थगित नहीं हुआ तो इनको कैसे सन्तोष होता कि इसका उत्तर फिर आ जाएगा?

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को सूचित कर चुका हूं, आप कार्यवाही के उस अंग को देख लें, जब यशपाल जी ने प्रश्न किया कि क्या बकाया रकम मार्जिनल मनी से अदा कर दी जायगी, मन्त्री जी ने कहा कि मैं पत्रावली से देखकर पुन : इसका उत्तर दूंगी। तो फिर आप कैसे किस नियम के अनुसार मन्त्री जी को सूचना देने के लिए बाध्य कर सकते हैं ? जब उन्होंने समय मांगा है कि पत्रावली देखकर उत्तर देंगे, तो इससे आपको सन्तोष होना चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा है कि माननीय मन्त्री जी जो सम्भावित पूरक प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में पहले से तैयारी करके आया करें। मैं पहले ही ऐसे आदेश दे चुका हूं। इस पर आपको सन्तोष होना चाहिए था कि पुन : इसका उत्तर मिलेगा। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री देव बहादुर सिंह—

कब इसका उत्तर मिलेगा, यह तो मालूम होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई नियम नहीं है, उत्तर दिया जाएगा, यह आश्वासन अवश्य है और वह सदन में उत्तर देंगी इस सदन के उठने से पहले। यह प्रश्न फिलहाल स्थगित किया गया।

श्री देव बहादुर सिंह—

बस यही तो हम चाहते थे।

प्रश्नोत्तर [क्रमागत]

पशुपालन निदेशालय के लिपिकों का चुनाव

*4—श्री ऊदल—

क्या पशुधन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पशुपालन निदेशालय, लखनऊ में जुलाई, 1976 में लिपिकीय वर्ग का चुनाव हुआ था जिसे शासन द्वारा माह नवम्बर, 1976 में अनियमित घोषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा प्रसारित आदेशों का अनुपालन निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

नवम्बर, 1976 में शासन द्वारा निर्गत किए गए आदेश निम्नतम श्रेणी के लिपिकों की भर्ती के सम्बन्ध में थे।

जुलाई, 1976 में कुछ उच्च स्तरीय लिपिकीय पदों का चुनाव पशुपालन निदेशालया में हुआ था। शासन ने उक्त चुनाव को अब अनियमित घोषित कर दिया है और उसे निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं ।

श्री ऊदल—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि सरकार के 2 नवम्बर, 1976 और दिनांक 17 जून, 1977 को दो बार लिखने के बाद यह पत्र लिखा है श्री एम0 रामचन्द्रन, उप सचिव, पशुधन (1) अनुभाग ने निदेशक, पशुपालन को कि आपने अनियमितत नियुक्तिया कर ली है इनको निरस्त कर दीजिए। 1976 में लिखा, फिर 1977 में लिखा तब भी निरस्त नहीं किया गया, क्यों ऐसा किया गया और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी या की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

दिनांक 27 अगस्त, 1977 को निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह जान बूझ कर कुछ भी नहीं हुआ। भ्रम वश इस तरह के गलत एप्वाइन्टमेंट हुए थे। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो उसे भी देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

उनका प्रश्न यह है कि जिन्होंने अनियमितता की उन के विरुद्ध आप कोई कार्यवाही कर रहे हैं ? इसका उत्तर दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव---

वही मैंने कह दिया कि ये किसी तरह से जो अनियमितताएं थीं, जान बूझ कर नहीं हुई थीं। किसी तरह से भ्रमवश अप्वाइन्टमेंट हो गया। इस सम्बन्ध में कोई अनियमितताएं होंगी, तो उन्हें भी मैं देखूंगा।

श्री ऊदल---

यह सरकार की तरफ से कार्मिक विभाग का 1975 का आदेश है भर्ती के सम्बन्ध में। इसके बाद जिन सज्जनों ने भरती किया श्री एम0 रामचन्द्रन, उप सचिव ने निदेशक, पशुपालन को लिखा कि जो भरती की गयी है, अनियमित तरीके से की गयी है। यह 2 नवम्बर, 1976 को लिखा गया। श्री एस0 ए0 मेहरोत्रा, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, पशुपालन विभाग ने लिखा कि अनियमित तरीके से आपने कर लिया, इसको रद्द कीजिए। इसके बाद श्री एम0 रामचन्द्रन ने 2 नवम्बर को लिखा कि अनियमित तरीके से कर लिया, इसको रद्द कीजिए। फिर दोबारा दिनांक 17 जून, 1977 श्री रामचन्द्रन ने लिखा। इतना लिखने के बाद, सरकार के आदेश के बाद भी जिन लोगों ने अनियमितताएं किया उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी या कार्यवाही करने का विचार है? मैं पत्रावली भेज देता हूं आपके पास।

श्री मुलायम सिंह यादव---

मैंने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष जी, जवाब दे दिया। अगर इस तरह की कोई अनियमिततायें हैं, जो अभी अन्य हों माननीय सदस्य मुझे अलग से प्रस्तुत कर दें।

श्री अध्यक्ष---

आपके सामने प्रश्न है कि जब इस तरह से निरस्त किया गया तो किस आधार पर किया गया, अनियमितताएं किसने कीं, कृपया इसका उत्तर दीजिए।

श्री मुख्तार अनीस---

अध्यक्ष जी, 1956 में एक जी0 ओ0 था, जिसका संशोधन 1975 में आंशिक रूप में हुआ और जिस में निम्न श्रेणी के लिपिकों के चयन हेतु नियम दिए गए थे और उच्च श्रेणी का कोई भी निर्देश नहीं था। विगत वर्ष में निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी के लिपिकों की प्रक्रिया हेतु सन् 1956 के जी0 ओ0 में जो निर्देश दिए गए थे, उस समय उच्च श्रेणी हेतु कोई नियमावली उपलब्ध न होने के कारण, जिस प्रक्रिया को अपनाया गया, उसमें भ्रम उत्पन्न होने के कारण कार्मिक विभाग का परामर्श लिया गया और उनके परामर्श के आधार पर, अब उक्त चयन को निरस्त कर दिया गया है।

श्री ऊदल—

मैं जानना चाहता हूं, जब मैंने सवाल किया इसका हवाला दे कर, तब निरस्त किया गया । मैंने सरकार के आदेशों का हवाला दे दिया। गवर्नमेंट ने लिखा इनको बार-बार कि अनियमित तरीके से भरती कर ली, इसको निरस्त कर दें। 1976 से लिखा जा रहा है। तीन रिमाइन्डर और चिट्ठी हैं। मैं भेज दूंगा। तब भी सरकार कहती है कि अनियमितताएं नहीं थीं। तो किस आधार पर रद्द किया गया, जैसा आपनेपूछा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। उनके पास डिटेल में कुछ और है। मुझे भेज देंगे मैं जांच करवा लूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय मन्त्री जी से सम्बन्धित एक प्रश्न जैसा कि उन्होंने यह कहा है कि प्रश्नकर्ता के पास अधिक पत्रावलियां उपलब्ध हैं, तो उन्हें और कौन-कौन सी पत्रावलियां चाहिएं। यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

जिन-जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ियां की हैं क्या माननीय मन्त्री जी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि यह अनियमितता जानबूझकर नहीं की गयी। इससे यह स्पष्ट है कि अनियमितता हुई। तो वह किस तरह से हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी इनका प्रश्न यह है कि यदि किसी अधिकारी ने जानबूझकर नहीं की तो क्या किसी जी0 ओ0 की भूल के कारण हुई है, इस पर माननीय सदस्य साफ उत्तर चाहते हैं।

श्री मुख्तार अनीस—

1956 में जो जी0 ओ0 हुआ था, उसमें स्पष्ट निर्देश नहीं थे, इस कारण भ्रम पैदा हुआ और हमने उसको निरस्त कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

जी0 ओ0 निरस्त कर दिया है। किसको निरस्त कर दिया है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जो नियुक्तियां हुई हैं, उनको निरस्त कर दिया है।

श्री ऊदल—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

यह जी0 ओ0 वगैरह दिखाने का समय नहीं है। माननीय मन्त्री जी इसको फिर से बता दें। मैं इसे स्थगित करता हूं। 3 और 4 स्थगित किया है।

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र खुनियांव तथा इटवा को दी गयी धनराशि तथा किया गया निर्माण कार्य

*5—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र खुनियांव तथा इटावा में वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में कितना-कितना धन ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत दिया गया और वह किन-किन निर्माण कार्यों में व्यय किया गया ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र खुनियांव तथा इटवा को विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 व 1976-77 में मिलाकर क्रमश: रु0 1,34,918.00 तथा रु0 1,34,918.00 दिया गया। विकास क्षेत्र खुनियांव में उक्त राशि में से निर्माण कार्य पर कोई व्यय नहीं किया गया। विकास क्षेत्र इटवा में उक्त राशि में से रु0 30,000.00 पुलिया तथा कूप निर्माण कार्य पर व्यय किया गया।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि विकास क्षेत्र, खुनियांव में जो धन दिया गया था, उसको खर्च न करने का क्या कारण है ? जब कि अभी ऐसे अनेकों गांव हैं जहां पर कुएं के अभाव में लोग नदी का पानी पीते हैं और विकास क्षेत्र इटवा में 30 हजार रुपया व्यय किया गया ....

श्री अध्यक्ष—

इतना लम्बा नहीं। आपने यह कहा कि क्यों नहीं खर्च किया ?

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

जो उत्तर मिला है, उसमें 2 ब्लाकों का मिला है इसीलिए मैं मिलाकर प्रश्न कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न इटवा ब्लाक के बारे में है। वहां जो 30 हजार रुपया व्यय किया गया है, उसमें अलग-अलग कितना रुपया पुलिया में और कितना कुएं में किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

इतना लम्बा प्रश्न आप न कीजिए।

श्री जमुना प्रसाद—

1976-77 के निर्माण का जो प्रश्न है, वह कांग्रेसी शासन का है। उसमें ...

श्री देव बहादुर सिंह—

यह कौन सा जवाब है ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप इन्हें उत्तर देने दीजिए। आप शोर क्यों करते हैं ? आप कृपया खामोश रहें।

श्री जमुना प्रसाद--

इसका वर्ष 1975-76 व 1976-77 में कांग्रेसी शासन से मतलब था। ये आपातकालीन वर्ष थे, जबकि अनुशासन का ब ा राग अलापा जा रहा था। उस समय भी यह कार्य नहीं हो सका। (शोर) वर्ष 1975-76 व 1976-77 में जिन लोगों की ढिलाई के कारण ये निर्माण कार्य नहीं हो पाए, उनके खिलाफ कार्यवाही करने का हमने आदेश दे दिए हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहिए ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि यह प्रश्न पिछले 2 वर्ष की किसी दूसरी सरकार से सम्बन्धित है, इसलिए वे प्रश्न के सम्बन्ध में पूरी तरह से जिम्मेदारी न लेकर, अपना उत्तर इस प्रकार से उपस्थित कर रहे हैं, जैसे कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज के वे मन्त्री हैं, इसलिए उन्हें आज का उत्तर और पिछली बातों के बारे में भी उत्तर देना है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

श्रीमन् यह तो भाषण दे रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठें। माननीय मन्त्री जी आपका उत्तर केवल इतना ही होना चाहिये था कि कार्य में शिथिलता हुई है और जिनके कारण हुई है, उन पर कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरन)--

मान्यवर, हम उनके उत्तराधिकारी जरूर हैं, लेकिन उनके पापों के उत्तराधिकारी हम नहीं बन सकते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

आपने यह बात कही कि हम पिछली सरकार के उत्तराधिकारी हैं। यह ठीक है लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इनके दुष्कर्मों के भी उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैंने अभी पूरी बात नहीं कही है। आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप कृपया बैठिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में हमारी विधान सभा की कार्य प्रणाली पर असर पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात की सफाई कर दें कि यदि यह सरकार पिछली सरकार की उत्तराधिकारी है, तो क्या जितने कुकर्म पिछली सरकार ने किए हैं, संविधान को बदला और न जाने कौन-कौन असंवैधानिक कार्य किए हैं, जनतन्त्र को समाप्त किया है, तो क्या उसके लिए हम उत्तरदायी हैं, यह मैं स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण दे रहे हैं। इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह था कि वहां पर यह रुपया क्यों नहीं खर्च हुआ तो माननीय मन्त्री जी ने सीधा उत्तर दिया कि जिसकी जिम्मेदारी थी, उनको सजा देंगे। यही उत्तराधिकार है और क्या है? इसलिए कम से कम प्रश्नों के समय तो विवाद न कीजिए।

इस पर कोई माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न करना चाहते हैं?

श्री विश्वनाथ पाण्डेय--

मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा कि जो 30 हजार रुपया इटावा ब्लाक में व्यय हुआ है, उसमें कितना रुपया पुलिया में और कितना कूप निर्माण में खर्च किया गया और कहां-कहां उसको खर्च किया गया?

श्री जमुना प्रसाद--

पुलिया निर्माण पर 3 हजार रुपया खर्च हुआ और कूप निर्माण पर 27 हजार खर्च हुआ?

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय विकास मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रुपया खर्च किया गया है,यह किसके माध्यम से खर्च किया गया है और क्या जिन कामों पर खर्च किया गया है, वह काम पूरे हो गए हैं या अधूरे पड़े हैं?

श्री जमुना प्रसाद--

अभी तक जो रिपोर्ट है, वह मैंने बता दी है और जो जानकारी चाहते हैं, वह प्राप्त करके बता दूंगा।

*6--श्री ऊदल--

[3रे सोमवार के लिए स्थगित।]

*7--श्री राजेन्द्र कुमार--

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

फर्रुखाबाद दुग्ध योजना का उप मन्त्री (पशुधन विभाग) द्वारा निरीक्षण और घोटाले की जांच

*8--श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के दिनांक 31 जुलाई, 1977 के दौरे के समय उप मन्त्री, पशुधन विभाग ने दुग्ध योजना के अन्तर्गत लाखों रुपए का घोटाला पकड़ा? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है और उसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुलायम सिंह यादव —

दिनांक 31 जुलाई, 1977 को उप मन्त्री, पशुधन ने फर्रुखाबाद दौरे के समय फर्रुखाबाद दुग्ध योजना का निरीक्षण किया और यह पाया कि डेयरी के भवन के निर्माण में ठेकेदार को लगभग 5,400 रु0 का अधिक भुगतान कर दिया गया है। उप मन्त्री जी ने यह भी पाया कि डेयरी का भवन एक-तिहाई बना है और उसमें दो जगह दरार पड़ गयी है अत : निर्माण कार्य की गुणात्मक एवं मात्रात्मक जांच आवश्यक है। शासन द्वारा मामले में विस्तृत जांच विधि अनुसन्धान शाखा, सहकारिता विभाग द्वारा करायी जा रही है।

गन्ने के मूल्य निर्धारण पर विचार

*9—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977-78 के सीजन के लिए उत्तर प्रदेश के गन्ना किसनों को गन्ने का मूल्य गत वर्ष से अधिक देने की सिफारिश प्रदेश सरकार ने की है ? यदि हां, तो अगले सीजन 1977-78 वर्ष में कितने रुपए प्रति क्विन्टल दाम दिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं और क्या इस व्यवस्था में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में एक समान कीमत प्राप्त होगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सरकार के विचाराधीन जो प्रश्न है, उनमें क्या यह भी विचाराधीन है कि पूर्वी क्षत्र और पश्चिमी क्षेत्र में जो दो प्रकार की कीमत गन्ने की किसानों को मिलती है, वह एक-रूपता के आधार पर तय की जाय ?

श्रीमती चन्द्रावती—

यह प्रश्न भी विचाराधीन है। भारत सरकार से इसकी नीति निर्धारित होती है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

गत वर्ष जो कीमत दी गयी है गन्ने की किसानों को उत्तर प्रदेश में क्या इस वर्ष उससे कितनी अधिक प्राप्त करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास सिफारिश की है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

गत बर्ष से नीचे नहीं की है, उससे अधिक ही की है।

श्री ऊदल—

क्या यह बात सही है कि परसों भारत सरकार के राज्य वित्त मन्त्री आए थे और मुख्य मन्त्री ने 14 रुपए क्विन्टल गन्ने के दाम निर्धारित करने के लिए सिफारिश की है और सभी अखबारों मे आ गया है, तो क्या सरकार ने सिफारिश कर दी है या विचाराधीन है ?

श्रीमती चन्द्रावती —

यह सही है कि 14 रुपया क्विन्टल की राज्य सरकार ने सिफारिश की है, निर्णय नहीं आया है।

श्री हिम्मत सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पश्चिमी जिलों में और पूरब में जो गन्ने का रेट तय किया जाता है, वह गन्ने के शुगर परसेंटेज के आधार पर किया जाता है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में रिकवरी के आधार पर किया जाता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

14 रुपए की जो सिफारिश की गयी है उसका आधार क्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जनहित में इसका उत्तर देना उचित नहीं है।

लखनऊ प्रोड्यूसर्स मिल्क यूनियन लि० के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*10—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लि0, लखनऊ में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन व घी, बटर, क्रीम एवं मिल्क पाउडर के बिक्री के धन के घोटाले तथा गबन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन लि0, लखनऊ के बारे में धन व घी, बटर, क्रीम एवं मिल्क पाउडर की बिक्री के धन के घोटाले की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इस प्रकार की 6 शिकायतों पर विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इन मामलों में से दो न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा शेष चार में विवेचना जारी है।

इलाहाबाद जिले के सहकारी बैंक लि०, फूलपुर शाखा द्वारा दिया गया ऋण एवं उसके विरुद्ध शिकायतों की जांच

*11—श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि सहकारी बैंक शाखा, फूलपुर, जनपद इलाहबाद द्वारा किसानों को पिछले पांच वर्षों में दिए गए ऋण का कितना रुपया किसानों पर बकाया है और उसकी वसूली क्यों नहीं हो पा रही है ? क्या यह सही है कि उक्त बैंक के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने फर्जी नामों से कर्ज बंटवाया है ? यदि हां, तो सरकार क्या इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जिला सहकारी बैंक लि0, शाखा फूलपुर, जनपद इलाहबाद द्वारा किसानों को पिछले पांच वर्षों में दिए गए ऋण का 24 लाख 34 हजार रुपया किसानों पर बकाया है। अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से फसल नष्ट होने तथा सदस्यों के प्रतिदान क्षमता में ह्रास के कारण वसूली नहीं हो सकी है।

नोट—तारांकित प्रश्न 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

फूलपुर क्षेत्र में फर्जी ऋण वितरण के सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री हर प्रताप सिंह यादव जी के माध्यम से श्री ब्रह्मदेव सिंह एवं अन्य सदस्यों का तथा श्री योगेश्वर द्विवेदी एवं अन्य छः व्यक्तियों का तथा श्री गोकुल प्रसाद के शिकायती पत्र सहायक विकास अधिकारी सहकारिता श्री जगतपाल तिवारी के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं जो पहले इसी विकास क्षेत्र में सहकारी पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त थे। उक्त शिकायती-पत्रों की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

एटा जिले की साधन सहकारी समिति लि०, हरचन्द्रपुर तथा सकतपुर के विरुद्ध फर्जी ऋण वितरण सम्बन्धी थाने में लिखाई गयी रिपोर्ट

*12—श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लि0, हरचन्द्रपुर, सकतपुर, जिला एटा की फर्जी ऋण वितरण एवं फर्जी वसूली के सम्बन्ध में दिनांक 21 अगस्त, 1976 को थाना कोतवाली, एटा में एफ0 आई0आर0 समिति के अध्यक्ष एवं अमीन के विरुद्ध धारा 467/468/477-ए/471/409/420/405/406, के अन्तर्गत समिति के सदस्य निवासी उमरायपुर के श्री श्रीराम पुत्र टोंढ़ी, श्री होरी लाल पुत्र राम लाल, श्री रामचन्द्र पुत्र राम लाल व श्री मूलू पुत्र उदई, पोस्ट कबार द्वारा दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। सर्वश्री राम पुत्र टोंढ़ी, श्री होरी लाल पुत्र रामलाल, श्री रामन्द्र पुत्र रामलाल व श्री मूलू पुत्र उदई द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21 अगस्त, 1976 को थाना कोतवाली, एटा में दर्ज कराई गयी थी। इस प्रथम सूचना में साधन सहकारी समिति लि0, हरचन्द्रपुर, सकतपुर जिला एटा के अध्यक्ष के विरुद्ध धारा 467, 468, 477-ए, 471, 409, 420, 408, 406 के अन्तर्गत थाना कोतवाली, एटा में दिनांक 21 अगस्त, 1976 को दर्ज की गई। चारों अभियोगों की विवेचना विशेष अनुसन्धान शाखा द्वारा की जा रही है। विवेचना अभी पूर्ण नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक की रिकरिंग डिपाजिट योजना तथा "नामिनी" का मनोनयन

*13—श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक ने हाल ही में रिकरिंग डिपाजिट की स्कीम प्रारम्भ की है जिसमें "नामिनी" करने का कोई प्राविधान नहीं है? यदि हां, तो खातेदार के साथ कोई घटना होने पर उसकी जमा की हुई धनराशि उसके किसी उत्तराधिकारी को मिल सके इस बात को ध्यान में रखते हुए रिकरिंग डिपाजिट में "नामनी" रखने के सम्बन्ध में उक्त बैंक को कोई आदेश देने की कार्यवाही करेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश कोआ परेटिव बैंकमें रिकरिंग डिपाजिट योजना पिछले 10 वर्षों से चल रही है। "बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट" तथा "निगोशियेबुल इन्स्ट्रूमेन्ट ऐक्ट" में इस आशय का कोई प्राविधान नहीं है कि खातेदार अपना "नामिनी" मनोनीत कर सकें जिसे खातेदार

की मृत्यु की दशा में देय धनराशि का भुगतान किया जा सके यदि खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस खाते की देय राशि उसके उत्तराधिकारी को 'सक्सेशन सर्टीफिकेट' प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है।

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद मण्डल के कृषि सेवा वर्ग 2 के कर्मचारियों का स्थायीकरण

1—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शासन को जानकारी है कि फैजाबाद मंडल में जिलेवार कृषि सेवा वर्ग दो में कार्यरत (तीन साल के ऊपर) कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें अब तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? और कब तक उन्हें स्थायी कर दिया जायगा।

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

जिला प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, गोंडा तथा बहराइच में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 में क्रमश: 24, 28, 33, 21, 54 तथा 26 कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं जो स्थायी नहीं हैं।

उपर्युक्त कुल 186 कर्मचारियों में से 141 लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं है अत: नियमों के अनुसार उनका स्थायीकरण नहीं किया जा सकता। शेष 45 कर्मचारियों, जो लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित हैं, में से 18 कर्मचारियों के लिये स्थायी पद इस समय उपलब्ध नहीं हैं जिन पर उनको स्थायी किया जा सके, 8 कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची अभी निश्चित नहीं हुई है तथा 19 कर्मचारियों के स्थायीकरण पर शीघ्र ही विचार किया जायगा।

मारुति हैवी वेहिकिल्स लि० को राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों की बाडी बनाने हेतु दिया गया आदेश

2—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1975-76 और 1976-77 में मारुति हैवी वेहिकिल्स लि0 को कितनी बसों की बाडी किस दर पर बनाने के लिए आदेश दिए गए और यदि वे बाडी सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर द्वारा बनाए जाते तो प्रति बस कितने रुपए की निगम को बचत होती? क्या इन बसों की बाडी बनाने के लिए टेन्डर मांगे गये थे और किस-किस ने टेन्डर दिए थे तथा किस के आदेश से मारुति हैवी वेहिकिल्स लि 0 को आर्डर दिया गया था?

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)—

यह मामला मारुति जांच आयोग के सम्मुख विचाराधीन है। अत: जनहित में इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

3—श्री ऊदल—

[3रे सोमवार के लिए स्थगित।]

4—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

[3रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जालौन जिले के अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, श्री अनामी शरण सिंह का निलम्बन

5—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जालौन जिले के निलम्बित अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी (अनामि शरण सिंह) के सम्बन्ध में दो माननीय संसद सदस्यों ने दिनांक 4 मार्च 1977, 7 मार्च; 1977; 14 अप्रैल, 1977 तथा 8 जुलाई, 1977 को अपने पत्र द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित किया है ? यदि हां, तो क्या इस विषय में की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। अनामी शरण सिंह अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी (निलम्बित), जालौन के विरुद्ध आरोपों पर तुरन्त निर्णय हेतु श्री नागेश्वर प्रसाद शाही, संसद सदस्य से दिनांक 4 मार्च, 1977 को एक तार तथा 7 मार्च, 1977 को एक पत्र प्राप्त हुआ था। श्री हरिकेश बहादुर, संसद सदस्य से भी पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1977 तथा 8 जुलाई, 1977 प्राप्त हुए। जांच निबन्धक कार्यालय द्वारा करायी जा रही है और शासन द्वारा निबन्धक का ध्यान इस ओर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु आकर्षित किया गया। निबन्धक द्वारा जांच अधिकारी की कार्यवाही जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जांच में इसलिए समय लग रहा है क्योंकि श्री अनामी शरण सिंह ने 3 बार जांच अधिकारी बदलने का अनुरोध किया। निबन्धक द्वारा दो बार इनकी प्रार्थना स्वीकृत करके अन्य जांच अधिकारी नियुक्त किये गये वर्तमान जांच अधिकारी जांच समाप्त करने की कार्यवाही सम्पन्न कर रहे हैं और उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र जांच रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया है।

फैजाबाद जिले की प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल की जर्जर इमारतों की छतें गिरने से दो बच्चों की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और अपनी सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि फैजाबाद जिले में जिला परिषद् की प्राइमरी पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवनों की दशा बहुत ही दयनीय है। जिसके परिणामस्वरूप इसी महीने में सोहावल शिक्षा क्षेत्र के दिगम्बरपुर प्राइमरी पाठशाला की छत मसमसाकर बैठ गई और एक बालक उसके नीचे दब कर मर गया और कई घायल हो गये, जिन्हें उपचार हेतु चिकित्सालयों में भरती होना प ा और बाद में उनमें से भी एक की मृत्यु हो गई। उसी के सप्ताह भर के अन्दर ही शिक्षा क्षेत्र पूरा बाजार की प्राइमरी पाठशाला, बिरौली की छत भी मसमसाकर बैठ गई लेकिन सौभाग्य था कि कोई दबा नहीं और लोग निकल भागने में सफल हो गए। यह ईश्वर की अनुकम्पा ही थी कि एक दूसरी भयंकर दुर्घटना होते होते बच गई।

मान्यवर, फैजाबाद जिले में जिला परिषद् के कुल 1350 स्कूल हैं जिसमें से 992 लड़कों की प्राइमरी पाठशालायें और 62 ल कों के जूनियर हाई स्कूल हैं। इसी प्रकार से कुल 258 कन्या प्राइमरी पाठशालायें और 8 बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल हैं। 30 ऐसे जूनियर हाई स्कूल बालिकाओं के हैं जिनमें प्रधान अध्यापिकायें नहीं हैं। उन्हें जो कर कुल 38 जूनियर हाई स्कूल पूरे जिले में बालिकाओं के हैं। इन 1350 स्कूलों में 480 स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह के भवनहीन हैं, जहां आज तक भवन की नींव ही

नहीं प ी। एक दशक से भी अधिक वर्षों से इन विद्यालयों के छात्र व छात्रायें पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं और खराब मौसम में अपने घरों को भाग जाते हैं। इनमें से केवल 80 स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु इस वर्ष सरकार ने अनुदान दिया है।

मान्यवर, जहां तक जूनियर हाई स्कूलों का प्रश्न है केवल जनपद के तीन स्कूलों रामनगर, खजुरहट व अकबरपुर के पास सही मानों में भवन हैं। लेकिन इन तीनों स्कूलों के भवन 15 अगस्त, 1947 के पूर्व के हैं और इनके निर्माण में आजाद भारत की सरकारों का कोई योगदान नहीं है।..शेष स्कूलों के पास भवन के नाम पर कहीं एक कमरा है तो कहीं एक बरामदा जैसी इमारत है और उनमें से भी ज्यादातर इमारतें ऐसी हैं, इतनी जर्जर हालत में हैं कि उनके नीचे जीवन का खतरा मोल ले कर ही कोई बैठने का दुस्साहस कर सकता है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप बहुत लम्बा वक्तव्य पढ़ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि छत गिरने से लड़के की मृत्यु हो गयी।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

फैजाबाद जनपद में कुल 1350 स्कूल हैं। जैसा मैंने कहा, इनमें से 480 बिल्कुल भवनहीन हैं, जिनकी नींव ही नहीं पड़ी।

श्री अध्यक्ष--

जो अवसर आपको दिया गया है यह उससे सम्बन्धित नहीं है। यह तो आप शिक्षा के बजट पर कह सकते हैं।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

मेरा निवेदन केवल इतना है कि बाकी भवन भी जो हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि किसी भी समय खतरा हो सकता है और जो छतें प ी हैं उनकी हालत यह है कि आर0 सी0 सी0 की छतें ऐसी हैं कि छूने से टूट जाती हैं। ज्यादातर स्कूलों में किसी भी समय खतरा हो सकता है।. ऐसे भी स्कूल हैं जिनकी छतें हैं लेकिन उनके नीचे बरसात में बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती। लोग पे ों के नीचे पढ़ रहे हैं। तो मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दो बच्चों की कुरबानी दे कर फैजाबाद जनपद ने जो कीमत दी है उसकी सच्ची श्रद्धांजलि उन बच्चों के प्रति यही होगी कि शासन उस ओर ध्यान दे कर उचित कार्यवाही करे।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते समय एस० पी०, गोरखपुर द्वारा अशिष्टता का व्यवहार करने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना की प्रतिलिपि मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपके पास होनी चाहिए थी। यह तो आपने ही दिया था।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय एवं सम्मानित सदस्यों का ध्यान तहसील महराजगंज की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं दिनांक

[श्री शारदा प्रदाद जायसवाल--]

11 अगस्त, 1977 की भीषण बाढ़ की याद दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इस बाढ़ की सूचना मैंने जिलाधिकारी तथा प्रशासन को भी दिया है और आज 29 तारीख तक वहां के बाढ़ पीड़ितों को कोई सहायता सरकार द्वारा या जिलाधिकारी द्वारा नहीं पहुंचायी गयी। इस बाढ़ से सम्बन्धित गांव नौआबारी, मटरा, दमौरा, चटिया, लालपुर, तुरकहियां, सोहगीवरवां आदि हैं। मान्यवर, वहां पर नाव की व्यवस्था के लिए मांग की गयी थी, परन्तु वह भी नहीं हुई। मैं अपनी निजी जीप न0 यू0 टी0 ए0 2768 से दिनांक 20 अगस्त, 1977 को सिसवन जा रहा था, मेरी गाड़ी का चालान कर दिया गया जब की कागजात गाड़ी के सही थे मेरे ड्राइवर को रोक कर गाली दी गई। मान्यवर, 19 तारीख को मैंने एस0 पी0 के खिलाफ राम नगर कांड को लेकर तार दिया था कि वर्ग संघर्ष को एस0पी0 द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि एस0 एस0 पी0 को तुरन्त हटाया जाय, नहीं तो मुझे अनशन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

कृषि विभाग के सेवा से अलग किए गए कृषि अमीनों एवं चपरासियों द्वारा अनशन के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के सेवा निवृत्त कृषि अमीन एवं चपरासियों के प्रतिनिधियों द्वारा, अपनी रोजी प्राप्त करने के लिए शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु जारी किए गए, आन्दोलन के अधीन, शान्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक क्रमिक अनशन का आज ग्यारहवां दिन है। 1963 में यह कृषि अमीन एक चपरासी के रूप में भर्ती किए गए थे। आपात् कालीन स्थिति के दौरान लगभग 10,000 से अधिक इन अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप उक्त समस्त परिवार बेरोजगार होकर भुखमरी का जीवन जी रहे हैं। वर्तमान सरकार गठित होने के बाद आपात् स्थिति के पीड़ित इन कर्मचारियों ने बारम्बार शासन के द्वार खटखटाए परन्तु एक न सुनी गयी। मजबूर होकर समाज के इस कमजोर वर्ग को शान्ति पूर्ण आन्दोलन का सहारा लेना पड़ा। अब इन्होंने अनिश्चत कालीन अनशन का भी निर्णय लिया है। आवश्यक है कि इन बेरोजगार एवं निरीह जीवन व्यतीत करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए उनकी पिछली सेवाओं का लाभ देते हुए उनके स्तर के वेतन-मान पर अविलम्ब कहीं भी राजकीय सेवा में अबजार्ब किया जाय।

तहसील हसनपुर, मुरादाबाद में बाढ़ से जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रमाशंकर कौशिक--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन का ध्यान मुरादाबाद जनपद की हसनपुर तहसील में आई गंगा बाढ़ से उत्पन्न भयावह स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, इस बाढ़ ने हजारों लोगों को तबाह कर दिया है। गांव तिगरी,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काकौठेर, लठीरा, मोहरका, कबीरपुर, बिलड़ा, घोरिया, सतेड़ा में व्यापक रूप से बाढ़ का प्रकोप हुआ है। सिंचाई विभाग में एक अंग बाढ़ के द्वारा हसनपुर बांध बनाया गया है। इस बांध के बन जाने पर भी उन गांवों को जो बांध और गंगा के बीच में आ गए हैं कहीं दूसरे स्थान पर बसाने की व्यवस्था नहीं की गयी। नतीजे में, बांध और गंगा के बीच के गांवों में पानी भरा हुआ है, कच्चे मकान धराशायी हो रहे हैं और सैकड़ों लोग अपनी जान और माल से असुरक्षित हैं। बिलड़ा और घोरिया गांवों में तो गंगा अन्दर तक पहुंच गयी हैं। हसनपुर बांध बनाने वालों ने जाजरौल नामक स्थान पर स्टोन-डम्पिग किया है लेकिन वह इतना कम है कि उसका गंगा की धार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण गंगा सैकड़ों एकड़ जमीन को लीलती जा रही है। जाजरौल नामक स्थान पर यदि शीघ्रता के साथ 500 मीटर लम्बाई में स्टोन डम्पिग हो तो सैकड़ों एकड़ जमीन को बचाया जा सकता है और हजारों लोगों के जीवन-यापन के साधन, जमीन को सुरक्षित रखा जा सकता है।

श्रीमन्, यह और भी दुःख की बात है कि तहसील हसनपुर का स्टाफ लोगों की जीवन मरण की परिस्थिति में भी चैन की बंशी बजा रहा है, राहत के कार्य नहीं हो रहे हैं, नावों तक की व्यवस्था नहीं है इस प्रकार श्रीमन् तिगरी गांव में जो गंगा नदी की धार को रोकने के लिए ठोकर बनायी गयी थी, वर्षों पहले, अपर्याप्त सिद्ध हो चुकी है, जिसके कारण तिगरी, लठीरा और काकोंठेर की उपजाऊ जमीन निरन्तर कट रही है। मुरादाबाद-दिल्ली रेलवे लाइन भी खतरे में आ सकती हैं। तिगरी गांव में अविलम्ब इस ठोकर का निर्माण हुए बिना लोगों की तबाही को नहीं रोका जा सकता।

श्रीमन्, सरकारी अफसरों की ढिलाई के कारण सीसोवाली कूटी, धलोन्डा, नाववाली आदि अनेक गांवों के निवासियों की जिन्दगी दूभर हो रही है। कालागढ़ से निकाले गए गंगा फीडर चैनल और गंगा के बीच हसनपुर तहसील के उक्त गांव एक टापू पर जिन्दगी बसर कर रहे हैं। एक तरफ फीडर चैनल दूसरी ओर गंगा, किसी ओर को भागने, जाने के लिए रास्ता नहीं। सब सड़कों, कस्बों, रेल से असम्बद्ध हुए लगभग 7000 लोग असहाय जिन्दगी गुजार रहे हैं। फीडर चैनल पर कोई पुल नहीं बनाया गया। गंगा में बाढ़ आई तो ये लोग किधर निकलें——विकट समस्या बनी है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस विभीषिका की ओर इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि इन हजारों लोगों की जिन्दगी, जायदाद और रोटी देने वाली जमीन का बचाव तत्काल हो सके और बाढ़ में फंसे लोगों की सुरक्षा हो सके।

यू० पी० निवास की सम्प्रति बिगड़ी हुई हालत तथा वहां के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की असुरक्षा के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)——

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के नयी दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश निवास की सम्प्रति बिगड़ी हुई हालत तथा वहां के चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कमचारियों की असुरक्षात्मक स्थिति की सूचना देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश निवास, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित होता है, सरकार के मन्त्री, अधिकारी एवं माननीय सदस्य विधान सभा, सदस्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

विधान परिषद्, संसद सदस्य, अक्सर दिल्ली प्रवास के दौरान यू0 पी0 निवास में रहा करते हैं वहां की संचालन व्यवस्था में जबरदस्त त्रुटियों के आ जाने से पूरा इन्तजाम खराब हो गया है और निवास करने वाले सम्मानित व्यक्तियों को परेशानी व असुविधा उठानी पड़ती है। परम्पराओं व नियमों के मुताबिक उन्हें उचित सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

श्री मनमोहन शर्मा यू0 पी0 निवास के प्रबन्धक हैं जो कि कई वर्षों से वहां कार्यरत हैं। यू0 पी0 निवास में निवास करने बाले व्यक्तियों के लिए दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले सामानों (राशन, कूलर, टेलीविजन, कालीन, विस्तर के सामान, टेलीफोन का दुरुपयोग, सरकारी चपरासी) का उनके द्वारा पारिवारिक कामों में इस्तेमाल करने की वजह से यू0 पी0 निवास के प्रबन्ध स्तर में काफी गिरावट आ गयी है एवं घपला चल रहा है। उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश की निवास की सुविधाओं का निजी इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है बल्कि उनके पुत्र के द्वारा कर्मचारियों को मारना, पीटना, शराब पीना, निवास करने वाले व्यक्तियों के सामानों की चोरी करना भी सम्मिलित है, इस प्रकार ---

(1) दिनांक 19/20 जून, 1977 की रात को 1 बजे प्रबन्धक के पुत्र मुकुल मोहन शर्मा ने कांचीलाल चपरासी को अकारण इतना मार दिया कि वह लहू-लुहान हो गया। इसी तरह से अन्य कर्मचारियों को भी वह मारते रहते हैं। उसके आठ टांके लगे और विलिंगटन अस्पताल में उसका इलाज कराया गया।

(2) करीब 12 जून, 1977 के आस-पास कमरा नं0 26 को मुकुल मोहन शर्मा कमरा नं0 29 की चाभी से खोल रहे थे जो कि एक अपराध है।

(3) लोक सभा के चुनाव के आस-पास मुकुल मोहन शर्मा एक चोरी में भी पकड़े गए।

(4) यू0 पी0 निवास बगैर नफा नुकसान के आधार पर संचालित किया जाता है मगर विभिन्न दरों को देखना आवश्यक है :---

चाय की प्याली 50 पैसा।

खाना 3 रुपया प्रति व्यक्ति।

65 पैसे 1/2 लीटर दूध डेरी से खरीद कर आता है किन्तु दिया जाता है 1 रुपया 60 पैसा प्रति आधा लीटर।

45 पैसा प्रति अन्डा खरीदा जाता है परन्तु दिया जाता 75 पैसा प्रति अन्डा।

बिस्तर की चादरें, पंखे, फर्नीचर खराब अवस्था में पड़े हुए हैं।

मुख्य मन्त्री के कमरे का टेलीविजन खराब है मगर बनवाया नहीं जा रहा है। जबकि प्रबन्धक का टेलीविजन चल रहा है।

यू0 पी0 निवास के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से उत्तर प्रदेश निवास के सम्बन्धित आयुक्त को अपनी सुरक्षा हेतु एक आवेदन-पत्र भी दिनांक 20 जून, 1977 को दिया था।

30 जून, 1977 को कांचीलाल जो वहां के चपरासी हैं और कई लोगों ने माननीय चौधरी चरण सिंह भारत सरकार, के घर पर माननीय मुख्य मन्त्री जी को एक मांग-पत्र दिया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यू0 पी0 निवास में कई व्यक्ति नाजायज तरीके से रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर कमरा नम्बर 12-13 में कमिश्नर अपना कार्यालय बनाए हुए हैं। कमरा नं0 11 में सी0 आई0 डी0 का इन्सपेक्टर रह रहा है। कमरा नं0 29-30 में पुलिस अधिकारी रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचना आपको देता हूं।

श्री अध्यक्ष---

यह सब सूचनाएं सरकार के पास जांच के लिए और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई हैं।

बजट की गोपनीयता भंग होने के सम्बन्ध में कतिपय मन्त्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री श्यामधर मिश्र जी ने उठाया था। मैंने आज के लिए उसको स्थगित कर दिया था। अपना निर्णय देने से पूर्व श्यामधर मिश्र जी से कहूंगा कि वह संक्षेप में जो इसमें उनके आरोप हैं, उनको बतायें। उसके बाद में सम्बन्धित मन्त्रीगण और अन्य लोगों से मैं कहूंगा कि वह भी संक्षेप में स्पष्ट करें। इसमें कोई लम्बा विवाद नहीं होगा।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

श्रीमन्, मेरी इसमें नियम आपत्ति यह है और जिसके सम्बन्ध में विगत दिवस को माननीय सदस्य और अध्यक्ष जी का मैंने ध्यान भी आकर्षित किया था। जो इनका विशेषाधिकार का प्रश्न है वह 4 मन्त्रियों के विरुद्ध है---माननीय वित्त मन्त्री, स्वायत्त शासन मन्त्री, माननीय बिक्री-कर मन्त्री तथा माननीय सहकारिता मन्त्री। इसके अतिरिक्त विशेषाधिकार के प्रश्न की सदन में चर्चा की गयी है। दैनिक जागरण में दिनांक 8 अगस्त, 1977 के उद्धरण की, नेशनल हेराल्ड में 19 अगस्त, 1977 और दैनिक जागरण में 21 अगस्त, 1977 के उद्धरण में मैं आपका ध्यान नियमों की धारा 64 की ओर आकर्षित करूंगा "जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहें वे सचिव को लिखित सूचना देंगे। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायगी। यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के खिलाफ हो तो ऐसी सूचना द्वि-प्रतिक-प्रति की होगी जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जाएगी।" तो श्रीमन्, मेरी पहली आपत्ति है कि जिन 3 समाचार-पत्रों का उद्धरण किया गया है, वह घटना सदन में घटित नहीं हुई थी और न माननीय श्यामधर मिश्रा जी को कोई व्यक्तिगत जानकारी है। उन्होंने अपने विशेषाधिकार के प्रश्न में 3 समाचार-पत्रों का आधार बनाया है इसलिये उनको स्पष्ट समाचार-पत्रों के अंक या उसके उद्धरण टाइप कराकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए था।

मान्यवर, दूसरी आपत्ति यह है कि जिस माननीय सदस्य के विरुद्ध प्रश्न उठाया जाय उसको कम से कम उसकी जानकारी हो जाय कि क्या प्रश्न उठाया जा रहा है जिसको वह पढ़ कर उसका उत्तर दे सके। इसलिये इस सम्बन्ध में नियमों का पालन नहीं किया गया है चूंकि सूचना दो प्रतियों में होनी चाहिये थी क्योंकि जिस सदस्य के विरुद्ध प्रश्न उठाया जाय

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय—]

तो उसको दूसरी प्रति दी जा सके। इस विशेषाधिकार के प्रश्न में चूंकि 4 माननीय मन्त्रियों के खिलाफ प्रश्न उठाए गए थे इसलिये उनकी कम से कम 5 प्रतियां दी जानी चाहिए थीं। इसके अतिरिक्त मेरी यह भी आपत्ति है कि एक ही विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना में एक सदस्य के अलावा दूसरे सदस्य के विरुद्ध जो प्रश्न उठाया है वह नहीं उठा सकते थे। इसलिए निवेदन है कि चूंकि इन्होंने नियमों के अनुकूल प्रश्न नहीं उठाया है। इसलिये आप कोई सुनवाई आज न करें और प्रश्न नियमानुसार न होने से अस्वीकृत कर दें। इनको मौका मिलेगा लेकिन नियमानुकूल भेजते हुए प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री श्यामधर मिश्र से) आपको श्री सत्य प्रकाश मालवीय के प्रश्न के सम्बन्ध में क्या कहना है ?

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जिस दिन बजट प्रस्तुत होने वाला था . . .।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि मालवीय जी ने इस पर आपत्ति की कि नियम 64 के अनुसार जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहते हैं वह सचिव को लिखित सूचना देंगे और आपने वह दिया। यदि शिकायत का आधार लेख्य है तो मूल लेख्य सूचना के साथ संलग्न किया जाएगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, इसी सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अगर धारा 64 को पढ़ा जाय जिसको मन्त्री जी ने पढ़ा है। उनका कहना है कि एक तो मैंने 5 प्रतियां नहीं दिया, दूसरे मूल लेख्य नहीं दिया। धारा 64 को देखें। यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्वि-प्रतिक होगी।

श्री अध्यक्ष—

इसकी जरूरत नहीं है। यह तो मैंने मान लिया। दो प्रति आयी।

श्री श्यामधर मिश्र—

उन्होंने एतराज किया इसलिये कह रहा हूं। एक सदस्य के नाते मुझे जो चाहिए था वह मैंने कर दिया। इस नियमावली के अनुसार दो प्रति दे दीं। इसके बाद आपके सचिवालय का काम था कि वह पांच को देता या छै को देता और कृपा कर वह दे भी दिया। फिर धारा 64 में यह है कि जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहें वे सचिव को लिखित सूचना देंगे। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जाएगी। उन्होंने इस पर काफी जोर दिया। मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो बातें इस पत्र में रखी हैं तो अखबार एक पब्लिक डाक्यूमेन्ट होता है। मैंने तारीखवाइज दे दिया कि 21 तारीख का जागरण, 10 तारीख का नेशनल हेराल्ड।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, सुन लें। जब एक नियमापत्ति उठायी गयी और उसके बारे में आपने मिश्रा जी से अपनी बात कहने को कहा तो वह उस दायरे के अन्दर रहते हुए अपनी बात न कह कर उसके बाहर जा रहे हैं। इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

कोई भी निर्णय देने से पहले मैं शिकायत करने वाले सदस्य और अन्य सदस्यों से उनके विचार मांग सकता हूं। माननीय मालवीय जी ने आपत्ति की। इस वक्त मैं विशेषाधिकार के औचित्य में नहीं जा रहा हूं। जो आपत्ति माननीय मालवीय जी ने की है उसी के सम्बन्ध में मैंने श्री श्यामधर जी से उत्तर मांगा है। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामधर मिश्र—

इस शिकायत का आधार यह अखबार है जो पब्लिक डाक्यूमेन्ट है। मेरी समझ में यह आया कि पब्लिक डाक्यूमेन्ट की बात मैं तारीखशुदा दे दूं तो यह जो प्रिविलेज कमेटी बनेगी, यदि आप आज्ञा दे दें, तो वह जांच करेगी कि यह सही है या नहीं। इसी ख्याल से मैंने वाक्य नहीं उसके सब्सटेन्स को दे दिया कि इन इन तारीखों के इन-इन अखबारों में यह बात कही गयी। अगर मालवीय जी कहते कि जो श्यामधर जी कह रहे हैं वह इन-इन अखबारों में नहीं कहा गया है तब तो मैं मान लेता कि यह सही कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा बात यह है कि अखबारों में वह है। अखबारों में जो चीज है कमेटी देख लेगी। केवल टेक्निकल आब्जेक्शन पर आपको इन्कार नहीं करना चाहिए और आपको आज्ञा देनी चाहिए कि मैं उसके मैरिट पर बात करूं। मुझे मैरिट पर काफी बात करनी है। एक बात और श्रीमन् कहना चाहता हूं कि मैंने केवल विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया है बल्कि इसके साथ-साथ मर्यादा भंग की भी बात उठायी है। आपको श्रीमन्, कास्टोडियन के नाते देखना है कि विशेषाधिकार का भंग नहीं हुआ तो क्या मर्यादा का भंग हुआ है। यदि मर्यादा का भंग हुआ तो कौन रक्षा करेगा ? पहली बार आप एक रूलिंग दे चुके हैं कि जब सेशन चल रहा था तो कुछ वक्तव्य बाहर आए और आपने कहा कि, हां आए। लेकिन बार-बार अगर इस तरह की बात आए कि मर्यादा भंग हुई तो मेरी बात सुनने वाले नहीं हैं। तो मैंने इसलिए इस में केवल विशेषाधिकार की बात नहीं बल्कि मर्यादा भंग की बात कही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पूरी बात सुन लें और फिर आप अपना निर्णय दें। केवल टेक्निकल आब्जेक्शन के कारण कि अखबार जो कि पब्लिक डाकुमेंट है वह आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं इसलिए इसको खारिज कर दिया जाय यह आज्ञा तो आपकी शिरोधार्य है लेकिन मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करें और मेरिट पर बहस करने की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष--

नियमों के अनुसार इसका निर्णय करना है। टेक्निकल्टी का प्रश्न नहीं है। इस सम्बन्ध में इस पीठ से पहले भी इस प्रकार का प्रश्न उठा है। यह प्रश्न 7 सितम्बर, 1964 . . .

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

आपके निर्णय से पहले मैं मर्यादा के प्रश्न पर बोलना चाहता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष--

सबसे पहले मालवीय जी ने प्रश्न उठाया हैं। उस पर कह रहा हूं।

7 सितम्बर, 1964 को श्री नेक राम शर्मा ने विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया था। तो उस वक्त में जो माननीय अध्यक्ष ने अपना मत दिया था वह यह है "कि उनको चाहिए था कि नियम 64–65 के अन्दर उन लेख्यों को भी इसके साथ भेजते जिनका उल्लेख है। यह उन्होंने नहीं किया। ऐसी सूरत में तीनों विशेषाधिकार के प्रश्नों की अनुमति नहीं देता हूं।"

दूसरा प्रश्न था किसी समाचार-पत्र के आधार पर उठाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न के साथ केवल समाचार-पत्र की कटिंग भेजना अनियमित है। 30 अप्रैल, 1965 को सदन के कतिपय माननीय सदस्यों ने "कौमी आवाज" दैनिक समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी तथा उसके साथ उस पत्र की कटिंग भी भेजी। अध्यक्ष जी ने कहा "विशेषाधिकार का जब प्रश्न उठाया जाय तो कभी इस प्रकार की कटिंग नहीं भेजनी चाहिए। यह अनियमित है, पूरा अखबार भेजना चाहिए ताकि विश्वास हो जाय कि इस अखबार में छपा है।"

समाचार-पत्रों में किसी माननीय मन्त्री के वक्तव्य को विशेषाधिकार की सूचना के साथ देने पर ही उसके ऊपर विचार किया जा सकता है।

इसलिए आप ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उस पर आपको चाहिए था कि जिन अखबारों का उल्लेख किया है न केवल उनका उद्धरण देते बल्कि पूरे अखबार को देते और फिर इसके अतिरिक्त जो प्रश्न आपने इस में उठाया है यह बजट के लिकेज के सम्बन्ध में है और इसमें विशेषाधिकार का कभी प्रश्न इस सदन के अन्दर भी और लोक सभा में और हाउस आफ कामन्स में नहीं माना गया। जहां तक औचित्य का प्रश्न है उसको केवल एक सब्स-टेन्टिव मोशन के द्वारा लिया जा सकता है। वह आपका अधिकार है। जहां तक बजट का सवाल है इसके दो रूप हैं। सामान्य नीति सम्बन्धी-उसको अखबार में कहा जा सकता है। दूसरा कराधान सम्बन्धी। मैं उसमें इस समय नहीं जाता। जहां तक माननीय सदस्यों की इस पर राय जानने का प्रश्न है, नियमानुसार यदि अध्यक्ष चाहें तो मदद के लिए सदस्यों से परामर्श कर सकते हैं। तो चूंकि प्रारम्भ से इसमें आपत्ति थी और मैं यदि चाहता तो इसको अस्वीकृत करता लेकिन चूंकि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था और मुख्य मन्त्री और अन्य मन्त्रियों के विरुद्ध था, मैंने आवश्यक समझा कि इस सम्बन्ध में आपको भी अवसर दूं। यदि साधारण सदस्यों के विरुद्ध उठता तो शायद इसमें स्पष्टीकरण नहीं मांगता। जो माननीय मालवीय जी ने आपत्ति की है वह उचित है। आपको अपने विशेषाधिकार के साथ में इस अखबार को भेजना चाहिए था। इसलिए मैं इसको स्वीकृति नहीं देता हूं।

नेता विरोधी दल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने माननीय नेता विरोधी दल के विरुद्ध भेजा था। इसको भी मैंने अस्वीकृत किया है। उस में उन्होंने कहा है कि सदन में उन्होंने यह कहा कि बजट का लीकेज हुआ . . . . . .

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मुझे यह निवेदन करना है. . . .

श्री अध्यक्ष—

कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मुझे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे। अध्यक्ष स्वयं निर्णय ले सकता है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

जो मैं कह रहा था उसे सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसमें आवश्यकता नहीं है। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। इसमें अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि यह लीकेज हो गया तो यह मत का प्रश्न है। विरोधी दल के नेता समझते थे कि लीकेज है। इसलिए निर्णय मैंने यह दिया कि इसे मैं विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं मानता।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

आपने अस्वीकार कर दिया यह आपका निर्णय है। अगर माननीय नेता विरोधी दल के बजाय कोई और सदस्य रहा होता तो मैं ऐसी बात न कहता। माननीय नेता विरोधी दल, वित्त मन्त्री रह चुके हैं और संसदीय प्रक्रिया के प्रकाण्ड पंडित भी हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप नियमों को जानते हैं। जब मैंने अस्वीकार कर दिया तो फिर आप मेरी व्यवस्था पर बहस कैसे कर रहे हैं?

1977–78 के द्वितीय लेखानुदान का प्रस्ताव

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह सितम्बर और अक्तूबर, 1977 में '1977–78 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए द्वितीय लेखानुदान' के विवरण, जो 26 अगस्त, 1977 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1—4 में दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले

[श्री मधुकर दिघे]

अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 2,73,08,19,000 रुपए से अधिक न हो।

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इसमें परम्परा बहस की नहीं रही है। आप दो मिनट में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं तो इस लेखानुदान का ही जिसे माननीय वित्त मन्त्री ने प्रस्तुत किया है विरोध करता हूं। इस प्रदेश की 10 करोड़ की जनसंख्या है और बड़े-बड़े विकास कार्य यहां हुए हैं। यह लेखानुदान जो सरकार ने मांगा है प्रदेश की 10 करोड़ की जनता जो करों द्वारा सरकार को अपनी गाढ़ी कमाई में से देती है वह गलत इस्तेमाल करने का एक साधन बनेगा। मैं यह इसलिए यह बात कहता हूं कि पिछली सरकार ने 5 महीने का लेखानुदान पहले लिया था और 23 जून को विधिवत् रूप से प्रदेश में प्रेसीडेण्ट रूल खत्म हो गया और 23 जून से इस सरकार ने कायदे से काम करना शुरु कर दिया। सरकार चाहती तो बड़ी आसानी से इस बीच बजट प्रस्तुत कर देती और वह बजट इस माननीय सदन द्वारा पास किया जा सकता था लेकिन इस सरकार की नाअहलियत और अव्यवहारिकता के कारण बजट अब तक पेश नहीं हो सका और इसने दो महीने का लेखानुदान और मांगा है यानी कुल मिलाकर 7 महीने का लेखानुदान हो गया।

एक सदस्य—

आपकी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

यह 7 महीने का लेखानुदान हो गया और जब एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा बजट के बाद तो दो महीने पैसे के बटवारे में लगेगा .....

(व्यवधान)

आप सुनें। इसके माने हुए कि 9 महीने एसे ही निकल गए जनवरी, फरवरी और मार्च तीन महीने बचते हैं उस सूरत में जो इस प्रदेश के बजट का रुपया पास होगा उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा। एक महीना तो टेंडर काल करने में लग जायगा और केवल दो महीने रह जायेंगे। इस तरह से जो ग्रान्ट वाईज आप पास करेंगे उसका सही इस्तेमाल डेवलपमेंट के कार्य में खर्च नहीं हो पाएगा। नतीजा यह होगा कि हर इन्जीनियर अपनी जगह पर डर के कारण कि उसका जवाब तलब न हो, रुपया लैप्स न हो फर्जी मस्टररोल बनाएगा और रुपए की बरबादी होगी। इसलिए मेरा कहना है कि अगर लेखानुदान ही मांगना था तो 31 मार्च तक का लेखानुदान मांग लेते और जो लाखों करोड़ों रुपयों की बरबादी होगी वह भी नहीं होती और टैक्स का रुपया बच जाता। अगर एक साल ऐसा भी हो कि 31 तारीख तक लेखानुदान ले लेते एक मिरेकिल यह भी होता जहां इतने मिरेकिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में यह मिरेकिल भी हो जाता। जनता के पैसे का दुरुपयोग इससे नहीं होता और जो इन्जी-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियर फर्जी मस्टर रोल बना कर काम करेंगे उससे भी बचत होती। इसलिए मैं इस लेखानुदाने का विरोध कर रहा हूं। यह सरकार की इनएफिशेंसी, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का सबूत है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मुझे भी एक बात कहनी है. . . .

श्री अध्यक्ष—

श्यामधर जी आप जानते हैं, नेता विरोधी दल वित्त मन्त्री रह चुके हैं स्वयं दो मर्तबा लेखानुदान पास कर चुके हैं, जब यह वित्त मन्त्री थे।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं क्या कर सकता हूं अगर वह वित्त मन्त्री थे. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ सकते हैं। (व्यवधान) आप लोग शान्त रहें।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, आप बोलने का मौका भी देते हैं और नियम के विरुद्ध भी बताते हैं।

श्री अध्यक्ष—

नियम के विरुद्ध नहीं है। परम्परा रही है।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह जो आपने पुस्तक 'उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए द्वितीय लेखानुदान' प्रस्तुत की है उसके बीच में देखें. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

इसमें आपने दिया है मैं मोटे आंकड़े दे रहा हूं 1977–78 में 25 सौ 10 करोड़ की आवश्यकता होगी जिसमें 24 सौ 57 करोड़ वचनवद्ध व्यय को पूरा करने के लिए और शेष 52 करोड़ की धनराशि नई सेवा योजनाओं के लिए है। इसके माने मैं यह समझूं केवल कि 52 करोड़ रु0 की नयी सेवायोजनाओं के लिए केवल 5 महीने के लिए लिया जा रहा है क्या यह सही बात है? पांच महीने बीत गए हैं और दो महीने यह हो गए। तो पूंजीगत नई योजनाओं में इस साल खर्च नहीं होगा। अगर यह स्थिति है तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी दुखद स्थिति होगी। तीसरी बात यह है कि बताया जाय कि जबकि 23 जून से यह सरकार काम कर रही है, इन दो महीनों में ही पूरा सत्र करके पूरा बजट पास करा लिया जाता। आप बताएं कि आज इतनी देर में आने का कारण क्या है? आपकी ही अन्य प्रदेशों की सरकारों ने इस प्रकार से दो महीने का समय नहीं लिया है और उन्होंने समय पर अपना बजट पास कराया है।

एक सदस्य--

जब आपने कहा कि इस पर कोई विवाद की परम्परा नहीं है तो अब यह परम्परा क्यों तोड़ी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए ।

श्री मधुकर दिघे--

अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं माननीय श्यामधर जी के पहले प्रकरण का जवाब दूं, मैं माननीय रियासत हुसैन के प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहता हूं । इस सरकार का और मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि कोशिश करनी चाहिए कि लेखानुदान कम से कम लिया जाए । यह जो लेखानुदान लिया जा रहा है,यह एक विशिष्ठ परिस्थिति के कारण ही लिया जा रहा है । मुझे कोई आपत्ति न होती यदि आज बगैर चर्चा किए और बिना एक-एक ग्रान्ट पर विस्तार से चर्चा किए, यह बजट यहां पर पास कर दिया जाता । यदि ऐसा होता तो शायद मुझे लेखानुदान बहुत कम लेना पड़ता । लेकिन नई सरकार आने के बाद अपनी जनता पार्टी के मैनीफैस्टो और अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए इतने कम समय में अपने विचारों को जो इस बजट में पिरोना था, और जो जरूरी था और जो समय हमें मिला था, उस अल्प समय में क्या यह हमारे लिए सम्भव था कि विस्तार से आपके सामने बजट प्रस्तुत करते । इतना ही नहीं और उस कालावधि में विस्तार से चर्चा करने के हम आपके विशिष्ट अधिकार से आपको वंचित नहीं करना चाहते थे । इसलिए हमने दोनों बजट एक साथ पेश किए हैं और जिन कारणों से हमें लेखानुदान लाना पड़ा है उनको ध्यान में रखकर ही यह केवल दो महीने का लेखानुदान इस सदन में पेश किया गया है । यह कोई नई बात नहीं है, इसके कई हमारे सामने दृष्टान्त हैं । सन् 1967-68 में और 1970-71 में भी यह किया जा चुका है । दूसरे राज्यों में भी जो इस वक्त स्थिति है उसके अनुरूप ही हमने काम किया है । इस सदन को उसके अधिकारों से वंचित करें और उसे नजरअन्दाज किया जाय या सदन के बाहर जाकर खर्च करने की जो पूर्व सरकार की आदत थी, उसको चालू रखा जाए, ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है ।

हमारे नेता विरोधी दल और दूसरे सदस्य परस्पर राय करके एक मत के हो जायं तो इसमें भी समय घटाया जा सकता है । लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें होंगी । एक यह होगी कि मैं कैसे माननीय सदस्यों को उनका अधिकार देने से इंकार कर सकूंगा क्योंकि वह और सरकार भी यही चाहती है कि बजट के सभी अंगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाय । बजट के सभी अंगों पर विस्तार के साथ चर्चा करने के बाद इसको स्वीकार किया जाय । लेखानुदान प्रस्तुत करने के लिए जनता पार्टी की सरकार की कुछ मजबूरियां थीं । उन मजबूरियों को ध्यान में रखकर मैंने दोनों काम साइमल्टेनियसली किए हैं । लेखानुदान पहले नहीं लिया । बजट और लेखानुदान एक साथ प्रस्तुत किए । इससे हमारा इरादा स्पष्ट हो जाना चाहिए । मैं रियासत हुसैन साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार की यह कभी भी परम्परा नहीं रहेगी, कतई इरादा नहीं कि माननीय सदन के जो अधिकार हैं उनको पास-आन कर दें । सरकार का अपने हाथ में ज्यादा अधिकार, जो पुरानी सरकार करती रही है, लेने का कोई इरादा नहीं है । मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आम-

तौर पर यह परिपाटी रही है कि माननीय सदन में जब लेखानुदान प्रस्तुत होता है उस पर कोई चर्चा नहीं होती।

माननीय श्यामधर मिश्र ने जो प्रश्न पूछा अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं। शायद ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कुछ गलतफहमी हो गयी है। मान्यवर, यह जो 2,510 करोड़ का जो मैंने आंकड़ा दिया इसमें इनको बता दूं कि क्या-क्या है। 2,510 करोड़ में 52 करोड़ एस0एन0डी0 का अमाउंट है। इसको निकाल कर 2,458 करोड़ हो जाता है। पहला वोट आन-अकाउन्ट 1,011 करोड़ का लिया गया था जिसमें 707 करोड़ रु0 मतदेय तथा 304 करोड़ रु0 भारित था।

केवल इस सदन को मतदान करना है 273 करोड़, क्योंकि 136 करोड़ का जो भारित व्यय है वह सदन के सामने मतदान के लिए आता नहीं है। इससे स्पष्ट हो जायगा। उनकी जानकारी की कमी थी।

श्री श्यामधर मिश्र––

हो सकता है कि भ्रम हो, मुझे खुशी होगी अगर दूर हो सके। सात महीने में दो महीने बाकी है। 52 करोड़ से पूंजीगत नयी योजना नहीं लागू होगी। मैं सही हूं या नहीं?

श्री मधुकर दिघे––

मैंने बता दिया फिर भी आप पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि 52 करोड़ एस0एन0डी0 अमाउन्ट को निकाल कर 2,458 का हिसाब बता दिया। अब आप जानना चाहते हैं. . .

श्री श्यामधर मिश्र––

बिलकुल साफ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष––

यह तो आप बजट पर प्रश्न करें तब माननीय मन्त्री विस्तार से उत्तर दे देंगे।

श्री मधुकर दिघे––

इन सब चीजों के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो उत्तर मैं विस्तार से बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष––

माननीय श्यामधर जी का प्रश्न केवल पांच महीने के बारे में है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस वक्त लेखानुदान का प्रश्न है। जब बजट पर सामान्य वाद-विवाद शुरू हो तब आप अपनी आपत्ति रखें।

श्री श्यामधर मिश्र––

दो महीने में पूंजीगत जो नयी योजना है वह लागू नहीं होगी और पांच महीने में लागू नहीं हुई। लेखानुदान में कोई नई योजना नहीं ली जा सकती। तो अगले पांच महीनों में यह कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष––

वित्त मन्त्री जी आपको कुछ कहना है ?

श्री मधुकर दिघे––

मने विस्तार से बता दिया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह सितम्बर और अक्तूबर, 1977 में 1977-78 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए द्वितीय लेखानुदान के विवरण जो 26 अगस्त, 1977 को सदन में प्रस्तुत किया गया के पृष्ठ 1-4 में दिए हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी पेशगी दी जाय जो 2,73,08,19,000 रुपए से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

विधेयक की प्रतियां कृपया वितरित कर दी जायं।

(विधेयक की प्रतियां वितरित होना प्रारम्भ।)

श्री मधुकर दिघे--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं। (कुछ रुक कर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3 अनुसूची, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977

1 अप्रैल, 1977 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है --

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 1977 कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1977-78 के लिए 4,09,66,06,000 रुपयों का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रल, 1977 ई0 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किए जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 4,09,66,06,000 रु0 (रुपए चार अरब, नौ करोड़, छियासठ लाख, छः हजार) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिए गए हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2	3	4	5
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (सहस्त्र रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मन्डल	26,42,	44,	26,86,
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय ..	..	2,18,	2,18,
3	मंत्रि-परिषद् ..	8,58,	..	8,58,
4	न्याय प्रशासन ..	1,12,80,	22,44,	1,35,24,
5	निर्वाचन ..	35,08	..	35,08,
6	वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर ..	1,69,	1,	1,70,
7	भू-राजस्व ..	6,11,11,	1,62,55,	7,73,66,
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण	24,50,	1,	24,51,
9	भूमि और भवन कर	5,	..	5,

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

अनुसूची —(क्रमश :)

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
10	राज्य आबकारी ..	24,76,	1,	24,77,
11	बिक्री-कर ..	1,14,10,	77,39,	1,91,49,
12	मोटर गाड़ियों पर कर	1,43,42,	1,	1,43,43,
13	अन्य कर और शुल्क	24,58,	1,	24,59,
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति	8,03,	..	8,03,
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	5,91,42,	5,91,42,
*16	ब्याज का भुगतान ..	..	18,32,13,	18,32,13,
*17	लोक सेवा आयोग ..	..	6,64,	6,64,
18	सचिवालय	1,18,52,	1,	1,18,53,
19	जिला प्रशासन ..	1,66,84,	3,	1,66,87,
20	कोषागार तथा लेखा प्रशासन ..	30,16,	1,	30,17,
21	पुलिस ..	11,17,12,	1,	11,17,18,
22	कारागार ..	98,76,	1,	98,77
23	लेखन-सामग्री और मुद्रण	88,77,	..	88,77,
24	सार्वजनिक निर्माण-कार्य	16,05,	3,	16,08,
25	अन्य प्रशासनिक सेवायें	83,08,	1,	83,09
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें	1,93,73,	73,	1,94,46,
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	1,12,59,	1,	1,12,60,
28	शिक्षा ..	40,30,41,	1,	40,30,42,
29	कला एवं संस्कृति ..	12,68,	1,	12,69,
30	वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध ..	11,86,	..	11,86,
31	चिकित्सा ..	7,83,97,	2,	7,83,99,
32	परिवार कल्याण ..	2,44,83,	1,	2,44,84,
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,37,41,	1,	4,37,42,
34	आवास भवन ..	15,75,	41,	16,16,
35	नगर विकास ..	7,09,	..	7,09,
36	सूचना तथा प्रचार ..	28,96,	1,	28,97,
37	श्रम एवं सेवायोजन	1,34,34,	1,	1,34,35,

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम–संख्या।

अविभाजित उत्तर प्रदेश

अनुसूची—(क्रमश :)

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
38	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण)	2,75,82,	1,	2,75,83,
39	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें ..	86,71,	5,	86,76,
40	दैवी आपदाओं के कारण सहायता ..	36,34,	36,34,	72,68,
41	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	1,66,	..	1,66,
42	सहकारिता ..	1,14,20,	1,	1,14,21,
43	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र ..	11,39,06,	6,	11,39,12,
44	अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें ..	33,22,	1,	33,23,
45	कृषि ..	4,32,19,	7	4,32,26,
46	औद्यानिक विकास ..	37,88,	33,	38,21,
47	गन्ना विकास ..	1,50,55,	1,	1,50,56,
48	सामुदायिक विकास	4,70,43,	5,	4,70,48,
49	भूमि तथा जल संरक्षण	79,40,	1,	79,41,
50	क्षेत्र विकास ..	1,63,14,	..	1,63,14,
51	खाद्य ..	84,55,	8	84,63,
52	पशुपालन ..	1,76,94,	1,	1,76,95,
53	दुग्धशाला (डेरी) विकास	12,37,	1,	12,38,
54	मत्स्य उद्योग ..	15,21,	1,	15,22,
55	वन ..	1,18,17,	7,	1,18,24,
56	उद्योग ..	85,28,	1,	85,29,
57	ग्राम एवं लघु उद्योग	89,61,	..	89,61,
58	खानें तथा खनिज ..	9,65,	1,	9,66,
59	विद्युत् विकास ..	33,34,	..	33,34,
60	राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	12,62,94,	1,	12,62,95,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची--(क्रमश :)

1	2	2	3	4
		रु0	रु0	रु0
61	सिचाई अधिष्ठान ..	5,73,02,	2	5,73,04,
62	सिविल विमानन ..	2,05,	..	2,05,
63	संचार साधन ..	4,41,59	2,	4,41,61,
64	कार्यात्मक भवन ..	16,12,	3,	16,15,
65	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान ..	2,53,80,	1,	2,53,81,
66	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान ..	85,74,	..	85,74,
67	सड़क तथा जल परिवहन	1,95,	..	1,95,
68	पर्यटन ..	4,48,	..	4,48,
69	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण	1,76,65,	..	1,76,65,
70	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1,57,03,	17,	1,57,20,
71	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	27,17,	54,	27,71,
72	चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ..	16,02,	..	16,02,
73	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	43,52,	8,	43,60,
74	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ..	9,43,	8,	9,51,
75	सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,02,65,	..	2,02,65,
76	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4,02,48,	1,	4,02,49,

विधान सभा उत्तर प्रदेश

अनुसूची--(क्रमशः)

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
77	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2,07,05,	83,	2,07,88,
78	जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर	5,08,	..	5,08,
79	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5,57,59,	1,	5,57,60,
80	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	37,35,	..	37,35,
81	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय ..	32,23,17,	..	32,23,17,
82	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	1,12,	..	1,12,
83	वनों पर पूंजीगत परिव्यय	1,64,	1,	1,65,
84	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	27,79,50,	1,	27,79,51,
85	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	3,07,00,	..	3,07,00,
86	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	6,43,41,	8,	6,43,49,
87	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,	..	1,
88	पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	2,46,	..	2,46,
*89	राज्य सरकार के ऋण	..	1,09,22,23,	1,09,22,23,
90	ऋण और अग्रिम-शिक्षा	15,67,	..	15,67,
91	ऋण और अग्रिम-- स्वायत्त शासन ..	1,97,09,	..	1,97,09,
92	ऋण और अग्रिम-- सहायता एवं पुनर्वासन	9,21,	..	9,21,

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

अनुसूची—(समाप्त)

1	2		3	4
		रु0	रु0	रु0
93	ऋण और अग्रिम—— उद्योग . .	1,81,32,	. .	1,81,32,
94	ऋण और अग्रिम—— सहकारिता . .	63,79,	. .	63,79,
95	ऋण और अग्रिम—— कृषि . .	35,63,	. .	35,63,
96	ऋण और अग्रिम—— विद्युत् . .	28,23,53,	. .	28,23,53,
97	ऋण और अग्रिम—— वित्त . .	26,17,	. .	26,17,
	योग . .	2,73,08,19,	1,36,57,87,	4,09,66,06,

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे——

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1977–78 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष——

अब वित्तीय वर्ष 1977-78 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी। इस पर बोलने के लिए माननीय मुख्य मन्त्री एवं नेता विरोधी दल का कोई समय निश्चित नहीं है, बाकी अन्य सदस्यों के लिए 10-10 मिनट है और जो अन्य नेता दल हैं, उनके लिए 25-25 मिनट का समय होगा। मन्त्रियों के लिए भी 25 मिनट का ही समय होगा।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं बड़े दुःख के साथ और खेद के साथ आज इस बजट के ऊपर जिसको हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, चर्चा शुरू कर रहा हूं। मैंने दुःख और खेद की बात इसलिए कही है क्योंकि यह वह समय है जब कि बार-बार और कई बार और करीब-करीब हर साल इस सदन में रिवाइज्ड सप्लीमेन्टरी बजट पेश हुए हैं। आज उसकी जगह पर हमारा जो मूल बजट है, उसी पर चर्चा शुरू हो रही है! इससे स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार ने अपने 2 1/4 महीनों के कार्यकाल में इस बजट को कोई अहमियत ही नहीं दी है और उनके पास इससे भी ज्यादा जरूरी कोई काम था जिसमें ये लगे रहे। आज हमारे वित्त मन्त्री जी फिर एक बार 2 महीने के लिए लेखानुदान लाये हैं। बहरहाल जो बजट स्पीच 29 सफों में है और जिसको हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने 2 घंटों में पढ़ी, उसको हमने बड़े गौर से सुना और पढ़कर और सुनकर ऐसा मालूम हुआ जैसे कि हम कुछ ख्वाबों की दुनिया में घूम रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बजट वर्ष 1977-78 का है? पढ़कर कुछ ऐसा मालूम होता है कि इस माननीय सदन

(इस समय 12 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा गोठा-सीन हुए।)

का जो कार्यकाल है, इस वक्त तो 6 साल का है, मालूम नहीं आगे क्या होगा, उसके लिए एक ही दफा में पहली बार बजट प्रस्तुत कर दिया गया है। कल्पनायें तो बहुत हैं, संकल्प भी बहुत हैं कि जनता पार्टी ने अपने मैनीफेस्टो में कहा है उसको पूरा करने के लिए वह दृढ़ संकल्प है। और इरादा मजबूत मालूम होता है लेकिन जो समय 31 मार्च का दिया हुआ है कि इस समय में कामों को पूरा होना जरूरी होगा। मैं समझता हूं इस थोड़े से समय में अमली तरीके से कुछ नहीं हो पाएगा और यह सारा समय इसी उधेड़-बुन में लग जायगा कि क्या-क्या कार्यवाही हुई, किस-किस कार्य को पूरा होना था, इसकी रिपोर्ट ली जायगी और फिर कमिशन नियुक्त किए जायेंगे। तो इस प्रकार 4-5 महीने का समय इसी उधेड़-बुन में चला जायगा। इसके अन्दर जितनी चीजें कही गयीं हैं कि ज्यादातर रुपया देहात की जनता के ऊपर खर्च होगा, जो वाकई में पिछड़ी हुई है और इसमें दो राय नहीं हैं कि सारे देश में उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ सूबा है और आज इस प्रदेश के अन्दर 25-26 जिले ऐसे हैं जो बेइन्तहा पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, जिनका कोई विकास नहीं हुआ हालांकि पिछले सालों में विकास के निगम भी बने, उसके लिए रुपया भी मंजूर हुआ लेकिन कुछ ऐसे हालात बने, ऐसी चीजें हुईं जिनकी वजह से विकास नहीं हो पाया।

आज भी हजारों लोग ऐसे हैं, जैसे कि हरिजन हैं कि उनके पानी पीने का प्रबन्ध नहीं है। 30-31 सालों की आजादी के बाद भी हजारों लोग ऐसे हैं जहां आज भी हरिजन पोखरों के पानी पीते हों, दो-दो मील नदियों से पानी लाकर पीते हों, इससे बढ़कर क्या सबूत होगा इस प्रदेश के पिछड़ेपन का? लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान सरकार कहेगी कि यह सब तो पुरानी बातें हैं, लेकिन यह सोचने की बात है कि जब से वर्तमान सरकार शासन में आयी, दो महीने का जो अरसा हुआ है, इसके अन्दर ही अगर सारे कारनामों को देखा जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

तो फिर यह सोचना पड़ेगा और अगर ईमानदारी के साथ मुख्य मन्त्री जी और दूसरे अन्य इस माननीय सदन के सदस्य सभी अपने दिल पर हाथ रखकर देखेंगे और सोचेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ला एन्ड आर्डर की हालत खराब हुई है, अच्छी नहीं हुई है। अखबार रोजाना पढ़िए, हर क्षेत्र में चाहे मजदूरों का हो, चाहे किसानों का हो या कोई भी हो, विद्यार्थियों की संस्थाओं का हो, शिक्षा संस्थायें हों, किसी भी तरफ चले जाइए, हर तरफ देखने को मिलेगा कि अराजकता बढ़ी है, घटी नहीं है। इसकी जिम्मेदारी तो कम से कम इस सरकार के दो महीने के शासन पर आती ही है।

इसके अलावा यह भी देखने की बात है कि जिस दिन से जनता पार्टी सरकार में आयी तो निश्चय ही जनता पार्टी की सारी शक्ति इस बात में लगी रही कि कौन-कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले इमरजेन्सी के दौरान में ज्यादती की, जुल्म किए और उन्हीं के खिलाफ कमीशन और पकड़-धकड़ की बात की। ठीक है, लेकिन क्या यह वाकया नहीं है कि प्रदेश की जनता इस बात को देखेगी कि हमने जनता पार्टी को चुनकर भेजा है, उसके हाथ में शासन दिया है तो क्या केवल इसलिए दिया है कि हजार, दो हजार या 500, जितने भी लोग हैं जो दूसरे दल के हैं, कांग्रेस दल के हैं जिन्होंने इमरजेन्सी में ज्यादतियां कीं और करायीं तो उनको ही कमीशन लगा-लगा कर जेलों में बन्द कर दिया जाय, या इसलिए दिया है कि एक तब्दीलशुदा नए शासन के सामने इस प्रदेश के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवा-दारू और बेरोजगारी के जो बनियादी मसले हैं, उनको दूर करने के लिए इस सरकार के हाथ में जनता ने शक्ति दी है? यह न भूलिए कि इस प्रदेश की जनता ने आपके अन्दर विश्वास प्रकट किया है और 30 साल के कांग्रेस शासन से जब निराशा जनता को हो गयी थी और उसने यह देखा कि इस सरकार से बुनियादी मसले हल नहीं हो पा रहे हैं तो उसने आपके अन्दर विश्वास प्रकट किया है कि आपके द्वारा इन बुनियादी मसलों की पूर्ति होगी और इस प्रदेश के अन्दर रोटी के बिना कोई भूखा नहीं रहेगा, तन किसी का बिला ढके नहीं रहेगा, रहने के लिए मकान सबको मिलेगा, दवा दारू और शिक्षा का प्रबन्ध होगा। याद रखिए कि अगर इस प्रदेश की जनता का वह भरोसा और विश्वास टूटा तो फिर जो हस्र 30 साल के बाद कांग्रेस सरकार का इस प्रदेश की जनता ने किया है वह आपका भी हो सकता है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए।

जब हम इस सब चीज को देखते हैं, हरिजन भाइयों के अन्दर जाते हैं और यह अन्दाजा लगाते हैं कि क्या गांव-गांव में हवा थी और अब क्या हो गयी तो हम देखते हैं कि आज हरिजनों को जमीन के ऊपर बैठाया जाता है, चारपाई पर बैठने तक नहीं दिया जाता। जो जमीनें उनको भूमि आबंटन में मिली थीं उनको दोबारा फिर कब्जे में कर लिया गया और यह कह कर कर लिया गया कि अब जनता पार्टी की सरकार है, इन्दिरा गांधी और कांग्रेस का राज नहीं है।

यह बड़े दुःख और शर्म की बात है। मुझ से कल ही एक आदमी ने पूछा कि बाबूजी, क्या कोई ऐसा कानून बन गया है कि जो जमीनें हरिजनों को दी गयीं थीं वह वापस ले ली जायेंगी। हमने कहा कि तुम हम से कह रहे हो, कहीं किसी हरिजन से न कह देना, अगर किसी हरिजन ने सुन लिया और रिपोर्ट कर दी तो जेल में बन्द कर दिए जाओगे। मैं जानता हूं कि मुख्य मन्त्री जी हर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिख रहे हैं, आदेश पर आदेश दे रहे हैं कि अगर किसी हरिजन के साथ ज्यादती हुई तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

उस जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की होगी। लेकिन क्या उन आदेशों की अवहेलना नहीं हो रही है? हर जिले में आज वही परिस्थिति है। एस0 डी0 एम0 और डी0 एम0 आर्डर दे देते हैं लेखपालों और कानूनगो को कि इनकी जमीन का कब्जा दोबारा कराओ और इनको किसी किस्म की परेशानी न हो लेकिन आपके लेखपाल और कानूनगो अपनी जगह से हटना नहीं चाहते क्योंकि वह जानते हैं कि हरिजन भाइयों की जेब से कोई पैसा मिलने वाला नहीं है जबकि जिसके कब्जे में वह जमीन है वह आदमी जब वह गांव में जाते हैं तो उनको चाय पिलाता है, उनकी खातिर तवाजा करता है, तो हम क्योंकि बिला किसी फायदे के उस भाई के हाथ से जमीन निकालकर हरिजन को कब्जा दिलायें। कई जगह जमीनें हरिजनों को दीं लेकिन फिर दोबारा उन पर कब्जा कर लिया। मिसाल के लिए मेरे ही क्षेत्र में सकटपुरा गांव है। वहां दो बार हरिजनों को कब्जा दिलवाया गया लेकिन वहां के रहने वाले जो एक विशेष कम्युनिटी के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से माननीय सदस्य समझ गए होंगे, वे यह कह कर कब्जा ले लेते हैं कि तुम यह नहीं जानते कि दिल्ली के अन्दर किस की हुकूमत चल रही है, उनकी हुकूमत के रहते तुम यह जमीन जोतोगे? मैंने इस तरह एस0 डी0 एम0 का ध्यान दिलाया और उनसे कहा कि आप एक बार जा कर जिन लोगों ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है आप उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही तो कीजिए। तहसील-दार महोदय गए तो उन्होंने केवल एक आदमी को जिसको जमीन नहीं मिली थी उसको कब्जा दिलाया लेकिन हरिजन भाइयों ने जब कहा कि हमको भी कब्जा दिला दीजिए तो उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। यह अभी चौथे दिन का वाकया है। ऐसे अधिकारी के साथ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए जो एक आदमी को तो कब्जा दिलाए और हरिजन भाई जब वह आर्डर दिखा रहे हैं जिस पर कलेक्टर ने लिखा है कि इन लोगों को कब्जा दिलाया जाय तो वह साफ मना कर देता है और कहता है कि इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है।

तो यह जो दो महीने का कार्यकाल है इसके अन्दर सामूहिक रूप से यह तस्वीर बनी है कि हो गया जो होना था, ऐसी गलती अपनी उम्र में पहली बार की कि जनता पार्टी को वोट दिया। लखनऊ के रिक्शा वालों से पूछिए कि कैसी गुजर रही है वह कहेगा कि क्या बतायें साहब,न दाल मिलती है, न आटा मिलता है, जो महंगाई बढ़ रही है उसके घटाने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। और इस सरकार के अन्दर पूरा जो व्यापारी वर्ग है वह फायदा उठा रहा है। जो साधारण जनता है जिनके घरों के अन्दर महीने भर का बजट 500 रुपए का होता था वह अब 800 रु0 का हो गया है और वह 300 रु0 इधर उधर से इकट्ठा करता है।

आपने इस बजट के अन्दर काफी करप्शन रोकने की कोशिश की है कि हर जिले के अन्दर एक-एक इन्स्पेक्टर तैनात कर दिया गया है। अरे आप जरा उनके कारनामें तो उठा कर देखिए कि इन दर्मियान उन्होंने कितने लोगों को पकड़ा है। जब कोई आदमी उनके पास जाता है यह कहने के लिए कि फलां आदमी मुझसे इतना रुपया मांगता है, वहां उस आदमी को इतना डिमारलाइज कर दिया जाता है कि वह आगे कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं करता है। उससे कहा जाता है कि क्या तुम इस बात का सबूत दोगे, गवाह दोगे? इस किस्म जब उससे क्रास-क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वह हाथ हिलाता हुआ चला आता है। आज अदालतों के अन्दर जो तारीख लगाने के लिए रिश्वत ली जाती थी, क्या उसमें कोई कमी हुई है? अदालतों के अन्दर कोई किसी किस्म की रिश्वत लेने के लिए कोई रोक नहीं है।

[श्री रियासत हुसैन]

मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर भी कहा था और आज भी कह रहा हूं जो इमरजेन्सी लगी हुई थी, जब तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम चला किसानों को मालूम भी नहीं हुआ कि इमरजेन्सी के नाम की कोई चीज चल रही है। उससे पहले कि किसानों को रिश्वत देकर खेतों के लिए पानी लेना पड़ता था, थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए रिश्वत देना पड़ता था, मुकदमें की तारीख लगवाने के लिए रिश्वत देना पड़ता था लेकिन इमरजेन्सी के जमाने में यह चीज नहीं रही। जो नशबन्दी का प्रोग्राम चला था, और इमरजेन्सी में जो लोग बन्द थे, उन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ आवाजें फैलाई, जिसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस बुरी तरह से हार गयी और जनता पार्टी की सरकार बनी। आज क्या तहसील के अन्दर दाखिल खारिज कराने में रिश्वत में कोई कमी हुई है? थाने के अन्दर रपट लिखाने के लिए रिश्वत में कोई कमी हुई है? क्या आज लेखपालों में रिश्वत लेने की कमी हुई? कहीं पर भी कोई कमी नहीं हुई है। आज जिस जनता ने इस 30 साल की हुकूमत वाली कांग्रेस को निकाल कर फेंक दिया है वही जनता इस सरकार को भी निकाल कर फेंक सकती है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी के चरणों में आज बैठे हैं। सारा सदन जब बोलने के लिए खड़ा होता है तो महात्मा जी की तस्वीर सामने पड़ती है। आज देश के प्रधान मन्त्री मोरारजी भाई हैं। वह मोरार जी भाई जो प्राहिविशन कौंसिल के अध्यक्ष रहे। हम उस वक्त यह समझा करते थे कि अगर मुरार जी भाई को 24 घंटे की हुकूमत मिल गयी तो जिस तरह के निजामुद्दीन साहब ने 24 घंटे के अन्दर चमड़े का सिक्का चलवा दिया था, तो उसी तरह से मुरार जी भाई शराब के पीने पर प्रतिबन्ध लगा देंगे और यह उनका कदम ऐसा होगा जो इतिहास में हमेशा लिखा जायगा? लेकिन आज शराब की हालत क्या है और पीने वालों की हालत क्या है? पहले तो कुछ आड़ में पिया करते थे, अब तो सड़क पर खड़े होकर और दफ्तर में बैठ कर शराब पी जाती है। यह मोरारजी भाई के कार्यकाल में हो रहा है। जगह-जगह पर मीटिंग हो रही हैं। प्रोग्राम बन रहे हैं।

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह बजट पर बोल रहे हैं या हमारी केन्द्रीय सरकार की नीतियों पर बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप शान्ति बनाए रखें, यह देखना मेरा काम है।

श्री रिसासत हुसैन—

प्रोग्राम बन रहा है कि 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिन पर दिल्ली के अन्दर जुलूस निकलेगा और मोरार जी भाई के पास जायगा। एक डिमांस्ट्रेशन होगा और उनके पास जायगा। डेपुटेशन यह कहेगा कि प्रोहिबिशन किया जाय। शराब बन्दी करें। मैंने उस दिन भी कहा था, मेरी समझ में नहीं आया कि क्या मोरारजी भाई के सामने जाकर जनमत दिखाना पड़ेगा कि देश की जनता इस मामले में क्या चाहती है। इस मामले में तो तुरन्त ऐक्शन होना चाहिए। मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी आशा करता हूं कि आदेश जारी होगा कि 2 अक्तूबर से प्रदेश के अन्दर शराब बिल्कुल बन्द कर दी गयी है। यह आर्डर जारी करना

चाहिए महात्मा गांधी के जन्म दिन पर। नशा बुरी चीज है, शराब बुरी चीज है, इसको बन्द करने के समय अगर आप बन्द नहीं कर पाए तो यह समझ लीजिए कि देश में कोई नया काम नहीं हो पाया। कहा यह जाता है कि रुपयों का मामला है। 35-40 करोड़ एक्साइज से मिलता है। लाटरी से मिलता है। मेरी समझ में नहीं आता, बड़े बूढ़ों के कहने के मुताबिक, अपनी धार्मिक किताबों के पढ़ने के मुताबिक, उनमें यह कहा गया है कि नाजायज कमाई के अन्दर कोई बरकत नहीं होती है। हलाल की कमाई के अन्दर बरकत होती है। लाटरी जैसी चीज समझ में नहीं आती है। अगर सूबा लाटरी चलाए तो ठीक है, लेकिन अगर मुरादाबाद के सट्टे बाज सट्टा लगायें तो उनको पकड़ कर बन्द कर दिया जाता है। अगर रिक्शा चलाने वाला पीता है तो कांस्टेबिल उसको पकड़ कर बन्द कर देता है, । लेकिन नैनीताल में बोट-क्लब में बैठकर तो बड़े-बड़े अफसर, मैजिस्ट्रेट, वकील, कलेक्टर और जज वहां शराब पिये तो कोई जुर्म नहीं है।

यह दो तरह की बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं कि आखिर यह 2 अलग-अलग चीजें क्यों हैं ? माननीय मुख्य मन्त्री जी आपको शायद मालूम न हो कि आगे क्या होने वाला है। मैं आपकी पार्टी के अन्दर जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन वहां जो डि-सैटिशफैक्शन और अविश्वास चल रहा है उससे आप परिचित होंगे और देश और प्रदेश जानता है। लेकिन अगर आपने यह काम कर दिया कि 2 तारीख को नशाबन्दी इस प्रदेश में लागू हो जायगी, तो कोई परवाह नहीं कि आपके पक्ष में बैठने वाले कुछ लोग नाराज भी हों तो भी आपका नाम इस प्रदेश के अन्दर, इस इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जायगा। मैं आशा करता हूं कि इस दौरान में जनता पार्टी की सरकार यह काम जरूर करेगी।

एक बात को मैं और कहना चाहता हूं। सरकार की पालिसी है, आपकी पालिसी है कि जिसके 58 साल पूरे हो गए हैं उसको रिटायर कर दिया जायगा। तो यह पालिसी सबके ऊपर बराबर लागू होनी चाहिए। एक्सटेंशन देते हैं तो सबको दीजिए। अगर कोई मेडिकली फिट है, अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है और उसके खिलाफ कोई एडवर्स रिपोर्ट नहीं है, तो दीजिए। लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं अगर वह एक्सटेंशन मांगें और यह कह दिया जाय कि गवर्नमेंट की पालिसी है कि एक्सटेंशन नहीं दिया जायगा, चाहे उसके बच्चे की शिक्षा रह जाय लेकिन उसके लिए कोई रियायत नहीं होगी। लेकिन यदि उच्च अधिकारी चाहे वह चीफ सेक्रेटरी के ब्रान्च का क्यों न हो उसको एक्सटेंशन यदि दिया जाता है तो यह शेम की बात है।

जनता पार्टी के मेनीफेस्टो को यदि पढ़ा जाय तो मालूम होता है कि समाजवादी व्यवस्था लागू हो जायगी। उसके माने हैं कि जो भी आराम पहुंचे या जो भी सहायता मिले वह छोटे कर्मचारियों और गरीबों को मिले। यह नहीं कि एक आदमी को एक्सटेंशन इसलिए दिया जाय कि वह लखनऊ में लाखों रुपए की प्रापर्टी पैदा कर ले। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से मैं मांग करता हूं कि अनु सचिव जोकि चीफ सेक्रेटरी के हैं उन्होंने लखनऊ में कितनी प्रापर्टी पैदा की है इसकी जांच की जाय ? जिस तरह शासन ब्यूरोक्रेसी का चल रहा है उसमें एक मौका इसलिए मिल गया चूंकि हमारे सामने बैठने वाले मन्त्रिगण तजुर्बेकार नहीं हैं। वह समझते हैं कि अब मामला फिट हो गया चूंकि मन्त्री तो जानते नहीं हैं इसलिए उनको पढ़ा कर जैसा चाहें, वैसा करा लें। इसलिए आपको साबित

[श्री रियासत हुसैन]

करना होगा कि नया घुड़सवार ही सही लेकिन आपके हाथों में बल है इसलिए घोड़े को काबू में रखेंगे। यदि यह बात साबित नहीं कर सके तो जिस तरह पं० गोविन्द बल्लभ पन्त, सम्पूर्णानन्द जी, चन्द्र भानु गुप्त, चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मन्त्री के पद पर बैठे लेकिन ब्यूरोक्रेसी बराबर हावी होती रही तो उससे आप भी बच नहीं पायेंगे। जैसा हमने पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने मान लिया कि हमने कम्पलसरी के आर्डर नहीं दिए थे लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने जबरदस्ती कर दिया। वह कब्जे में नहीं आए। यदि आपके भी कब्जे में ब्यूरोक्रेसी नहीं हुई तो समाजवाद को सबसे बड़ा खतरा यह साबित होगा। ब्यूरोक्रेसी ने ही कांग्रेस को ठिकाने बैठा दिया। इसलिए उसकी ओर आपको ध्यान देना है।

श्रीमन्, आपने देहात के किसानों के बारे में बजट में तो कहा इसलिए मेरी दुआ है कि कोई ऐसा जादू का चिराग लेकर 31 मार्च तक पूरा कर दें। यदि 31 मार्च, 1978 तक नहीं तो अगले मार्च तक ही पूरा कर दें तो उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल जायगा। इसमें दो राय नहीं हैं। लेकिन कहीं बजट बुकलेट का हाल ऐसा न हो जाय जैसा कि समाजवादी कांफ्रेन्स में जो प्रस्ताव पास होते हैं लेकिन वह कागज पर वैसे ही पड़े रह जाते हैं।

श्रीमन्, एक बात मुझे और निवेदन करना है कि प्लान्ट प्रोटेक्शन का काम आप गवर्नमेंट की तरफ से अपने खर्चे पर कराएं चाहे किसान से लगान के साथ सब्सीडाईज्ड रूप में खर्चे को वसूल कर लें। इस काम को आप करायें चूंकि किसान की ताकत प्लान्ट प्रोटेक्शन के खर्चे को बरदाश्त करने की नहीं है।

*श्री दीपनरायन (जिला गोण्डा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री दिघे जी ने जो बजट रखा है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं तो इसके समर्थन में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। जहां तक इस प्रदेश के विकास का प्रश्न है वह एक गम्भीर प्रश्न है। इसी बजट में माननीय वित्त मन्त्री ने यह दिखाया कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और प्रदेशों से कम है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ा। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज भी गरीबी से निम्न स्तर के लोग हैं। महोदय, यह बात मानी जा सकती है कि जनता पार्टी को आए हुए अभी दो-तीन महीने ही हुए हैं और इतने दिनों में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन जो आसार दिखाई दे रहे हैं और जो भय है वह यही है जैसा माननीय रियासत जी ने कहा और उनकी एक बात बहुत अपीलिंग है कि मुख्य मन्त्री जी को ध्यान में रखना है कि यह जो ब्यूरोक्रेसी है यह देश में समाजवाद नहीं चाहती और न वह समाजवाद आने देगी। माननीय मुख्य मन्त्री जी की ब्युरोक्रेसी पर कितनी पकड़ है और वह उससे निपटें और वह समाजवाद लाने में योगदान दे।

मान्यवर, इधर जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से भी सरकारी कर्मचारियों के रवैए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और जब पिछली बार सीलिंग बिल पर मैं बोला था तो माननीय राजस्व मन्त्री जी से भी मैंने यह बात कही थी। कांग्रेस पार्टी के जमाने में भ्रष्टाचार था तो क्या वह अब नहीं है? अगर सरकारी कर्मचारी जुर्म या ज्यादती करता है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो उसका भुगतान मन्त्री जी को करना है या विधायकों को करना है। इसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे रेवन्यु विभाग हो, सिंचाई विभाग हो या सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, उसमें जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको रोकना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि मन्त्रियों में भी कुछ को छोड़कर बाकी की सरकारी कर्मचारियों पर उतनी पकड़ नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। आपको नेता सदन की हैसियत से देखना है कि जो पैसा खर्च करने जा रहे हैं उसका सदुपयोग हो क्योंकि अगर ब्युरोक्रेसी ने ईमानदारी न बरती तो जनता की भलाई जोकि आप करना चाहते नहीं हो पाएगी। सहकारिता विभाग है। 300–400 रुपया पाने वाला छोटा कर्मचारी है सुपर-बाइजर लेकिन उसकी लाखों रुपए की कोठियां बनी हैं। असेम्बली सवाल भी होते रहते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। क्या सरकार को नहीं देखना चाहिए कि एक 300, 400 या 500 रुपया तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी दो लाख की कोठी कहां से बनवा लेता है? जनता कांग्रेस पार्टी और इन्दिरा गांधी से ऊबी तो उसने आपको वोट दिया लेकिन अगर वह आपसे ऊबी तो वह किसी दूसरे को चुन लेगी। जनता किसी को माफ करने वाली नहीं है।

इस बजट भाषण में दिघे साहब ने मंगलदेव विशारद कमेटी के बारे में भी पढ़ा था। मेरे गोण्डा जिले में बहुत सी जमीनें चुराई हुई हैं। हमारे यहां के विधायकों ने शिकायत भी की। आचार्य कृपालानी के नाम से और दूसरे बड़े-बड़े नेताओं के नाम से जमीनें हैं। पहले सुचेता कृपलानी मुख्य मंत्री थीं। उनके नाम से राजे महाराजे जमीन लिये हुये हैं मंगल देव विशारद रिपोर्ट के जितने मुजरिम हैं उनको कानून के सामने लाना चाहिए, बचाना नहीं चाहिए। माननीय नारायण दत्त जी ने कहा था कि सन् 1971 के पहले जो बेनामी खातेदार हैं उनको नहीं देखा जायगा। मैं मुख्य मन्त्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस कानून को आप बदलिए जो कानून समाजवाद और आर्थिक व्यवस्था के लिए बाधक हों क्योंकि देश में क्रान्ति लानी है और यदि क्रान्ति नहीं लाई गई तो मुख्य मन्त्री जी आप को जनता माफ नहीं करने वाली है। जनता किसी पार्टी को कभी माफ नहीं करने वाली है। जनता यह चाहती है कि उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो।

आपके पुलिस विभाग के रवैए पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे यहां एक कोत-वाल हैं प्रेम नारायण सिंह। मीसा लगा हुआ था। लोगों की मार-पीट हुई, शिकायतें हुयीं। गोण्डा से उसका दो बार ट्रान्सफर हो गया लेकिन दोनों बार फिर वह गोण्डा पहुंच गया। फिर उसकी शिकायत की अब जा कर ट्रान्सफर हुआ विजीलेन्स विभाग को। इस प्रकार दो–दो, तीन–तीन वर्ष अधिकारी उसी जिले में नियुक्त रहे यह बात मेरी समझ में नहीं आई। ऐसे अधिकारियों को सरकार नौकरी से बरखास्त करे। जहां शिकायत होती है वह फिर वहीं पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की बात हो रही है। माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर ध्यान दें।

कुछ चीजें माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं हम लोग पूर्वी जिले से आते हैं। पूर्वी जिला हर मामले में पिछड़ा हुआ है। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि पर्वतीय लोगों की मांग है कि पर्वतीय क्षेत्र का अलग सूबा बनाया जाय। अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखा जाय कि अगर पूर्वी जिले और पर्वतीय जिले के लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, उनकी गरीबी दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया तो मैं भी यह मांग

[श्री दीप नरायन]

करूंगा कि पूर्वी जिलों का अलग राज्य होना चाहिए हालांकि इस सदन में इस प्रकार के बंटवारे का विरोध किया जाता रहा है।

मान्यवर, इस सदन में मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं कि जिन जिलों में 1947 से पहले कोई कल-कारखाने नहीं लगे वहां उद्योग लगाए जायं। मेरे गोण्डा जिले में केवल चार चीनी मिलें हैं। करोड़ों रुपया किसानों का वहां बकाया प ा है। मैंने कहा था कि मेजपुर में एक चीनी मिल लगाई जाय लेकिन आज भी उसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। गोरखपुर और देवरिया को मिलाकर लगभग पच्चीस, तीस चीनी मिलें हैं लेकिन गोण्डा को इस प्रकार उपेक्षित किया जा रहा है। मैं फिर ब्यूरोक्रेसी पर इलजाम लगाता हूं। वह रिपोर्ट मन्त्री जी को नहीं देती है। मन्त्रियों को अपने दिल दिमाग से काम करना प ेगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के विकास के लिए कल-कारखाने वहां पर लगाए जायं।

दूसरी बात मैं सड़क और नहर के बारे में कहना चाहता हूं। इस बजट में गोण्डा जिले के लिए केवल पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए ही कहा गया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पूर्वी जिलों में जिनमें गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी आदि आते हैं संचार व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। मैंने अभी पी0 डब्लू0डी0 मन्त्री जी को लिखकर दिया है कि जो सड़क मेरे क्षेत्र में चौथी, पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में कागज पर ले ली गयी थी उसका इस बजट में उल्लेख नहीं है, तो मुझे दुख हुआ। जो पिछड़े जिले हैं उनके विकास की ओर ध्यान दिया जाय और पार्टी का जो आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम है उसे ठोस तरीके से लागू किया जाय।

*श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

अधिष्ठाता महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने जैसा कि बजट से प्रतीत होता है एक दिशा को लिया है लेकिन ऐसा अनुभव नहीं होता है कि उस दिशा पर उसकी पूरी पकड़ हुई है। कुछ चीजें उसमें छूट भी गयी हैं। सबसे पहले मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि 3 1/8 एकड़ जमीन पर लगान को माफ कर दिया गया। मंगल देव विशारद कमेटी की रपट को कार्यान्वित करने की बात कही गई है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं एक व्यक्ति लखनऊ में रह रहा है, एक हजार रुपए माहवार कमा रहा है लेकिन सुदूर जिले एटा और मैनपुरी में खेती भी कर रहा है और पटवारी दिखा रहा है कि वह स्वयं उस खेत को जोत बो रहा है तो यह कैसे सम्भव हो सकता है? इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े किसानों को 20 प्रतिशत तथा छोटे किसानों को 10 प्रतिशत उर्वरकों की कीमत में जो अनुदान देने की बात कही गयी है यह स्वागत योग्य है। इसके अलावा यह भी बहुत सुन्दर बात कही गयी है कि तीन वर्ष में पूरे प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था कर दी जायगी। यह एक क्रान्तिकारी कदम होगा।

इस ओर भी सरकार का ध्यान गया है कि जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, हस्त शिल्प हैं वाराणसी, मुरादाबाद तथा आगरा में उनके लिए संस्थान कायम करने का प्राविधान होगा,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह भी कदम बहुत सराहनीय है । लेकिन कुछ मौलिक चीजों की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया और जब तक सरकार उन पर ध्यान नहीं देगी तब तक हम अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर सकेंगे और इस प्रदेश की गरीबी को नहीं मिटा सकेंगे । हमें इस बात का हल निकालना होगा कि देश व प्रदेश का कितना श्रम बेकार है । कितने नौजवान ऐसे हैं जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं लेकिन फिर भी वे कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं । जिससे समाज को लाभ होता हो । हिन्दुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां 5 साल के ल के और लड़की और 80 साल की बुढ़िया भी काम करते मिल जायेंगे और 30, 35 साल के बड़े-बड़े पूंजीपतियों के ल के बिना कुछ किए हुए ऐशो-आराम की जिन्दगी बिताते हुए मिल जायेंगे । यह हमारे देश का दुर्भाग्य है । मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो अपने हाथ से कुछ न कुछ काम न करता हो जिससे समाज का भला हो सके । करोड़ों उपभोक्ता यहां हैं लेकिन हाथ से काम करने वाले कितने हैं इसका एक सर्वेक्षण कराया जाय ।

दूसरे भूमि के बारे में बिलकुल सही आंकड़े नहीं हैं कितनी भूमि बंजर है, कितनी उपजाऊ है । सिंचाई के आंकड़े भी सही नहीं हैं । बतलाया जाता है कि 70 अथवा 60 प्रतिशत भूमि सिंचित है लेकिन नहर का पानी, प्राइवेट ट्यूबवेल का पानी था सरकारी ट्यूबवेल का पानी भी वही एक जगह ले जाया जा रहा है । जिस तरह से श्रम शक्ति तथा भूमि का सवाल है उसी तरह से उद्योग का सवाल है । इसका हिसाब हर ब्लाक और गांव में जाकर लगाना होगा और हर जगह से पूछना होगा कि किस उद्योग की सम्भावना किस जगह पर है । अभी मैंने इतना सुन्दर जरी का काम मुख्तार अली साहब के साथ जाकर देखा जिसे देखकर आंखें खुल गयीं । कालीनों पर इतने सुन्दर मोर और चित्र बने हुए थे जिन्हें देख कर हैरत होती थी कि कैसे उन्हें बनाने वाले भूखों मरते हैं । संगमरमर का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया लेकिन उसी आगरे के कालीनों पर ताजमहल बनाने वाले भूखों मरते हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि कम से कम सबसे पहले इन कारीगरों को वह देखें जोकि इतने सुन्दर वस्तुएं बनाते हैं । मैं देखता हूं कि बीच के लोग पैसा खा जाते हैं ।

सेल्स टैक्स को हटाने के बारे में आपके विचार चल रहे हैं कि इसको किस तरह से हटाया जाय । मैंने जिन लोगों से भी बात की जैसे पेठे वाले कह रहे थे कि इसे खत्म कर दो चाहे इससे ज्यादा पैसा हमसे ले लो लेकिन यह सेल्स टैक्स की बला हिसाब-किताब और खाता रखने की जो बला है यह हमारी समझ में नहीं आती है । इसी तरह से भट्टे वाले भी कह रहे थे जितना पैसा इस वक्त हमसे लिया जाता है उससे 20 प्रतिशत ज्यादा ले लो लेकिन इस सेल्स टैक्स की बीमारी को हटा दो । मैं कहना चाहता हूं कि जितनी आमदनी आपको सेल्स टैक्स से होती है उससे करोड़ों ज्यादा रुपया लोग देने के लिए तैयार हैं । इस पर पूरा विचार किया जाना चाहिए ।

अब मैं दो और बातों के बारे में कहूंगा जिसके बारे में मुझे दुख है । आपने बात कही कि 10 साल में सभी को शिक्षा देने का प्रयत्न करेंगे लेकिन दुख इस बात का है कि शिक्षा पर आप कितना व्यय कर रहे हैं । शिक्षा पर आपका अधिक व्यय नहीं हो रहा है । अभी तक क्या परेशानी है कि अध्यापक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के हैं लेकिन जूनियर हाई

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

स्कूल और प्राइमरी स्कूल की बिल्डिग जिला परिषद् या नगरपालिका या महापालिका की हैं। तो अध्यापक तो उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् के कर्मचारी हैं और बिल्डिग बोर्डों की है या जमीनें जिला परिषदों की हैं इस प्रकार से वह लाइसेन्सी हो गई हैं और जिला परिषदों या नगरपालिकाओं के स्कूलों के भवनों के किराएदार हो गए हैं। जिस तरह से आज एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था सारे के सारे प्रदेश में जब से शासन चला है उन बिल्डिगों की, उन भवनों की मरम्मत नहीं की गई है। हमारे क्षेत्र में भी भी पुर में भी एक दुखद घटना हो गयी होती अगर वह छत एक घंटा पहले न गिर गई होती। आपको प्राइमरी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए लेकिन आप कहते हैं कि आपने 155 हायर सेकेण्डरी स्कूलों को मान्यता दे दी है। मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि हायर सेकेण्डरी स्कूल जितने प्राइवेट नाम से चल रहे हैं अगर 70 प्रतिशत नहीं तो 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत जो हैं वह केवल दुकानें हैं। आप इन दुकानों को चलाने की इजाजत देते हैं। पहले एक आगरा विश्वविद्यालय होता था आज झांसी, कानपुर, बरेली, कुमायूं, गोरखपुर कितने ही विश्वविद्यालय हो गए हैं। यह सब केवल इम्तहान लेते हैं जोकि एक ही संस्था ले सकती थी। सात विश्वविद्यालय हो गए हैं तो उसी प्रकार 7 वाईस चान्सलर और 7 रजिस्ट्रार हो गए और भी स्टाफ बढ़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। आप इनको हायर सेकेण्डरी शिक्षा के लिए पैसा मत दीजिए। प्राइमरी शिक्षा के लिए पैसा दीजिए और 11 से 14 साल तक के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा करें अगर ऐसा नहीं करेंगे तो किसान सहकारिता का लाभ नहीं उठा पाएगा, जो ऋण आप देते हैं उसका लाभ नहीं उठाएगा।

कहना तो मैं बेरोजगारी के बारे में भी चाहता था क्योंकि जनता पार्टी ने सम्पत्ति को हटाकर रोजगार देने का वायदा किया है। लेकिन आप इसमें रोजगार के प्रश्न को भूल गए हैं उसको भूलना नहीं चाहिए।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो बजट पेश हुआ है, मैं समझता हूं यह बजट जनता पार्टी के वायदों को पूरा करने के लिए बढ़ते हुए कदमों का एक नमूना है और मैं समझता हूं कि सीमित साधनों को देखते हुए इस बजट में जो कुछ किया गया है, वह एक अच्छा काम है। क्योंकि जिस हुकूमत ने 30 साल तक शासन किया है, उसने सब चौपट करके रख दिया है और अपने प्रदेश के सारे खजाने को गलत तरीके से खाली कर दिया है और प्रदेश की सारी आर्थिक स्थिति छिन्न-भिन्न हालत में हो गई है। ऐसी परिस्थितियों में जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसके बावजूद भी सरकार ने सवा तीन एकड़ तक की मालगुजारी माफ करके, विद्यार्थियों की फीस घटाकर और जिन घरों में नल नहीं लगा हुआ है, वाटर टैक्स माफ करके जो सराहनीय कदम उठाए हैं, पार्टी के वायदे के अनुरूप बहुत कुछ इस बजट में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार खत्म करने की जो बात कही गई है, उसके बारे में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वह कुछ नहीं हुआ है, जो हरियाणा में इस दिशा में हुआ है। हरियाणा में सरकार बंशी लाल जैसे भ्रष्ट लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, किन्तु यहां पर जिन बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी गम्भीर शिकायतें हैं, उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत् परिषद् के चेयरमैन श्री बालिगा भ्रष्टाचार के कारनामों में आगे रहे हैं, इनके खिलाफ मैं प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई और प्रदेश के मुख्य मन्त्री को आरोप-पत्र देता रहा हूं, लेकिन अभी तक उन पर कुछ नहीं हुआ है। मेरे पास सबूत हैं, चार्ट हैं, उसमें से मैं कुछ सदन के सामने रखना चाहता हूं। एमरजेंसी के दौरान श्री बालिगा ने. . .

एक सदस्य––

श्रीमन्, सदन की परम्परा रही है कि जो सदन का मेम्बर नहीं है, उसका नाम लेकर कुछ न कहा जाय।

श्री अधिष्ठाता––

ठीक है, आप इसका ध्यान रखें।

श्री राम अधार––

ठीक है। मैं विद्युत् परिषद् के चेयरमैन की बात करना चाहता हूं। उन्होंने इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, जिसके मालिक पश्चिमी बंगाल के श्री कमलनाथ गुप्त हैं, को श्री संजय गांधी को प्रसन्न करने हेतु 35 लाख रुपए की 220 के0वी0 लाईन (सुल्तानपुर से गोरखपुर) को 1.5 करो रुपए में स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की। यह कमलनाथ गुप्त श्री संजय गांधी के साथ देहरादून में पढ़े थे और उनके बचपन के दोस्त हैं। इसके बारे में मैंने कई बार सरकार को लिखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसी तरह से विद्युत् परिषद् के चेयरमैन ने 60 लाख रुपए के अर्थ वायर हैदराबाद की एक कम्पनी से खरीदे, जो बिलकुल खराब हुए पड़े हैं, किन्तु उसकी कोई जांच नहीं हुई और 10 हजार रुपया चेयरमैन ने दक्षिण भारत की एक कल्चरल सोसाइटी को दे दिया, जिसकी उनको कोई पावर नहीं थी। इसी प्रकार 18 करोड़ रुपए जो ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निर्धारित किए गए थे, उसे उस पर खर्च न करके अन्य जगह चले गए। किन्तु उसे अभी तक सरकार ने जनता के सामने नहीं रखा है कि उस धनराशि का चेयरमैन ने क्या किया? विद्युत् परिषद् ने 40 लाख रुपया एमरजेंसी के दौरान लखनऊ नगर के सुन्दरीकरण के लिए बिना उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री की अनुमति प्राप्त किए खर्च किए। इसी तरह के अनेकानेक भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप तमाम सम्मानित व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं––केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री और श्री जनेश्वर मिश्र, वर्तमान स्वायत्त शासन मन्त्री श्री एस0 पी0 मालवीय और वर्तमान विद्युत् मन्त्री श्री शाही जी ने भी आरोप-पत्र दिए हैं। इन सारे के सारे लोगों के बयान अखबारों में निकल चुके हैं, लेकिन पता नहीं कि इस सरकार का उनके साथ क्या ताल्लुक है कि उनके खिलाफ कोई जांच या कार्यवाई नहीं होती है?

इसके अलावा उनके काल में एमरजेंसी के दौरान बिजली की भारी कटौती रही, जिससे क्रैशर वगैरह न चल सकने के कारण लाखों रुपए का गल्ला और लाखों रुपए की गन्ने की फसल मारी गयी और फर्टिलाईजर के कारखानों को 50 प्रतिशत कम बिजली दी गयी। हम लोगों ने जनता से वायदा किया था कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग

[श्री राम आधार]

चेयरमैन को हटायेंगे, जांच करवायेंगे, लेकिन आज क्या हो रहा है ? मालूम पड़ता है कि इस सरकार को सारी दुनिया में ऐसा कोई चेयरमैन नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि बिलकुल थोथी बात है। एक चेयरमैन हटेगा तो दूसरा चेयरमैन आएगा। इस चेयरमैन को रखने की आवश्यकता नहीं है, जो सरकार बदलने के साथ अपने बयान को बदले। यह भ्रष्टाचार सम्बन्धी मेरा आरोप है। यदि यह सरकार जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्ट चेयरमैन को, जांच कराकर, हटाती नही है तो जनता पार्टी की सरकार की पूरे प्रदेश के अन्दर इमेज बिग जायगी।

जहां तक बेकारी मिटाने की बात है, बजट के अन्दर लघु उद्योगों की तरफ ध्यान दिया गया है। देहातों में ऐसे गांव हैं जहां पांच-पांच, छः-छः मील से पानी ले जाते हैं। इस पेयजल के लिए इस बजट में 2 करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है। यह स्वागत के योग्य है। पिछली सरकार अस्पतालों में आठ आना और शहरों में एक रुपया लेती थी। जनता पार्टी की सरकार ने इसको हटा दिया है। इन सारी की सारी बातों से निराशाजनक बजट नहीं है आशाजनक बजट है। यह बजट रोशनी देता है कि जनता पार्टी की सरकार नयी दिशा लेने जा रही है।

इन सब बातों के साथ-साथ सड़कों के निर्माण की बात कही गई है। गांवों का विकास तब तक नहीं होगा जब तक गांवों में छोटी-छोटी सड़कें नहीं होंगी, गन्ने का उत्पादन होता है लेकिन सड़कों के अभाव में गन्ना मिल तक नहीं पहुंच पाता है।

इसके साथ-साथ गन्ने की कीमत भी बढ़नी चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्री जी के बयान को अखबारों में पढ़ने को मिला। शायद 14 रुपए होने जा रहा है। अगर सरकार यह निर्णय करती है तो प्रदेश की जनता को इसका स्वागत करना चाहिए। आज प्रदेश में दो चीजें मंहगी हैं जिसके बारे में विरोधी दल के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग चर्चा किया करते हैं कि कांग्रेस सरकार के जमाने में रुपये में आधा किलो का राशन मिलता था, और बीस रुपए किलो सरसों का तेल था और आज 12 रुपए किलो है। दाल थोड़ी महंगी है।

मुझे दुख हुआ यहां कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग उत्तर प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रदर्शन करते हैं। चन्द्रजीत यादव को लाठियों और चक्कुओं से मारा गया। यह बुरी तरह से घायल हुए। अम्बेडकर की मूर्ति तक खंडित। कांग्रेसियों की यह बहुत बड़ी साजिश है कि जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाय। मैं इस सदन के माध्यम से उन कांग्रेसियों की निन्दा करता हूं जो इन्दिरा समर्थक हैं और जिन्होंने चन्द्रजीत यादव पर हमला किया लेकिन प्रदेश की जनता ला ऐंड आर्डर को बिगड़ने नहीं देगी। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर ऐसे भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, गुलाम हुसैन साहब जो परिवार नियोजन के मन्त्री थे और जो सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर के काण्डों के लिए जिम्मेदार थे, आज तक सेक्रेटरी बने हुए हैं। ऐसे कुछ और अधिकारी हैं। मेरा विश्वास है कि स्वच्छ प्रशासन सम्भव नहीं है जब तक भ्रष्ट अधिकारी ब-ब स्थानों पर भरे हुए हैं। सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं हैं, खराब नहीं हैं। जनता पार्टी के समर्थक भी हैं और विरोधी भी हैं। लेकिन उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जिनके विरुद्ध

इमरजेंसी के जमाने में अत्याचार करने के आरोप हैं। हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री ऐसे सच्चे, ईमानदार और त्यागी हैं। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसके बावजूद उनके प्रशासन में भ्रष्ट अधिकारी अगर कहीं पर बने रहेंगे तो स्वच्छ प्रशासन नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि यह जन-वादी बजट है, इसको पास करना चाहिए।

श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज जो बजट पेश हुआ है उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं, क्योंकि हमारी सरकार दो महीने की ही है और दो महीने में इससे अच्छा बजट नहीं पेश हो सकता है। बजट भाषण को देखा जाय तो एक-एक चीज बहुत समझने की है। ऐसा बजट कभी नहीं आया है। मान्यवर, यह सरकार के जो पिछले तरीके थे उनसे हमारे देश में भ्रष्टाचार पनपा था और हमें आज यह कहना पड़ता है कि सरकारी अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। यह सारी शिकायतें हैं। मसलन चीनी का कोटा है। 1.55 रु0 कोटे-दार को कमीशन मिलता है। उसको ले जाना पड़ता है मजदूरी देनी पड़ती है सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बोरा 101 किलो 250 ग्राम होना चाहिए लेकिन 98 और 99 किलो से ज्यादा का नहीं निकलता है तो 4.50 रु0 उसको कम पड़ जाता है। फिर उसे रोजाना अपराध लगाया जाता है। इसको हमारी सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था करे कि यह हटे। दुकानदार पकड़ा जाता है तो वह सजा का भागी होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इन चीजों पर ध्यान दे और इसको हटवाए।

दूसरे सरकारी कर्मचारी रोजाना जो आदेश होते हैं उस पर कटिबद्ध होकर काम नहीं करते हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि पुराने रवैए को छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि पुराने तरीके जो थे उनको इसलिए लगाया गया था कि वह कांग्रेस के साधन बनाए गये थे और कांग्रेस वालों को खुश करने के लिए किया गया था। जो हमारे विरोधी पक्ष की ओर से भाषण हुआ कि तमाम आदमी पकड़े जा रहे हैं, क्यों पकड़े जा रहे हैं। आपके कुकर्मों से पकड़े जा रहे हैं आप चैलेन्ज कर सकते हैं कि क्यों पकड़ा जा रहा है? दूसरी चीज मान्यवर, हमारे प्रतापपुर इलाहाबाद क्षेत्र में जो जमीन भूमिहीनों को दी गयी वहां जमीन केवल कागज पर दी गयी। मैं भी वहां पर था। हमने कहा कि जमीन दिखा दीजिए। जब देखी जाती है तो मालूम होता है कि जमीन वहां पर है ही नहीं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं जो जमीनें वास्तव में हैं उन जमीन को उनको दिलाया जाए और हमारे घोषणा-पत्र में यह कहा गया कि हरिजनों को जमीन हम मकान बनाने के लिए देंगे। शहरों और कस्बों और बाजारों में उनको जमीनें दी जायं। यह बहुत जरूरी है और घोषणा-पत्र के अनुसार है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे घोषणा-पत्र में यह बड़ा स्पष्ट कहा गया था कि 25 और 33 परसेन्ट हम रिजरवेशन पिछड़े वर्ग के लिए करेंगे लेकिन आज तक क्या हुआ, क्या व्यवधान आया कि हमारी सरकार उसको आज तक नहीं कर सकी? हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 15 प्रतिशत हमारी कैबिनेट ने पास कर दिया है लेकिन उसका कार्यान्वयन न होकर केवल अखबारों तक ही रह जाता है। जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो जनता हमसे यह पूछती है कि क्या जनता पार्टी ने घोषणा-पत्र केवल चुनाव जीतने के लिए ही छपवाए, या पिछड़े वर्ग को कुछ राहत देने की सरकार की

[श्री हरप्रताप सिंह]

कुछ नियत थी तो हम उन्हें गलत बात कह कर यह आश्वासन देते हैं कि अगले बजट में यह बात जरूर आएगी।

इलाहाबाद में कोआपरेटिव सोसायटी है वहां पर एक-एक बैंक में जितने पूंजीपति किसान हैं, उनके ऊपर एक-एक ब्लौक में 25–25 लाख रुपया प ा हुआ है जो वसूल नहीं हो रहा है। 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन फिर भी वसूल नहीं हो रहा है। मैं यह भी जानता हूं कि किसी भी गरीब किसान पर या कमजोर किसान पर कोई रुपया बकाया नहीं है। यह हुआ क्या है कि इन गरीब किसानों या हरिजनों के नाम पर कर्जा लिया गया है और जब उन पर नोटिस जाती है तो कह दिया जाता है कि इन नोटिसों को तुम हमें दे दो। फिर उस रुपए की वसूली मुल्तवी हो जाती है। आज सरकार का करोड़ों रुपया इस प्रकार से वहां पर पड़ा हुआ है और वह लूटा जा रहा है। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

हमारे जिले में फूलपुर एक कस्बा है जिसमें कई कोलोनीज 50–50, 60–60 हजार रुपए से बनी हैं। इस समय केवल 4 कोलोनीज चल रही हैं। सरकार वहां पर 3 या 4 प्रतिशत पर रुपया दे रही है लेकिन वह भी वसूल नहीं हो पा रहा है। जब वसूली के कागजात जाते हैं तो तहसीलदार यह कह कर वापस कर देता है कि सिक्योरिटी देने वाले का पता नहीं चल रहा है। पुरानी कांग्रेसी सरकार के कुकर्मों की वजह से आज मौजूदा सरकार खोखली हो गई है और प्रदेश की सरकार ओवर-ड्राफ्ट ड्रा कर रही है। यही कारण है कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान तबाह हो रहा है। अगर इस तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती तो प्रदेश बहुत बुरी हालत में पहुंच जायगा और प्रदेश के ब टवारे की बात उठेगी।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में आप देखें यह क्षेत्र बहुत ही पिछ ा हुआ क्षेत्र है। एक ओर इसमें सोर व में नहर है और हंडिया तहसील में ट्यूबवेल लगे हैं। इस क्षेत्र के बीच में कोई ट्यूबवेल नहीं है और न नहर ही है। वह सूखे की लपेट में रहता है। वहां के लोगों को कुछ राहत देने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तो वहां की जनता ब ी दुखी रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(विरोध पक्ष से किसी सदस्य के ख े न होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं हो रहे हैं। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उधर से 3 माननीय सदस्यों के बोलने के बाद जब विरोध पक्ष से कोई ख ा नहीं हुआ तो मैंने चौथे को बोलने के लिए कहा। उसके बाद भी इधर से कोई ख ा नहीं हुआ तो जरा सचेत रहें। माननीय अरुण कुमार।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो व्यवस्था पिछली बार गवर्नर महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में लागू की गयी थी वही फिर से की गयी है या कोई नयी व्यवस्था की गयी है? क्योंकि जो संकलन हैं अध्यक्ष के आदेशों का उसमें मैंने स्वयं पढ़ा है कि कुछ सत्रों में अध्यक्ष के जो निर्णय हुए हैं वह यह हुए हैं कि विरोधी दल को कम से कम बजट पर बोलने के लिए

50 फीसदी समय मिलेगा और एक बार नहीं, दो-तीन बार मैंने संकलन पुस्तिका में देखा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने यह व्यवस्था रखी है या कोई और रखी है ?

श्री अधिष्ठाता—

अभी जब इस सम्बन्ध में नियम बनेंगे तो माननीय सदस्य को पता लग जायगा। इस समय जो अब तक नियम बने हुए हैं उन्हीं के आधार पर हम समय निर्धारित कर रहे हैं—माननीय सदस्य बोलें।

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके इस बजट की भूमिकाओं को देखने के बाद, यह जो लेख प्रस्तुत किया गया है उसमें उस घोषणावद्ध बात का कहीं भी पालन नहीं हुआ है जो आपने कही है और जिस योजना नीति की बात आपने रखी थी। उसको देखने से ऐसा लगता है कि आपकी समग्र योजनाएं यहीं पर बैठकर बनाई गयीं। क्योंकि हम देखते हैं कि जनपद स्तर पर चन्द दिन पहले आपने वहां की सारी निकायों को समाप्त किया है। जिला परिषद्, जिसकी अवधि अभी भी शेष थी उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। अगर उन योजनाओं का कड़ाई से पालन किया गया होता तो आज रूप दूसरा ही होता और विकेन्द्रीयकरण की बात जो दोहराई जा रही थी वह कहीं पर तो चरितार्थ होती, लेकिन देखने से लगता है कि सारी योजनाएं यहीं पर बैठ कर तैयार करा ली हैं, जो आपकी घोषणा के आधार पर अपने आप में गलत हैं।

जहां तक सड़क निर्माण पर मद रखी गयी है, जब हम प्रदेश के पूर्वांचल को देखते हैं तो यह लगता है कि यह मद अपने आप में बहुत कम है। आज भी यातायात के साधन, खास तौर से जिस जनपद से हमारा सीधा सम्बन्ध है, मैं वहां का उदाहरण आपको देता हूं। आज भी कम से कम 90 परसेन्ट ऐसी स कें हैं जिनका सीधा सम्बन्ध किसी बड़ी सड़क से नहीं है और जनपद के मुख्य स्थान तक जाने के लिए साधनों की कमी है।

अभी शिक्षा के अन्दर भी जो बात दोहराई गई है वह भी अपने आप में पर्याप्त नहीं दिखती। प्रायमरी एजूकेशन या प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं पर भी मदों की व्यवस्था इस जनता सरकार को ज्यादा करनी चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। क्योंकि आज भी प्रायमरी पाठशालाओं की एक बहुत बड़ी जबरदस्त मांग पूरे प्रदेश के अन्दर है। शिक्षा जगत की बढ़ोत्तरी की बात जहां हम सोचते हैं तो उसको कार्यान्वित करने के लिए आज भी जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा है, गांव के अन्दर प्रायमरी शिक्षा के लिए भी स्थान निश्चित नहीं है। पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। बारिश की शंका हुई तो उनको छुट्टी दे दी जाती है। इसलिए सरकार को प्रायमरी एजूकेशन के बारे में, प्रायमरी पाठशालाओं के निर्माण के बारे में अपने मुद्दे निश्चित रखने चाहिए जिसकी जबरदस्त मांग क्षेत्रीय जनता की है या शिक्षा जगत की है ताकि उसमें सही ढंग से कार्य हो सके।

जहां तक एम्पलायमेंट की बात दोहराई गयी है तो यह सोचने की बात है कि बेरोजगारी के नाम पर इस सरकार का जन्म हुआ है लेकिन जहां रोजगार देने की बात कही है 7,200 को, यह भी अपने आप में बहुत कम है। इस जनता सरकार ने बेरोजगार को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अरुण कुमार]

रोजगार देने और भत्ते की बात कही थी तो या तो बेरोजगारी खत्म करों या भत्ता दो। लेकिन जो संख्या और आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं बजट में उनसे लगता है कि सरकार अपने वादों या विचारों से जोकि अपने घोषणा-पत्र में व्यक्त किए थे और जिनके नाम पर आपने नीति का निर्माण किया था, उनका यथा पालन करने में सर्वथा अक्षम दिख रही है, यह भी अपने आप में ब ी कमी है और बेरोजगारी की समस्या का इससे निदान नहीं हो सकता है। शराबबन्दी की बात कही जा रही है, लेकिन बजट को अगर देखा जाय तो 20 प्रतिशत आय ज्यादा निर्धारित की गयी है। इसलिए आपके मन्शा पर शक होता है कि आप किस ढंग से इसके बारें में सोच रहे हैं। सामूहिक रूप से मैं इस बजट के सिलसिले में चीजों की व्याख्यायें करने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि यह बजट साहित्यिक परिपेक्ष्य में ज्यादा सक्षम हो सकता है लेकिन इसकी याथार्थता को अनुभव करते हुए, इसके सही स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए अगर अच्छे ढंग और संजीदगी से पहल करनी है तो इसके बहुत से हिस्सों में पुन: परिवर्तन करना होगा और एक सुनियोजित ढंग से सोचना होगा नहीं तो विभिन्न समस्याओं के समाधान में यह बजट पूरक सिद्ध नहीं होगा क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जिस ढंग से सिकु न बनी हुई है, वह चाहे शिक्षा जगत में हो, चाहे स क निर्माण सम्बन्धी हो या चिकित्सा सम्बन्धी हो। ये बड़े अहम सवाल हैं जिन पर जनता सरकार को बड़े अच्छे ढंग से पहल करनी चाहिए। हो सकता है बहुत सी कमियां रही हों। उसमें आगे बढ़ कर पहल करनी चाहिए इस जनता सरकार को अपने स्थायित्व और विकास के लिए।

जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात कही गयी, उसके पुराने रवैए को देखते हुए यह बात सही है कि ब्यूरोक्रेसी कितनी योग्य और अयोग्य है यह पता तब होता है जब सरकार का रुख किसी चीज के बारें में स्पष्ट हो। अभी चन्द दिन पहले तबादले के सवाल पर मुख्य मन्त्री जी ने तीन–तीन बयान जारी किए हैं, लेकिन आज भी तबादले कैसे हो रहे हैं यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। ब्यूरोक्रेसी अपने आप में जरूर उच्छृंखल मानी जाती है और उस पर अंकुश लगाना सरकार और उसके साथ-साथ हम सहयोगियों का भी परम कर्त्तव्य है। लेकिन हमेशा उनको जिम्मेदार बना कर सरकार अपने आपको अलग नहीं कर सकती। ब्यूरोक्रेसी पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार को सच्चरित्र बनना पड़ेगा। केवल चन्द भाषणों से इस मंच और माइक के जरिए या सदन की उहापोह में ब्यूरोक्रेसी को कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठाना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को नियन्त्रित करने के लिए उसके दिलो-दिमाग में परिवर्तन की कड़ी जोड़नी पड़ेगी, उनके चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन की पहल करनी प ेगी। केवल आपके यहां बैठ कर कहने से ब्यूरोक्रेसी कन्ट्रोल नहीं हो सकती। इसको बदलने के लिए सरकार को स्वच्छ ढंग से पहल करनी पड़ेगी। आज सरकार के मन्त्रिगण जिस ढंग से पहल कर रहे हैं उससे पक्षपात साफ दिखाई पड़ रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री अरुण कुमार—

इसलिए आपके माध्यम से मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि कुछ चीजों के बारे में बजट बहुत कम बना है, उसको पुन: बढ़ाया जाय जोकि अहम सवाल है इस प्रदेश की जनता का।

उन सारी चीजों के बारे में पहल किया जाय और ब्युरोक्रेसी को सुनिश्चित और नियंत्रित करने के लिए सरकार को अपना चरित्र स्वच्छ और निष्पक्ष दिखाई देना चाहिए।

श्री प्यारे लाल (जिला एटा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे समय दिया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। जो हमारी सरकार ने बजट रखा है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इस सरकार का ध्यान भूतपूर्व सरकार की ओर दिलाना चाहता हूं जो उस सरकार ने अत्याचार किए हैं, मशीनरी वही अभी मौजूद है और इस समय भी उसी तरह से अत्याचार हो रहे हैं। उसके सम्बन्ध में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे जिला एटा में पुलिस की जो इस समय हालत हो रही है। वह इस प्रकार है कि पुलिस चौकी थाना सकीट दत्तपुर है, वहां पर 3 सिपाही रहते हैं और उनको करीब एक साल वहां पर हो गए। उस गांव में वे बराबर छोटे-मोटे वाक्या किया करते हैं। फिलहाल मैं एक बात अवश्य बताना चाहता हूं। एक वहां का आदमी मैनपुरी में सर्विस करता है, उसकी स्त्री अकेली उस गांव में रहती थी। उन पुलिस वालों ने रात में उस स्त्री को छेड़ा और वह बेचारी किसी से न कह सकी और जब उसका आदमी आया तो उसने अपने आदमी से कहा कि मेरी सिपाहियों ने रात्रि में बेइज्जती की है और मैं क्या करूं मुझे अपने साथ ले चलो। उस आदमी ने जाकर उस पुलिस वाले बेईमान से कहा कि मेरी पत्नी को छेड़ा है मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए, उन पुलिस वालों ने यह बात सुनकर खूब मारा-पीटा और उसको एक तमंचा लगा दिया और तमंचा लगा कर उसको ले जा रहे थे इतने पर गांव वाले आ गए और गांव वालों ने छोड़ाया, बल्कि 200 रुपया लिया तब उसको छोड़ा। जब मैं एटा गया तो मुझे मालूम हुआ मैंने एस0 पी0 साहब से कहा कि यह जुल्म हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। पहले तो वह बोले कि यह बात सही नहीं है। मैंने कहा कि स्त्री भी मौजूद है और वह आदमी भी है और 6–7 आदमी और भी हैं। उनको मैंने पेश किया। इतने में एस0पी0 साहब ने एक आर्डर लिखा और दरोगा इन्चार्ज जो थे, थाना सकीट उनको बुलाया और कहा कि तीनों सिपाहियों को पुलिस लाइन हाजिर किया जाय और इसकी इंक्वायरी की जाय। यह आदेश मेरे सामने एस0पी0 ने किया लेकिन उसमें पुलिस का कोई सिपाही लाइन हाजिर नहीं हुआ और न उसमें कोई कार्यवाही हुई। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी इस बारे में लिखा था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसी तरीके से सिढ़पुरा थाने में तीन सिपाहियों ने डेढ़ सौ रुपया लिया था और जब उस बारे में मैं दरोगा जी से कहने गया, तो वे सिपाही रुपया लेकर आए और कहा कि यह साहब रुपया है, इसको ले लीजिए और क्षमा कर दीजिए। मैंने उस दरोगा से कहा कि इन सिपाहियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कीजिए और इनको सस्पेंड कराइए। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और वे सिपाही तीनों वहीं पर मौजूद हैं और उन लोगों को फिर परेशान कर रहे हैं। मान्यवर, यह हमारे जिले की जो पुलिस मशीनरी है, वह इस तरीके से परेशान कर रही है।

अब मैं आपको सहकारिता के सम्बन्ध में बताऊंगा कि हमारे यहां एक बरथरी गांव है। उसमें करीब-करीब 1 लाख रुपया काश्तकारों के नाम डाल दिया गया है और उस रुपए को

[श्री प्यारे लाल]

वसूल करने की नौबत आई है तो लोग भटकने लगे हैं और त्राहि-त्राहि करने लगे हैं । वह कह रहे हैं कि हमने रुपया नहीं लिया है और हमसे रुपया क्यों वसूल हो रहा है ? मैंने अधिकारियों से कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

शिवपुरा ब्लाक में अर्जुनपुर में चीनी का कोटा एक हरिजन के नाम से है, लेकिन एक ठाकुर साहब उसको डील करते हैं और पूरी चीनी खा जाते हैं । यहां तक कि किसी त्योहार पर किसी काश्तकार को एक दाना चीनी नहीं दी जाती है। मैंने इस सम्बन्ध में सप्लाई अफसर से कहा और डी0एम0 से कहा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है ।

मैं अब सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं, जो अधूरी हैं। हमारी जो भूतपूर्व सरकार थी उसने जगह-जगह सड़कों पर मिट्टी डलवाई थी। कहीं पर 4 किलोमीटर, कहीं पर पूरी डलवाई और कहीं पर अधूरी। मेरे जिले एटा में हमारे क्षेत्र में घुमरी-पटियाली सड़क है, करीब 12 किलोमीटर है। सन् 1975 में जगह-जगह पर मिट्टी डाली गई लेकिन बरसात में वह सब मिट्टी बह गयी और सरकार का सारा पैसा बेकार चला गया। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसको उधर ध्यान देना चाहिए। दूसरे मोहनपुर–सिढ़पुरा सड़क है। इस पर भी 6 कि0मी0 तक मिट्टी पड़ी है लेकिन वह मिट्टी बह गयी है और वह सड़क खराब पड़ी है कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मोहनपुर–गड़का सड़क पर 2 कि0मी0 तक सोलिंग भी हुई । लेकिन ईंट इतनी खराब डाली गयी थी कि वह सारा रास्ता खराब हो गया है। टूट-टूट कर अलग हो गया है। वहां पर नहर पर जो पुल बना था वह टूट गया है। कई गाड़ियां गिर चुकी हैं। पुल की दोनों तरफ की रेलिंग टूट गई है जिससे कोई बैलगाड़ी या यात्री उस पर निकल नहीं सकता है। तो मेरी प्रार्थना है कि कैनाल के जो इन्जीनियर हैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाकर काम को पूरा कराया जाय। अमापुर-सिढ़पुरा सड़क 6 कि0मी0 तक पक्की कर दी गयी है। बीच में छोड़ दी गयी है। जो भी सड़कें छोड़ दी गयी हैं और पूरी नहीं हुई हैं उनको पूरा कराया जाय। जो भूतपूर्व सरकार थी उसने कोई कार्य पूरा नहीं करवाया था तो मेरी प्रार्थना है कि इन कार्यों को पूरा कराया जाय। मान्यवर, मलावन–गोला कुआ सड़क पूरी नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां एटा से सिढ़पुरा तक जो पुरानी सड़क है उसका ठेका पी0डब्लू0डी0 ने सन् 1973 में किया है। लेकिन वह सड़क अब भी चालू नहीं है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं। इसको ठीक कराया जाय। एटा में जो ओन नदी पुल है वह पुल नदी का बनवाया जाय। मान्यवर, इसको ठीक कराने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री प्यारे लाल (जिला एटा)—

मान्यवर, एक मिनट और दे दीजिए। हमारे जिले में शिक्षा विभाग की हालत यह है कि वहां पर जो अध्यापक 100–200 रुपया दे देते हैं तो उनका पास में ट्रान्सफर कर दिया जाता है और जो गरीब हैं उनको 30–40 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो 15–20 वर्ष हो गए हैं अपने घर पर रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी

सीनियर अध्यापक परेशान करते हैं तो उनकी शिकायत पर उनका ट्रान्सफर दूर किया जाता है। इसलिए जो बजट पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

हुजूरेवाला, वर्षों बजट पढ़े गए मैंने भी उनको पढ़ा, इस वर्ष के बजट को भी पढ़ा, बड़ा स्वागत किया गया लेकिन एक बात मैं अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ट्राफिक पुलिस के लिए मोटर साइकिल और फलां-फलां सहूलियतें दी जायेंगी। इसके पहले पिछली गवर्नमेंट ने और हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हर जिले के अन्दर कोर्ट इन्सपेक्टर जो होते हैं वह एस0एस0पी0 के अन्डर आते हैं। कोई भी वकील या सरकारी वकील इनके अन्डर होते हैं। हर थाने या तहसील के अन्दर किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और शराब या पिस्तौल दिखाकर उनको जेल में भेज दिया जाता है। एक केस में नहीं बल्कि 20–20 केसेज में वही गवाह गवाही देने जाते हैं। यदि मुकदमा हार गया तो एस0एस0पी0 मीटिंग करते हैं और कोर्ट इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? कोर्ट इंस्पेक्टर एस0एस0पी0 के अन्डर रहता है इसलिए वह मुल्जिमों के ऊपर दबाव डालता है और बेगुनाह आदमियों को जेल भेज देता है।

इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से गृह मन्त्री से कहना चाहता हूं कि जैसे पहले आदेश हुए थे, कि कोर्ट इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्दर आने चाहिए ताकि न्याय हर आदमी को मिल सके, वैसा ही आदेश कर दें। तहसील हसनपुर में किसी थाने का केस आया उस थाने के दरोगा को बुला लिया। मोहर्रिर ने रिपोर्ट लिख लिया और जैसा चाहा वैसा ही कर दिया। इसलिए इसी बजट के साथ या बाद में अलग से कोर्ट इंस्पेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्दर रहने के आदेश करा दें। यदि ऐसा न किया गया तो 30 साल के अन्दर जो हुआ है वही होगा और पुलिस की ज्यादतियां दूर नहीं होंगी। लोगों का कहना है कि जनता पार्टी के आने के बाद पुलिस के अत्याचार बन्द होंगे लेकिन वह अभी बन्द नहीं हुए हैं बल्कि उनका इजाफा होता जा रहा है। पुलिस का अधिकारी आज मिनिस्टर के लेटर की परवाह नहीं करता है। लेकिन यदि किसी कप्तान का लेटर पहुंच जाय तो उस पर ध्यान दिया जाता है। कप्तान साहब किसी डाक बंगले में पहुच जायं तो वहां यदि इन्तजाम अच्छा न हुआ तो इन्स्पेक्टर रिवर्ट और सस्पेंड हो जाएगा। उनके लिए जिले का नक्शा बदल दिया जाता है। लेकिन मन्त्री के लेटर पर ऐसा नहीं किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक महीने के अन्दर कोर्ट इन्स्पेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अन्दर भेजें ताकि हर जिले में जाली मुकदमें और दफायें खत्म हो जायं।

आप आखिर में देखेंगे कि मार्च से पहले फरवरी के महीने में खास तौर से हर थाने से दो ढाई हजार केस एक महीने में आते हैं। जिस तरह से मार्च में सरकारी दफ्तरों में फाइनल पेमेन्ट किए जाते हैं ऐसे ही पुलिस के अन्दर सड़क से आदमी पकड़ कर अन्दर किए जाते हैं। उनसे पैसा लिया जाता है और उनको जमानतें करानी पड़ती हैं। अगर इनको वहां से हटा देंगे तो जनता को 80 प्रतिशत सहूलियत हो जायगी। एक बात और कहना चाहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

बजट में तीस साल बाद एक नई बात सामने आई कि अरबी और संस्कृत पर गौर किया जायगा। हिन्दुस्तान के अन्दर मायनारिटी के अन्दर जो लोग उर्दू जानते हैं उनमें से 99 फीसदी अरबी नहीं जानते। लेकिन आपने इसमें तनों को तो काट दिया और जड़ को पकड़ रहे हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट से उर्दू को काट दिया। पहले तो उर्दू है उसके बाद अरबी, फारसी है। संस्कृत भी आनी चाहिए और दूसरी भाषाएं भी अच्छी हैं। लेकिन अबकी कौनसी नई बात हुई कि पहले उर्दू का थोड़ा बहुत नाम आता भी था लेकिन इस बार वह बिल्कुल ही काट दिया गया।

बजट में नाम आने से यह था कि तसल्ली हो जाती थी चाहे अमल न किया जाता रहा हो। लेकिन इस दफा तो उसका नाम भी नहीं आया। इसलिए मैं जो अपील कर रहा हूं वह सिर्फ उर्दू मेरी ही नहीं, मायनारिटी के लोगों की है और 49 मेम्बर्स चुनकर आए हैं, उनकी है। इन 49 की भी क्यों, जो साथी मेरे यहां बैठे हैं उनमें से काफी की है। मेरी पार्टी ने कदम तो अच्छे उठाए हैं। लेकिन आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि दूसरी जबान हम मानते हैं या नहीं मानते लेकिन उस पर किसी हद तक गौर तो किया जा सकता है। हमारे विरोध में मिश्राजी बैठे हैं। कुछ किया या नहीं, लेकिन नाम तो रखा। अब की बार तो नाम ही गायब है।

तीसरी बात यह है कि मेरे साथी कौशिक जी ने गंगा कैनाल के ऊपर कुछ बात कही थी। मैं बताना चाहता हूं कि राम गंगा परियोजना में जो नहर निकली है हमारे क्षेत्र, ठाकुरद्वारे से जहां से मैं चुनकर आया हूं, जाती है। वहां हालत यह है कि रेत के टीले बन गए हैं और पानी आने का साधन ही नहीं रह गया है जिससे किसानों को ब ी मुसीबत का सामना करना प ता है। 65 बीघे के ऊपर का वहां कोई काश्तकार नहीं और सभी की जमीनें नहर में निकली हैं। माननीय मन्त्री जी यहां बैठे हैं। मेरी गुजारिश है कि वह आदेश करें कि जिन लोगों की जमीनें गयीं और उनको मुआवजा मिलना था, वह जल्दी मिल जायगा। 18/19 महीने हो गए और उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। चौथी चीज यह है कि रामगंगा परियोजना के तहत जो पीली डैम आ रहा है वह, भी हमारे क्षेत्र से निकलता है। लेकिन आप देखें कि वहां जमीन ऊंची है और नहर नीची है। इससे पानी नहीं मिल पाता। या तो पम्प लगाए जायें और उनके जरिए पानी चढ़ाकर दिया जाय और अगर यह नहीं हो सकता तो जिस तरह भी मुमकिन हो हमारे यहां आबपाशी का इन्तजाम किया जाना चाहिए। पूरी तहसील के अन्दर 13 कुयें हैं। जब मैंने कागजात निकलवाए और चीफ इन्जीनियर से मिला तो मालूम हुआ कि 95 मंजूर हुए थे जिसमें 35 मेरी तहसील के लिए थे। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दिया कि यह मुरादाबाद भेज दिए जायं लेकिन वह पहुंच गए सीतापुर। मेरी तहसील में 13 कुयें नाकाफी हैं।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं शासन का ध्यान आज जो प्रदेश के अन्दर जो मुख्य समस्यायें हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सब से पहली समस्या जो पिछले तीस सालों से इस देश के शासन में रही है उनकी गलत योजनाओं के परिणामस्वरूप रही है। उन गलत योजनाओं के कारण महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रदेश

की जनता आज त्रस्त है। इन गलत योजनाओं को सुधारना है और मैं समझता हूं कि इसका मुख्य कारण वे नियन्त्रण हैं जो पिछली सरकार के द्वारा लगाए गए थे और आज हमारी जनता सरकार ने भी उनको लागू रखने का निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में यदि हम स्वर्गीय रफी अहमद किदवाई को स्मरण करें तो हमारी जनता सरकार एक साहसिक कदम उठाएगी और प्रदेश के अन्दर जो महंगाई का कारण, भ्रष्टाचार का कारण, यह नियन्त्रण हैं, उस नियन्त्रण को तुरन्त ही समाप्त करेगी जिससे जनता को राहत मिलेगी।

इसके साथ ही मेरा अनुभव है कि आज जो भ्रष्टाचार का मुख्य कारण पिछले तीस साल से चली आ रही हमारे देश और प्रदेश की शिक्षा की योजना रही है। आज हमारे प्रदेश के अन्दर हजारों, लाखों स्कूल और कालेज हैं लेकिन उनमें जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनको पब्लिक स्कूल कहते हैं, उन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बनी हुई है। यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी अच्छी नौकरी के लिए, कम्पीटीशन के लिए गांव का बच्चा जाता है जो बगैर छत के स्कूल में मिट्टी में बैठकर पढ़ता है, वह उस कम्पीटीशन में नहीं आता है लेकिन जो दो तीन फीसदी बच्चे इन पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, वह इस प्रकार के कम्पीटीशन में निकल जाते हैं और नतीजा यह होता है कि जब इस प्रकार के पब्लिक स्कूल से पढ़ कर आने वाला बच्चा नौकरी की कुर्सी पर जाता है तो स्वाभाविक ही है कि वह अस्सी फी सदी गांव में रहने वाले लोगों को घृणा की दृष्टि से देखता है। पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का खर्चा बहुत होता है और जब वह अपने वेतन से अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाता है और उसे पूरा करने के लिए प्रदेश में भ्रष्टाचार का दौर शुरू हो जाता है। तो जनता सरकार से मेरा यह कहना है कि पिछले तीस साल से जो समाजवाद का नारा दिया गया है, जो एकता का नारा दिया गया है, जो विषमता को दूर करने का नारा दिया गया है, उसे समाप्त करने की बड़ी आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर विषमता दूर हो, भाई चारे का वातावरण बने। भाई चारे का वातावरण शुरू कर के एक दूसरे के साथ हमदर्दी बने। इसलिए पब्लिक स्कूल की शिक्षा को तुरन्त समाप्त करना आवश्यक है।

अपने जिले से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे जिले के अन्दर पिछली कांग्रेसी सरकार के मन्त्रियों के कारनामें सामने आए हैं। चार करोड़ रुपए का सिंगल टेन्डर, जो मेरी जानकारी में है कि सिंगल टेन्डर नहीं दिया जाता है, दिया गया जिसमें से 95 लाख रुपये का कमीशन पिछली कांग्रेसी सरकार के मन्त्री ने लिया है, यह तथ्य भी सामने आया है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा की जाय। मेरे जिले में सहसपुर नाम का एक कस्बा है जहां एक पुल बनना था ढाई लाख रूपए का, वह गलत बन गया। दूसरी जगह का नक्शा था बन कहीं और गया। मैं देहरादून नगर से चुन कर पाया हूं। इतना उन्नत नगर होते हुए भी आज भी वहां पीने के पानी की समस्या है, अस्पताल और सड़कों की समस्या है, वहां भी दुर्घटनाएं होती हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास बोर्ड बनाया गया है ताकि पर्वतीय क्षेत्रका विकास हो। जनता सरकार की इस ओर ध्यान देना होगा कि पर्वतीय क्षेत्र को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना है। दूसरा स्वीट्जरलैन्ड पर्वतीय क्षेत्र को बनाना होगा। कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट घड़ी के पुर्जे बनाने के लिए महाराष्ट्र में बनने जा रहा है जब कि स्विट्जरलैन्ड की तरह अनुकूल परिस्थितियां घड़ी के पुर्जे बनाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में हैं। मैं इसके लिए यह मांग करता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग बढ़ाने

[श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री]

हैं तो यह घड़ी के पुर्जे बनाने का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में न खोल कर हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्र में खोला जाय जिससे वहां की गरीबी दूर हो सकेगी।

*श्री इन्द्रमणी बडोनी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, प्रजातन्त्र में जब कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसका एक घोषणा-पत्र होता है और बजट जब किसी भी पार्टी का पेश होता है तो उस बजट में कोशिश करते हैं इस बात को देखने की कि उस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में जिन बातों का जिक्र किया था उसका प्रतिबिम्ब उस बजट में है या नहीं है। मैंने दोनो तरफ के यानी सरकार और विपक्ष के भाषणों को सुना। मैं समझता हूं कि सरकारी दल में जो लोग हैं वे भी इस बात से सहमत हैं कि इस बजट में उस घोषणा-पत्र का कोई हवाला नहीं है। वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में यह बात कही कि पिछले 30 साल में 1948 में हमारी प्रति व्यक्ति औसत आय थी उससे भी हम पीछे रह गए हैं और उसका उन्होंने एक ही कारण बतलाया कि हमारी योजनाओं में कम रुपया लगा है। लेकिन वास्तविक बात यह नहीं है। आगे उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियों से ऐसा हुआ है। तो वित्त मन्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इस साल की जो वार्षिक योजना है और कांग्रेस राज्य की जो योजना थी, उसमें और इसमें क्या अन्तर है? दोनों को देखने से यही विदित होगा कि दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। खाली आप कांग्रेस को कोसें या कांग्रेस वाले आपको कोसें इससे इस प्रान्त का विकास होने वाला नहीं है। उसका मुख्य कारण जिसकी ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान नहीं गया यह है कि प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सरकार पर इस तरह से हावी है कि जो भी अच्छा कार्य आता है उसे वह करने नहीं देती है घुमा फिरा कर इस तरह से बजट बनाया जाता है जिससे वह कार्य खटाई में पड़ जाता है। इस ओर आपका ध्यान नहीं जाता कि जो धन आपने लगाया है नियोजन, में वह सही रूप से खर्च हुआ है या नहीं और जनता तक वह पहुंचा है या नहीं ? इस ओर ध्यान देना चाहिए।

मद्य निषेद्य की बात कही गयी। प्रधान मन्त्री ने भी कहा कि हम मद्य निषेध करेंगे। लेकिन इस साल का बजट जब देखा तो उसमें यह पाया कि इस साल मद्य की बिक्री-से सरकार को ज्यादा आमदनी होगी। तो यह विरोधाभास है आपकी बात का। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मद्य-निषेद्य करेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि मद्य बेच कर इतना रुपया आएगा।

तीसरी बात जनता पार्टी ने जो घोषणा-पत्र में कही थी कि अमीर और गरीब के बीच में 1 और 10 का अनुपात रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जनता सरकार का वह घोषणा-पत्र कहां गया ? इसमें यह जरूर है कि गरीबों को बढ़ायेंगे लेकिन इसमें अमीरों को कम करने का कहीं जिक्र नहीं है। वह अनुपात एक और 10 का कहां गया ?

दूसरी बात आपने कही थी कि हर हाथ को काम देंगे, हर शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देंगे और अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसका भी कहीं जिक्र नहीं है ? (व्यवधान) मैंने लोक सभा में कहा था लेकिन उन बातों का इसमें जिक्र नहीं है। एक और बात कही थी समान पद के लिए समान वेतन देने की, इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। आज कुछ लोगों को एक ही नौकरी में एक वेतन मिलता है और दूसरे को दूसरा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात आपके अध्यक्ष, श्री चन्द्रशेखर जी ने कही है कि गरीबी तब तक नहीं हटेगी जब तक अमीरी को कम न किया जाय। इसका भी इसमें जिक्र नहीं है। आज देश की यह सबसे बड़ी बिडम्बना है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे ऊपर हावी हो गई है। गरीब और अमीर के बच्चों के लिएं अलग-अलग स्कूल हैं फिर आप कहते हैं समानता आएगी। कैसे समानता आएगी ? मैं समझता हूं कि अमेरिका में भी जिसे आप पूंजीवादी कहते हैं, वहां पर भी यह खाई नहीं है। हमारे मुख्य मन्त्री जी अपने को समाजवादी कहते हैं उन्हें इसका ख्याल करना चाहिए था। उसको वह मिटाते।

इसके साथ ही मैं मान्यवर, पर्वतीय जिलों की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। श्रीमन्, पर्वतीय जिलों के लिए 27 करोड़ रुपया रखा गया है। लेकिन हम विधायकों को यह पता नहीं है कि यह किस बात पर खर्च होगा। आज आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं गर्मियों में सूखा पड़ता है और बरसात में बाढ़ आती है जिससे आप लोग भयभीत रहते हैं उसका कारण एक ही है कि पर्वतीय जिलों में बनों का विनाश हो रहा है। जो वहां डेवलपमेंट होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है। बिजली के छोटे-छोटे कारखाने वहां लगने चाहिए जिससे बिजली पैदा कर वहां लोगों को दी जाती और उससे जंगलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि 27 करोड़ रुपए किस ढंग से आप खर्च करेंगे इसका हम को पता नहीं है। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। पहली सरकार जो थी उसने घोषणा की थी कि पर्वतीय जिलों में जो लोग काम करते हैं, उनको पर्वतीय भत्ता दिया जाएगा। अभी तक वहां अच्छे आफिसर नहीं जाते हैं क्योंकि उनको रहने की दिक्कत होती है। वहां पर बार-बार मांग की जाती है, यह भत्ता दिया जाय। लेकिन उसका भी इसमें जिक्र नहीं है। साथ ही आपने नौकरी देने के लिए कहा था। लेकिन उन अध्यापकों को जिनको 10-12 साल काम करते हुए हो गए हैं, उनको आप हटा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री इन्द्रमणि बड़ौनी—

एक मिनट में समाप्त करता हूं। हमारे यहां एक बहुत बड़ा टेहरी-बांध बन रहा है लेकिन वहां के लोगों को बसाने का इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो मेरा श्रीमन्, आपसे निवेदन है कि यह इस तरह से कैसे चलेगी ? इसके लक्षण भी बुरे हैं देश का क्या होगा, यह हमें सोचना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)**—

अधिष्ठाता महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, इन बजटों को देखते-देखते मैं तो बुड्ढा हो गया। लगभग सन् 1936 से मैं बजटों का ड्रामा देख रहा हूं। श्रीमन्, इस बजट का तो मुझे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्खी सिंह]

समर्थन करना ही है और समर्थन में खड़ा हुआ हूं, लेकिन क्षमा कीजिए उधर से जो भाई बोल रहे थे—अभी एक बड़े बुजुर्ग बोलकर गए हैं, उन्होंने बड़े पाप किए हैं। हमें तो बोलने लायक ही उन्होंने नहीं छोड़ा। हम तो सन् 1930 से यह कहते थे कि बापू जी के आदेशानुसार स्वाराज्य होगा, रामराज्य होगा, स्वर्ग बन जाएगा यह देश। ऐसा कह-कह कर हमने गांवों में लोगों को बहुत बहकाया। हम तो सन् 1948 में ही जयप्रकाश नारायण जी और आचार्य नरेन्द्र देव जी के साथ कांग्रेस से अलग हो गए थे, जब कांग्रेस अपने रास्ते से हट गई थी, गांधी जी तक को मरवा दिया और देश का भी बंटवारा करा दिया। गांधी जी कहते रहे कि पाकिस्तान मेरी कब्र पर बनेगा, मेरी चिता पर बनेगा, किन्तु सरकार कानों पर तेल डालकर सोती रही। हमारी सरकार को आए दो-तीन महीने हुए हैं, हमारी समझ में नहीं आता है कि यह बोल कैसे रहे हैं, यह विरोध कैसे करते हैं, खास कर ऊदल जी जैसे लोग। यह विरोध करते हैं, मैदान में आकर विरोध करते हैं। एक को तो आज यहां से खींचकर निकाला गया। हम तो चाहते थे कि कोई निकाला न जाए, क्योंकि हमारी सरकार पूर्ण जनतन्त्री है। आप जैसी नहीं कि कहते थे कि किसी सदस्य का भाषण अखबार में नहीं छपेगा।

वित्त मन्त्री जी यहां नहीं हैं, मैं आपके द्वारा उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि यह जरूर बात है कि ढीलेपन से शासन नहीं चलेगा। ढीलापन ज्यादा है, दायरे से ज्यादा ढीलापन हो गया है, तब ही यह कांग्रेसी लोग ज्यादा उलझन मचा रहे हैं। श्रीमन्, सरकार में ढीलापन नहीं होना चाहिए। वित्त मन्त्री जी ने जो बजट भाषण पढ़ा, उसको मैंने देखा है, उस पर कुछ कहना चाहता हूं। मथुरा जिले की छाता और मथुरा दो तहसीलें हैं, जिनमें बिल्कुल जल प्रलय हो गया है। पिछले साल भी हमारी पहली सरकार के मुख्य मन्त्री, श्री तिवारी जी, हम जेल में पढ़ा करते थे, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ का दौरा कर रहे हैं, और लालपुर बांध को ठीक कराया जाएगा। लेकिन श्रीमन्, मुझे खेद है कि कुछ नहीं हुआ। 8-9 लाख रुपया उस पर खर्च हो गया और यह सबको डकार गए। वहां न कोई नाला बना, न कोई ड्रेन बनी। बाढ़ से सब गांव डूब गए, लोगों के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ हरियाणा और राजस्थान का पानी आकर उन गांवों को डुबो देता है और दूसरी तरफ उस इलाके में एक भी बड़ी सड़क नहीं है, जिससे उसको देखने के लिए कोई वहां जा सके और न इस बजट में कुछ है। उस पर गोल-माल बात इसमें लिख दी गई है।

इस प्रदेश में बाढ़ की समस्या वर्षों से सामने आ रही है, जिससे हर वर्ष विभिन्न क्षत्रों में अत्यधिक क्षति होती है। बाढ़ का पानी रोकने और नियन्त्रित करने के लिए बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को महत्व दिया जा रहा है। बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के लिए इस वर्ष 10 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ परिव्यय रखा जा रहा है। कहीं यह कथा ही कथा न रह जाय। ऐसी कथा पहले की सरकार ने भी सुनायी थी। इसमें मथुरा का नाम भी नहीं दिया। मैं वित्त मन्त्री से आपके द्वारा कहना चाहता हूं वित्त मन्त्री के कोई प्रतिनिधि हों, कोई मन्त्री हों नोट करें। मथुरा का नाम क्यों नहीं लिया है? सिंचाई मन्त्री और उप मन्त्री और हमारे माननीय मुख्य मन्त्री मथुरा में देख कर भी आए हैं उस प्रलय को। मथुरा का नाम इस बजट में जो ना चाहिए। दस करोड़ से मथुरा की बाढ़ रोकने में कुछ नहीं हो सकता। प्रदेश के लिए 10 करोड़ रुपया रखा गया है।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। जगह-जगह अराजकता हो रही है। अराजकता को कड़ाई से रोका जाय। अधिकारियों से हम कहते हैं तो वह कहते हैं कि जनता का राज्य है। कोई भी काम हो, जनता का राज्य है। अब कांग्रेस के राज्य को कोई इतना कहता नहीं। छ : महीने पहले कांग्रेस का राज्य था। सारे कुकर्म उन्होंने किए। आज जनता पार्टी का राज्य है। मशीन वही है, अधिकारी वही हैं जो कांग्रेस के बिगड़े हुए अधिकारी हैं। वह काम नहीं करने देते हैं। उनको जनता पार्टी की सरकार अच्छी नहीं लगती है। इन पर नियन्त्रण करना होगा। हम तो हरियाणा के पड़ोसी हैं। हरियाणा में गांव-गांव में बिजली लग गयी है, सड़क बन गयी है। हर गांव में विकास हो गया है और हमारे यहां अभी तक गांवों में पीने का पानी नहीं है। यह कांग्रेस सरकार की देन है। हरिजन बेचारों को पानी नहीं है। हम हरिजन हरिजन चिल्लाते हैं। बड़े भारी हरिजनों के भक्त हैं। तीस साल में हरिजनों के लिए पानी तक का इन्तजाम नहीं किया। सारे पैसे को गंवाते रहे और जनता पार्टी पर सारा दोष मढ़ कर ऊपर से हल्ला मचाते हैं। मैं कहता हूं कि इन पहले के बजटों का निरीक्षण किया जाय, जहां-जहां इन्होंने पैसा उड़ाया है, गबन किया है, पैसे का दुरुपयोग किया है, किसने पैसे को उड़ाया है, उनको पकड़ कर बंसीलाल की तरह, जेल में डाला जाय। तब उनका दिमाग दुरुस्त होगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है। बजट में जिन आइटम्स पर विचार हो रहा है, उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। बजट को देखने से मालूम होता है कि इसमें नवीनता आयी है। स्वच्छ और कुशल प्रशासन देने का वादा किया गया है। यह वादा केवल वादा ही न रह जाना चाहिए। जो प्रशासनिक रिपोर्ट आयी है, उसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में आपको जानकारी है कि 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है। इसलिए जिस तरह से हमने गांवों में खुशहाली के लिए वादा किया है तो हमें सबसे पहले सड़कों के निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिए। खासकर एक योजना लागू कर दी जाए तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। नहरों के किनारे की पटरियों को पक्का कर दिया जाए तो जनता को बहुत सहूलियत हो जाएगी और एक गांव से दूसरा गांव आवागमन के साधनों से जुड़ जाएगा। पटरी पक्की हो जाने से जो गांव इन्टीरियर में पड़ते हैं, उनको आवागमन की सुविधा मिल जाएगी और वे अपने प्रोडक्ट को आसानी से शहरों और बड़े-बड़े बाजारों तक ला सकेंगे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा।

मान्यवर, अब मैं कुछ उर्दू के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे एक साथी ने जिक्र किया। उर्दू की शिक्षा गांवों में नहीं के बराबर है। गांवों में पढ़ाने वाले मौलवी मुट्ठी-मुट्ठी भर दाने के लिए मोहताज रहते हैं। आप को बुनियादी ढंग के उर्दू पढ़ाने के लिए व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। मौलवी लोगों को भी संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों की तरह वेतन देना चाहिए। प्राथमिक स्तर की बहुत ही बदतर हालत है। 80 फीसदी ऐसे विद्यालय हैं जिनके प्राइमरी स्तर के भवन हैं नहीं, जमीन पर लड़के बैठते हैं,

[श्री राम नरेश पाण्डेय–]

टाट और पट्टी है ही नहीं। मैंने देखा है कि बजट में बी0 टी0 सी0 अध्यापकों की व्यवस्था की गयी है। इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। पब्लिक स्कूल्स के बारे में कहा गया है, अगर हम उनको तोड़ने की स्थिति में नहीं हैं तो जो देहात की पाठशालायें हैं, उनकी मान्यता के सम्बन्ध में जो सख्ती होती है, उसको समाप्त करना चाहिए। मान्यवर, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है इस सम्बन्ध में मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन जब तक हमारी मशीनरी ठीक से नहीं काम करेगी और अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे और उन पर सक्षम नियन्त्रण नहीं होगा तब तक हम सफल नहीं होंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको पकड़ा जाय और उनके करैक्टर रोल में इन्ट्री कर दी जाय और उनका प्रमोशन न हो। उनको डेटरेंट पनिशमेंट दिया जाये। सड़कों के बारे में जहां पर मिट्टी पड़ चुकी है उनको शीघ्र पूरा किया जाए। हमारे क्षेत्र में बड़हरा–लछिया–दर्जिया, छटू कटया से बलिया होते हुए बनकटा और बलवा कारखाना नटवा होते हुए जरेरा की सड़कों को पूरा किया जाए।

मान्यवर, तमकुही और कसिया रोड के बीच में एक खरदर पुल है, वह एक लिंक का काम करता है। उससे अनेक इण्टर कालेजों और डिग्री कालेजों को रास्ता जाता है। इसलिए सरकार को उसके निर्माण की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

बजट में मेडिकल सुविधाएं देने की कुछ बातें कही गयी हैं लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहां पर जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स हैं, न तो उनमें कोई एक्सरे प्लान्ट ही लगा हुआ है और न वहां पर पागल कुत्तों को काटने की ही दवा उपलब्ध रहती है। मेरी प्रार्थना है कि वहां पर इनका तुरन्त प्रबन्ध कराया जाय। अन्त में मैं दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारी सरकार को चाहिए कि वह सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों पर सख्त से सख्त अंकुश लगाए। सरकार को चाहिए कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें हैं, उन्हें तुरन्त वह अमल में लाए। सरकार को हमारी जो प्राइमरी पाठशालायें हैं, उनमें शिक्षा का सुचारु प्रबन्ध करना चाहिए, नहरों के किनारे पर जो सड़कें हैं, उनको पक्का करना चाहिये और एक गांव को दूसरे गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का प्रबन्ध करना चाहिए।

गन्ने का जहां तक सम्बन्ध है कि उसका रेट 18 रुपए प्रति क्विन्टल होना चाहिए क्योंकि उससे सीरा पैदा होता है वह भी मंहगा बिकता है। यदि ऐसा किया गया तो गांवों के किसानों की आर्थिक दशा सुधरेगी।

हमारे इलाके में 14 चीनी मिलें अवश्य हैं लेकिन एक भी नई इन्डस्ट्री वहां पर नहीं लगायी गई है। वहां पर पेपर का मिल बड़ी आसानी से लग सकता है। वहां पर टेलीफोन इन्डस्ट्री, रबर की फैक्टरी आदि लगाई जा सकती है जिससे इलाके की बेरोजगारी भी दूर होगी और जनता पार्टी को वैसे भी बेरोजगारी को दूर करना है। अगर किसी रा-मैटीरियल को लाने की आवश्यकता हो तो उसे भी लाया जा सकता है।

मैं यह भी चाहता हूं कि खेती के प्रयोग में जो प्रयोग में आने वाला सामान है जैसे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्टस आदि उनको बनाने के लिए हमारे क्षेत्र में एक कारखाना खुलवाना चाहिए जिससे हल या अन्य कृषि के जो यन्त्र हैं, उनके बनने का प्रबन्ध हो सके।

यदि हमारी सरकार इनकी ओर ध्यान देगी तो इससे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और प्रदेश उन्नति भी करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

आज जो सदन में बजट पेश हुआ है उसके बारे में हमारे मन्त्री जी ने बहुत बातें कहीं हैं। आज भ्रष्टाचार कहां है, इस निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हम भ्रष्टाचारी को तभी पकड़ सकते हैं जब हम स्वयं ईमानदार हों। यदि किसी मकान में गन्दगी है और हमें उसे साफ करना है तो हमारी झाड़ू साफ होनी चाहिए। अगर वह साफ है तो हम गन्दगी को दूर कर सकते हैं और अगर झाड़ू में ही गन्दगी लगी है तो कागज और तिनके तो साफ हो जायेंगे लेकिन घर भी गन्दा हो जायगा और मैला मकान में फैल जायगा। तो इस प्रकार से अगर प्रदेश से हमें भ्रष्टाचार को दूर करना है तो हमें स्वयं ईमानदार होना चाहिए। हम स्वयं ईमानदारी से काम करें। कोई कहे कि सरकार में ही भ्रष्टाचार है तो यह बात यथार्थ नहीं है। भ्रष्टाचारी किसको कहा जाय? पहले जमाने में जब कहीं किसी से पूछा जाय कि गांव में कौन आदमी तिकड़मबाज है, चलतापुर्जा है और लड़ाने-भिड़ाने वाला है तो बहुत मुश्किल से कोई सोचकर बताता था कि फलांना आदमी हैऔर दूसरा आदमी जो पास खड़ा है, वह कहेगा कि यह आदमी नहीं है, फलां आदमी है। इस तरह से दो ही चार आदमियों की निगाह में कहीं आदमी यहां का बेईमान निकलता था। आज पूछना पड़ता कि कौन ईमानदार है। पता ही नहीं लगता है, सोचना पड़ता है कि किसको ईमानदार बतावें। आज तो आवें का आंवां ही खराब है। न सरकारी, न गैर-सरकारी आदमी ईमानदार है। कहा नहीं जा सकता कि किसको ईमानदार कहा जाय। पहले ईमानदार ज्यादा रहते थे, बेईमान कम होते थे, आज बेईमान ज्यादा हैं, ईमानदार कम हैं। भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब हमारी जनता के अन्दर यह भावना जगे। आज किसी को चीनी का कोटा देते हैं तो वह तभी तक ईमानदार रहता है जब तक उसको कोटा नहीं मिला और जब कोटे का परमिट मिल जाता है तो वह बेईमान हो जाता है। हमारे ही कार्यकर्ता लोग सिफारिश करते हैं कि यह बहुत ईमानदार आदमी है, इसको परमिट जरूर मिलना चाहिए, अमुक भ्रष्ट है उसको नहीं मिलना चाहिए, वह ब्लैकमार्केटिंग करता है। तो उसकी बात मानकर के किसी आदमी को कोटा दिलाया जाता है। फिर वही आकर कहता है कि यह तो बड़ा भ्रष्ट आदमी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने एलान किया है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो ईमानदारी से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा।

जहां तक ग्राम उद्योग की बात है, वह ग्राम उद्योग आप तभी कर सकते हैं जब गरीबों के लिए वहां जो साधन हैं, उनका अन्दाजा लगाने के लिए आप विशेषज्ञों को भेजकर के पता लगायें कि ग्रामों में कौनसा धन्धा चल सकता है जिसमें गरीबों को रोजी मिल सकती है। हमारे यहां मेजा में बहुत पहाड़ हैं, पत्थर हैं, मिट्टी है और बालू निकलता है। वहां पर यही सब चीजें हैं। आप अपने विशेषज्ञों को भेज कर के वहां गरीबों को किस तरीके से रोजी

[डाक्टर जवाहर लाल—]

दी जा सकती है, कोई ऐसी मशीनरी लगायी जाय जो ईंटा के रूप में बना सकती है, उसकी खोज कीजिए और वहां के गरीबों को अगर रोजी दे देते हैं, मशीन के द्वारा ईंट बनायी जा सकती है तो लाखों आदमियों की बहुत दिन तक गुजर हो सकती है दो चार पीढ़ी तक, इतना वहां ईंट का पत्थर है।

श्रीमान् जी, पंचायती राज का जो हमारे महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि पंचायती राज होगा तो उसमें न्याय गरीबों को मिलेगा, पंचायती राज बन गया और गांव-गांव में बना, लेकिन वहां के लोगों को न्याय नहीं मिलता और मुकदमें दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यह सोचा गया था कि गांव पंचायत होगी, मुकदमेंबाजी खत्म होगी, जो गांव में मुकदमें होंगे, वह ईमानदारी से फैसले होंगे, बेईमानी नहीं होगी क्योंकि वहां लोग एक दूसरे को पहिचानते हैं। लेकिन बेईमानी वहां भी होती है।

श्रीमान् जी, कृषि विकास के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जाती हैं। कृषि के लिए पानी की जरूरत है। जहां पर पानी नहीं है वहां पर कैसे कृषि हो सकती है? हमारे यहां पत्थर पड़ते हैं, पहाड़ हैं। जहां जमीने हैं, थोड़ी दूरी पर पत्थर मिल जाते हैं, और कुयें हैं नहीं, सिंचाई के साधन हैं नहीं तो उत्पादन कैसे हो? वहां कोल रहते हैं, ज्यादातर आदिवासी रहते हैं और गरीब बहुत रहते हैं और ऐसे लोग रहते हैं जिनको देख कर तरस आता है।

हमारे क्षेत्र में हालत बहुत खराब है। सिंचाई की समस्या बहुत जटिल है। अगर कहीं नहर है तो भी समय से पानी नहीं मिलता। हमारे क्षेत्र में लिफ्ट योजनायें कई एक हैं लेकिन बिजली नहीं है। अगर किसी किसान ने मैदान में अपना ट्यूबवेल लगा लिया है तो उसको बिजली नहीं मिलती।

जहां तक सहकारिता का सम्बन्ध है, इसमें जनता का बिल्कुल विश्वास नहीं है। वह ऐसे ही चल रहा है। पुरानी सरकार जो चली गयी और यह नई सरकार, ये दोनों सहकारिता में विश्वास करते हैं। लेकिन इसमें बड़ा गबन है। सुपरवाइजर किसान से तो पैसा वसूल कर लेता है लेकिन खाते में जमा नहीं करते। पैसा ले लेते हैं मगर रसीद नहीं देते। गरीब किसान उसके पीछे-पीछे भागा-भागा फिरता है। तो कोआपरेटिव में जितने सुपरवाइजर हैं, उनमें कोई भी ईमानदार नहीं, सब भ्रष्ट भरे हुए हैं। इनको तो एक दम से निकाल देना चाहिये चाहे गवर्नमेंट को कुछ रुपया भी देना पड़े।

पशुधन के लिए हमारे यहां चरागाह नहीं हैं। पहाड़ जरूर हैं लेकिन जंगलात को सरकार अपने कब्जे में किए हुए है ..

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

डाक्टर जवाहर लाल—

मैं समय देख रहा हूं। पशुओं को चारे की कमी है इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि जो जंगलात उसने ले रखे हैं, उसमें पशुओं को चरने दे चाहे थोड़ा पैसा ले ले।

शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, इसका तो एकदम से रुख ही बिगड़ा हुआ है ..

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त, अब आप बैठिए।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण प्रस्तुत किया है उसके पढ़ने से प्रतीत होता है कि जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व जो वायदे किए थे उन्हीं की पुनरावृत्ति इस बजट भाषण में की गई है। हां, बहुत ही साहित्यक और सुन्दर भाषा का प्रयोग किया गया है। आज प्रदेश के सामने जो ज्वलन्त समस्यायें हैं, मंहगाई, हरिजनों पर अत्याचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला, दिन पर दिन गिरती हुई कानून व्यवस्था, उनके निदान के लिए कोई भी ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि जो वायदे किए गए हैं और इन दो महीनों के दौरान सरकार के कार्यक्रम जिस तरह से सामने आए अगर यही हाल रहा तो दस वर्षों में भी वह वायदे पूरे होने असम्भव हैं। आज प्रदेश में मध्यम वर्ग का आदमी, कमजोर वर्ग का आदमी मंहगाई से त्रस्त है। दिन दूने रात चौगुने आम जरूरत की चीजों के भाव बढ़ रहे हैं लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। विगत दिवस आगरा में प्रशासन ने कुछ आवश्यक चीजों के भाव तय किए थे। उस समय कड़ुवे तेल की कीमत बाजार में 2 नम्बर की 10.20 रु0 प्रति किलो और 1 नम्बर की 10.80 रुपया प्रति किलो थी और प्रशासन की कुशलता का नमूना आप देखें कि उसने कड़ुवे तेल का भाव 11 रुपए प्रति किलो नियत किया, व्यापारियों के लिए 20 पैसे और 80 पैसे प्रति किलो और बढ़ा कर आम जनता को लूटने का लाइसेन्स प्रदान कर दिया। आप दालों को ले लें। आज कोई भी दाल 4- साढ़े 4 रुपए प्रति किलो से कम नहीं मिलेगी। गरीब आदमी सोचता है कि हरी सब्जी से काम चलाए। तो हरी सब्जी भी दो–ढाई रुपए से कम नहीं मिलती। आज एक साधारण आदमी जिसका निश्चित बजट है, उसके सामने यह समस्या है कि वह अपना बजट कैसे बनाए। विगत दिवस आगरा के अन्दर जो आयातित तेल है उस सम्बन्ध में एक बहुत बड़े व्यापारी के यहां पूर्ति विभाग ने छापा डाला और उसके गोदामों को सील कर दिया। लेकिन 24 घंटों के अन्दर ही दिल्ली और लखनऊ से राजनीतिक दबाव पड़ने के बाद वह सील किए हुए गोदाम खोल दिए गए। भ्रष्टाचार का यह एक सब से बड़ा नमूना आपके सामने है। श्रीमन्, आगरा में जो एक बहुत बड़ा काण्ड भ्रष्टाचार का हुआ था, जिसमें पूर्ति विभाग के बहुत बड़े अधिकारी और कुछ राजनैतिक लोग भी सम्मिलित हैं, इसके बारे में जांच कराई जाय ताकि जो दोषी लोग हैं, जनता के सामने आ सकें और जनता को भी यह पता लग जाय कि इनकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है।

आज कानून की व्यवस्थायें ले लें, खुले आम दिन दहाड़े कत्ल, डकैतियां, राहजनी, चाकूबाजी हो रही है। रास्ते चलते हुए स्त्रियों के जेवर छीन लेना साधारण बात हो गयी है। कोई भी मां, बहन घर से निकलते समय यह अनुभव नहीं करती कि वह सुरक्षित लौट आएगी। आज खुले आम मरडर हो रहा है। 10 कदम पर खड़ी पुलिस देख रही है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि उसको पकड़ सके। आज पुलिस विभाग द्वारा जो गिरफ्तारी होती है, वह सब राजनैतिक दबाव के अन्दर होती है। आज बदमाश दारू पीकर घूमते हैं, लेकिन उनको पुलिस पकड़ नहीं सकती है। अगर बदमाश लोग किसी पर हमला करते हैं, तो भी पुलिस चुप रहती है, चाहे थाना थोड़ी ही दूर पर क्यों न हो।

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--]

कुछ दिन पहले की बात है, आगरा से एक गाड़ी चलती है कोटा पैसेन्जर, फतेहपुर सीकरी से दो स्टेशन पहले उसमें जो एक बम्बई की बोगी लगती है, वहां पर कुछ बदमाश लोग गाड़ी पर चढ़े और जंजीर खींच ली, लूटा और अगले स्टेशन पर उतर गए, लेकिन आज तक उसका पता लगाने में पुलिस असमर्थ रही। उसी गैंग ने ग्राम एतमादपुर, थाना मलपुड़ा के अन्दर, एक बस को चाकू और पिस्तौल से दिन दहाड़े लूटा, लेकिन आज भी पुलिस अभियुक्तों का पता लगाने में अक्षम रही। मान्यवर, अगर कानून व्यवस्था इसी प्रकार की रही तो हो सकता है कि आने वाले समय में हालत इतनी बदतर हो जाय कि समस्या की सम्भालना मुश्किल हो जाय। अगर आज आप पुलिस में जायं जब तक आप उनकी पेट-पूजा नहीं करेंगे, तब तक आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी। हां, शरीफ आदमी को परेशान करने की बात होगी तो सदैव तत्पर रहेंगे। आज कल थाने में किसी शरीफ आदमी को बुलाना और उनको परेशान करके उनसे पैसा वसूल करना एक आम बात है। आज कल 9 बजे के बाद किसी भी पुलिस अधिकारी को टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित करना चाहें तो असम्भव बात है। रात को 9 बजे के बाद पुलिस अफिसरों को दारू पीकर घूमते देख सकते हैं, लेकिन शासन, प्रशासन चुप है। शासन की हिम्मत नहीं है कि इसमें दखलंदाजी कर सके। आज हर अखबारों में हरिजनों के लिए सूचना प्रसारण द्वारा छापा जा रहा है कि हरिजनों पर कहीं पर भी अत्याचार हो, तो खबर दी जाय।

श्रीमन्, वास्तविकता इसके विपरीत है। अगर किसी हरिजन पर अत्याचार होता है, उसकी जमीन छीनी जाती है, उसकी फसल काटी जाती है, पहले तो उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती थाने के अन्दर और थाने में अगर रिपोर्ट लिखी भी गयी तो जो रिपोर्ट में वह लिखवाना चाहे, तो उसको छोड़ कर अपनी मर्जी से रिपोर्ट लिखी जाती है और उसके बाद जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनका रवैया यह है कि जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गयी है, जो आतंक कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, उन्हीं के घर पर बैठ कर तफतीश पूरी कर देते हैं। आज हमारे यहां गाव अकोला थाना-मलपुशा में हरिजनों की जमीनों को बड़े-बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है और वे हरिजन लोग महीनों से परेशान हैं, लेकिन प्रशासन खामोश है। इसलिए कि उसकी हिम्मत नहीं है कि उन लोगों पर हाथ डाल सकें जिसने उनकी जमीन छीनी है। श्रीमन्, आगरा जिले के अन्दर विकास कार्य चल रहा है। उसकी सारी जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण के ऊपर है। करोड़ों रुपयों का कार्य इस विभाग के द्वारा होता है।

आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अभी कुछ महीने पहले नाले बनाये गये। एक साढ़े चार लाख रुपए की लागत से और एक ढाई लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। अभी 6 महीने पहले बना था और बरसात की पहली फुहार से नाला बह गया और बैठ गया। इस तरह से सरकार का 6-7 लाख रुपया बेकार हो गया।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो रहा है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मेरा अनुरोध है कि विकास प्राधिकरण में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको दूर किया जाय। वहां एक इंजीनियर हैं जो अपने आपको चीफ मिनिस्टर

का रिश्तदार बताते हैं। उनका कहना है कि कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि एक इन्क्वायरी बैठाई जाय और भ्रष्ट अधिकारियों का तत्काल स्थानान्तरण किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता––

अब आप बैठिए।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल––

धन्यवाद।

श्री राम प्रताप शास्त्री (जिला एटा)––

अधिष्ठाता महोदय, आज मैं जनता पार्टी के बजट के सम्बन्ध में, उसकी महानता के प्रति उसकी अच्छाइयों के प्रति मैं धन्यवाद देता हूं और उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट जो हमारी पार्टी ने आज प्रस्तुत किया है, वह ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन अच्छा है। वह इसलिए कि मेरी भावना यह थी कि हम किसी भी प्रकार का आम जनता पर कर न लगाते हुए घाटे का बजट पेश न करें। किन्तु यह भावना पूरी नहीं हुई और आज हमको घाटे का बजट पेश करना पड़ा। इस घाटे के पूर्ति के लिए मैं अपने सुझाव दूंगा। यह घाटा किस तरह से पूरा हो सकता है। अगर इसको मद्देनजर रखते हुए घाटे का बजट पेश न करते तो इसके बीच में एक बहुत बड़ी समस्या थी। करोड़ों रुपए उद्योगपतियों और पूंजीपतियों पर 30 साल से जो बकाया चल रहा है, अगर उसको वसूल कर लिया जाय तो शायद आज हमको घाटे का बजट पेश न करना पड़ता। खैर, यह कहना चाहता हूं कि बजट हमारा बहुत अच्छा है। जनता के हित में है और आलोचना के योग्य नहीं है। जिस तरह से कटु आलोचनायें की जातीं हैं, मैं अपने विपक्षी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि कटु आलोचनाओं के बजाय अगर अपने सुझाव प्रस्तुत करें और हमें अच्छे सुझाव दें कि बजट के अन्दर क्या कमियां हैं उनको कैसे पूरा किया जा सकता है तो मैं उनको बड़ा भारी धन्यवाद दूंगा और यह समझूंगा कि प्रदेश की प्रगति में पक्ष और विपक्ष दोनों ही साथी हैं। किन्तु मैं देख रहा हूं, पहले भी 9 दिन सेशन चला उसमें भी कटु आलोचनायें हुईं और हरिजनों की बातें कही गयीं। हरिजनों की एक आड़ ले ली गई। मेरे भी क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हरिजन रहते हैं। गंगा और काली नदी के बीच का ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र है जिसको सोरों, सूकर क्षेत्र कहते हैं। यहां भगवान बाराह का अवतार हुआ था और इसी क्षेत्र में तुलसी दास जी का जन्म हुआ था जिनको महापुरुष कहा जाता है।

अभी-अभी गंगा जी की कृपा हुई तो हमारे क्षेत्र के 4 बहुत पुख्ता गांव गंगा जी ने काट लिए। न कोई जमीन छोड़ा और न कोई मकान छोड़ा। मैं मौके पर तहसीलदार और इंजीनियर को लेकर गया और दो दिन वहां रहा। मैंने गांव के लोगों को दूसरे गांव समाज की जमीन में बसाने की योजना बनाई है। जिलाधीश महोदय से निवेदन किया कि उन लोगों को झोपड़े छाने के लिए कुछ सहायता की जाय ताकि वह रह सकें। एक गांव है परमोरा, वह हरिजनों का गांव है। वह पूरा गांव कट गया। जाकर देखा तो उन लोगों के बच्चे तड़प रहे थे। जमीन तो रही नहीं, मकान भी नहीं रहे। हमारे क्षेत्र में दुखी हरिजनों का प्रश्न नहीं उठता और न उनकी शिकायत ही होगी। मैंने उनको ऐसी जगह बसाया है

[श्री राम प्रताप शास्त्री—]

जहां वह आराम से हैं और जो हरिजन लोग हैं वह उनकी सहायता में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि एक हरिजन को लेकर छीटाकशी क्यों की जा रही है और रचनात्मक कार्यों की ओर कोई भावना नहीं है।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में विवरण देना चाहूंगा कि हमारे वहां एक गन्ने की मिल है। वह बहुत बड़े पूंजीपति और पुराने कांग्रेसी नेता की है, जो एम0 आर0 शेरवानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं समझता हूं कि उनका एक कारखाना जीप का इलाहाबाद में है। लेकिन उनके आतंक और रवैय्ये से हमारे क्षेत्र की जनता त्राहि-त्राहि करती है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता को हर प्रकार से राहत देने के लिए कटिबद्ध होकर भ्रमण करता हूं। मिल के मैनेजर वहीं रहते हैं। उन्होंने हमारे वहां के तीन थानों पर कब्जा कर रखा है। एस0 पी0 महोदय हमारी बात को नहीं सुनते हैं और जो वह आदेश देते हैं, वह सुनते हैं। ऐसी स्थिति में एक महीना हो गया गृह सचिव से और आई0 जी0 से निवेदन किया है कि उन्होंने आश्वासन दिया है लेकिन उसमें यह हुआ है कि हमारे मरडर की योजना बन गयी। वहां एक गिरोह है। सी0 आई0 डी0 की यह रिपोर्ट है। 3 थाने हैं, वहां जनता पार्टी के जो एजेन्ट रहे हैं उनको बन्द करके भेजा गया। सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट है कि शास्त्री जी का मरडर कराया जाय नहीं तो हमारा जो इस क्षेत्र में प्रभाव है, वह नहीं रहेगा और जनता समृद्ध और सचेत हो जाएगी। श्रीमन्, हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, मैं अब अपने पूरे एटा जिले की बात कहूंगा। वहां हमेशा से कोशिश होती रही है कि वहां अलग कोई साधन हो लेकिन उसके लिए भी बजट में कोई प्राविधान नहीं है कि हम अपने क्षेत्र के पिछड़े पन को दूर कर सकें। मुझे अपने जीवन की चिन्ता नहीं है। मैं आज सरकार से यह निवेदन नहीं करना चाहूंगा कि मेरी रक्षा की जाय। मुझसे कहा गया कि मुझे कौन शस्त्र पसन्द है। मैंने कहा कोई नहीं। मैं तो डबल शास्त्री हूं। वैद्य हूं। मेरे पास बेंत था लेकिन वह भी निकल गया क्योंकि विधान सभा के अन्दर उसको नहीं ला सकता। मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं। मैं मृत्यु से डरने वाला नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मैं वहां मर भी गया तो मेरा कल्याण हो जायगा। हमारे यहां तो यह है कि बुजुर्ग मरने से पहले अपनी सन्तान से कहता है कि अगर मेरी लाश सोरों न ले जा सको तो मेरी हड्डियां हर की पौड़ी पहुंचा देना। अगर मेरे यहां थाने नहीं बदले गए तो मेरा मरडर जरूर हो जाएगा और मैं वहां पर बलिदान हो जाऊंगा जनता पार्टी के उद्देश्यों के लिए जिनके लिए मैं कटिबद्ध हूं। इसलिए मैं अपने विपक्षी साथियों से निवेदन करूंगा कि वह कटु आलोचना के स्थान पर समालोचना करें जिससे कि देश और प्रदेश का हित हो।

*श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान रसरा सुरक्षित क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं जो हिन्दुस्तान के पिछड़े इलाकों का वक्षस्थल है। हमारा यह क्षेत्र शुरू से ही पिछड़ा रहा है चाहें सड़कें हों, सिंचाई हो या आवागमन के साधन हों। हमारे हां जहां तक सड़कों का सवाल है कुछ भी सुविधा नहीं है। कोई सड़क गांव तक नहीं आती। ये मुख्य सड़कें टीका बेउरी नागपुरा से कोटवारी तक, बसनही, ग्राम सुल्तानीपुर से रसरा तक, ग्राम अतरौली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से रतनपुरा तक, पकवाईनार से खरुआंव व नगरा तक, कुटयां, भिलाई से रसड़ा तक, हरधरपुर, रामदुर, चकरा, सहुआरी तथा इटकौहवा तक, खालिसपुर, अरदौना गोनईपुर, से हलधरपुर तक, कोपकुरेन से चांदपुर डुमरिया तक, सेहवर मडैंली, बसारिखपुर, अरदौना इटौरा तक। इस तरह से आप देंखेंगे कि पूरा क्षेत्र ही ऐसा है कि एक भी सड़क नहीं है। मान्यवर, वहां पर 1972-73 में एक स्कीम बनायी गयी थी कि मनी स्टील प्लान्ट खुलेगा जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा। लेकिन वह प्लान्ट सोया हुआ है और उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर यह मिनी स्टील प्लान्ट लग जाय तो वहां के लोगों का कल्याण हो सकता है। रतनपुरा से भीमपुरा तक कागज पर सड़क दिखायी गयी है लेकिन वहां एक बस नहीं चलती। यही हालत रसड़ा से मऊ तक है। बेकारी की समस्या यह है कि वहां पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। वहां कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो टूट न गया हो या गिर न गया हो। एक भी विद्यालय नहीं मिलेगा जिसमें मेज कुर्सियां हो। यह सब कांग्रेस शासन काल में हुआ। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं वित्त मन्त्री जी का भी धन्यावद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही आशाजनक बजट इस सत्र में पेश किया जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन कर स्वच्छता और कुशल प्रशासन लाने का दृढ़ संकल्प इसमें दर्शाया है। इसी तरह मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभारी हूं कि उन्होंने जो पिछली सरकार ने अपने जमाने में एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को भुला दिया था, उनके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया था, उन्होंने विशेष कार्य-क्रम और सुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों को प्रदान करने की बात कही है। इसी तरह से एक बड़ी आशाजनक बात उन्होंने छोटे किसानों के लिए इस बजट में कही गई है कि फासफेट एवं पोटाशियम उर्वरक पर बीस और तीस प्रतिशत सबसिडी उन्हें दी जायगी लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा वित्त मन्त्री जी से की नत्रजन उर्वरक जो अधिक मात्रा में छोटे किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी भी यदि छोटे किसानों को सुविधा से उपलब्ध कराया जाय तो अच्छी बात होगी।

एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा जिसका बजट में प्राविधान नहीं है और वह है चीनी उद्योगों के बारे में। चीनी उद्योग का स्थान हमारे देश में आर्थिक महत्व का है। हमारे प्रदेश में जो मिलें हैं वह सारी तीस तीस, चालीस-चालीस साल पुरानी जर्जर हालात में हैं जिनका परिणाम यह हुआ है कि किसानों को गन्ने का मूल्य समय पर नहीं मिल पाता और इसके साथ ही जो कमीशन है, वह प्राप्त नहीं हो पाता। पिछली सरकार ने कहा था कि किसानों को 12 प्रतिशत ब्याज गन्ने के बकाया मूल्य पर दिया जायगा लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि बात तो कह दी लेकिन चीनी मिलों के उत्थान के बारे में कुछ नहीं किया गया जिससे चीनी मिलें अच्छी हो सकें। इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे जर्जर मिलों की ओर विशेष रूप से ध्यान दें और इस बजट में उसका कोई न कोई प्राविधान करें जिससे अच्छी मिलें लग सकें और जर्जर मिलों का रिप्लेसमेन्ट हो सके।

दूसरी बात मैं पहाड़ी क्षेत्रों के यातायात के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन में यातायात के साधन न होने के कारण विकास नहीं हो पाया है।

[श्री रणजीत सिंह—]

आज भी ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पन्द्रह, पन्द्रह, बीस-बीस मील पैदल चल कर पक्की सड़क में आना होता है। मैं अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी देहरादून-मंसूरी की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे कहते हुए लज्जा आती है कि पिछले सालों से मंसूरी कान्स्टीट्यूएन्सी के पर्वतीय अंचलों में एक भी किलोमीटर सड़क नहीं बन सकी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसका विशेष रूप से बजट में प्राविधान करेंगे।

एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1977-78 के बजट में 1,300 नलकूप को बोर करने का प्राविधान इस बजट में किया गया है लेकिन मैं विशेषरूप से कहना चाहूंगा कि लक्ष्य तो हमारे 1,300 का है लेकिन देखा यह गया है कि रिंग मशीनों, कम्प्रेसर मशीनों के अभाव में यह लक्ष्य पूरा होता नहीं है। मैं अपने जनपद की बात कहता हूं जिसकी जानकारी मुझे है। पिछले वर्ष 15 नलकूप बोर करने का लक्ष्य था लेकिन दो ही बोर किए जा सके क्योंकि रिग मशीन जिन से नल कूप बोर किए जाते हैं, वे उपलब्ध नहीं हैं। इसी तरह से कम्प्रेसर मशीन न होने से ट्यूबैल्स बोर हुए एक साल हो गए और उनमें काफी रुपया खर्च हो गया लेकिन सिंचाई के काम में वह नलकूप नहीं आ सके। इसलिए इन मशीनों का भी प्राविधान होना चाहिए।

इसी तरह से शिक्षा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा। दोहरी नीति चल रही है। एक तरफ पब्लिक स्कूल हैं, दूसरी तरफ ग्रामीण स्कूल हैं जिनमें न बैठने की सुविधा है, न साज-सज्जा तथा भवन की सुविधा है। दोहरी नीति को खत्म करके शिक्षा के सम्बन्ध में एक सी नीति सारे प्रदेश में चालू होनी चाहिए। जिससे गरीब लोगों की शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं कि पहली बार बजट के अन्दर जितना खर्च होने वाला है उसका 78 प्रतिशत कृषि, सिंचाई तथा कुटीर उद्योगों के लिए खर्च किया जायगा। कितने वर्ष आजादी को हो गए लेकिन आज भी हमारा प्रदेश देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है और यहां गरीबी की रेखा से भी नीचे 60 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग हैं। बेरोजगारी बढ़ी हुई है। गांवों में जाइए वहां सड़कों का निर्माण तक नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र में ऐसी एक भी सड़क नहीं है जिससे मैं अपने क्षेत्र का दौरा तक कर सकूं। लखीमपुर और हरदोई दो अलग-अलग जिले हैं लेकिन एक जिले से दूसरे जिले तक सीधे जाने के लिए कोई पक्की सड़क तक नहीं है। बीच में एक नदी पड़ जाती है उस पर पुल तक नहीं है। कांग्रेसी शासन में इस स्थिति के कारण प्रदेश पिछड़ता गया। मैं वित्त मन्त्री का स्वागत करता हूं कि उन्होंने आज इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और खास तौर से जो किसान वर्ग है, उस पर विशेष ध्यान दिया। किसानों को 3.1/8 एकड़ तक की जमीन पर लगान की छूट दे दी गयी। इसके साथ-साथ उन किसानों को सिंचाई, भैंसों, बीज उचित दाम पर दिलाने की सुविधा भी दी गयी है। हरिजनों को सस्ते दर पर ऋण भी मिल सकेगा और यह सुविधा पहली बार इस शासन ने उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस सरकार की बड़े उद्योगों को पनपाने की नीति थी लेकिन इस सरकार ने छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी है। पहली बार इस सरकार ने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि पर

आधारित उद्योगों को महत्व दिया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर होगी। अभी तक स्थिति यह थी कि देहात का व्यक्ति नगरों में दौड़कर आता था लेकिन नई नीति का परिणाम यह होगा कि पहली बार देहात का आदमी देहात में ही रहेगा और खाली समय में देहात का व्यक्ति कुटीर उद्योगों में अपना धन व समय लगायेगा जिससे उसकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इस तरह से सरकार जो कुटीर उद्योगों को महत्व दे रही है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, खासतौर से यह हथकरघा उद्योग या जो ग्रामीण हस्तकला थी वह भी समाप्त हो रही थी, उस पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है वह यह हुई है कि जनप्रतिनिधि और उस जिले के अधिकारी मिल कर योजनायें तैयार करेंगे। अभी तक तो ऐसी स्थिति थी कि केन्द्र सरकार या राज्य स्तर पर कुछ योजनायें बनती थीं और जो प्रभावशाली लोग होते थे, श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे प्रभावशाली लोग जो थे उन्होंने अपने क्षेत्र में सारी योजनायें बना दीं और दूसरे जिले पिछड़े रह गए। अब जिलों में योजनायें बनेंगी और वहां के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिल कर योजनायें बनायेंगे। तो इसका परिणाम यह होगा कि लोगों की बेरोजगारी दूर होगी और उसके साथ-साथ सभी क्षेत्रों का सम्यक विकास हो सकेगा। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पहली बार यह हुआ है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जिले-जिले में सतर्कता अधिकारी होंगे। लोकायुक्त भी नियुक्त हो रहे हैं। सभी विधायक अपनी संपत्ति का ब्योरा दे रहे हैं। पहले कांग्रेस के लोग बहुत ही अल्पवेतन भोगी थे या साधारण स्थिति के थे और किसी तरह चुनाव जीत कर आये और 5, 10 या 20 साल में करोड़पति बन गये। और वह जनता को लूट रहे थे। अब ऐसा नहीं हो सकता। लोकायुक्त की नियुक्ति से अब कोई भी व्यक्ति नाजायज धन नहीं कमा सकेगा और जनता को नहीं लूट सकेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राघव राम मिश्र—

पिछली सरकार के समय में हमारे क्षेत्र पिछड़े रहे। लखीमपुर, हरदोई जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था वहां पर कठना नदी पर एक पुल बनाया जाय। इसी तरह से लखीमपुर से मोहमदी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वहां पर आंवला में एक पुल का निर्माण कराया जाय। वहां पर सड़क का निर्माण कराया जाय। इसी तरह से एक क्षेत्र सुभासनगर का है उस क्षेत्र में कोई सड़क नहीं है, वहां पर सड़क का निर्माण कराया जाय। इसी तरह से रामपुर रिहटिया सड़क का भी निर्माण कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जय राम (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों का ध्यान अपने वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले इसमें जनता की औसत आय क्या है, इसकी ओर दिखाया है। औसत आय के बारे में इस मुल्क की जो स्थिति है उसको छूने की कोशिश की है लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क में कुछ लोगों की अधिकतम आय क्या है, उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं की है। मैं जरूर उनसे चाहूंगा

[श्री जयराम–]

कि वे इस तरफ भी ध्यान दें। आज ऐसे भी लोग हैं जिनकी औसत आमदनी एक रुपया रोज पड़ती है या 8 आने या 50 पैसे से भी कम पड़ती है उनकी हालत को वह खुद समझ सकते हैं। ऐसे लोगों के बच्चे और माता पिता कैसे रहते होंगे ? क्या खायेंगे, उनके परिवार की स्थिति क्या होगी, उनका निर्वाह किस तरह से होगा ? इसी तरह से यदि आप इस देश में जो चन्द लोगों की अधिकतम आय है, उसकी तरफ ध्यान दिए होते, तो लगता की आपका जो नारा है कि हम गरीबी और अमीरी के अन्तर को कम करेंगे, वह साबित करता कि उसको मिटाने की ओर आपका ध्यान अवश्य है। इस तरह से शिक्षा की मिसाल है, स कों का मामला है। हर चीज को इन्होंने छूने का प्रयास किया है। हम जनता पार्टी के लोगों से चाहें कि कांग्रेस के लोग जो 20 वर्ष तक अपने बजटों को पेश करते रहे, लच्छेदार शब्दों में पार्लियामेन्ट और विधान सभाओं में तकरीरें करते रहे, आप बराबर उसका विरोध करते रहे कि जनता तक यह चीजें कैसे पहुंचेगी किन्तु वर्षों तक शासन में रहने वाले लोगों ने उसको सुनने का कोई प्रयास नहीं किया। 25-26 वर्ष जो लोग कांग्रेस के अन्दर रहे और बहुत से लोग पूरे 30 वर्ष तक सत्ता में रहे, वही लोग जब आज आपके बीच में मौजूद हैं, कुर्सियों पर पदासीन हैं, तो यह देखकर हमें व ा आश्चर्य होता है। वह हमा भाई जब बोलने के लिए खड़े होते हैं। तो मालूम पड़ता है कि विरोधी दलों को कुछ कहने की जरूरत नहीं हैं। हमारी सरकार में रहने वाले सदस्य 50 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनके दिल में सही रूप में गरीबों के प्रति तड़प है।

किसानों के बारे में वित्त मन्त्री जी ने बहुत कुछ कहा है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कैसे आप उनके जीवन में सुधार करेंगे। बिड़ला जी को, आप अल्मूनियम के कारखाने के चलाने के लिए, 1 1/2 पैसे यूनिट पर बिजली देते रहे। मैं यह नहीं कहता कि उद्योग धन्धों की तरफ ध्यान न दिया जाए, 20-25 वर्ष तक डेढ़ पैसे प्रति यूनिट पर बिजली घाटा उठाकर देते रहे और आज भी उद्योग धंधे के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 पैसे प्रति यूनिट पर आप देते हैं। इसके विपरीत जो किसान कर्ज लेकर पम्पिग सेट लगाता है और जिस पर उसे भारी ब्याज देना पड़ता है, उसे आप बिजली 40-45 पैसे प्रति यूनिट पर देते हैं। आप भला इस तरह से कैसे किसान की हालत सुधार पायेंगे, कैसे उसका भला कर पायेंगे, आप इस पर अवश्य कुछ ध्यान दें। अगर किसान अपने कर्ज की किश्त समय पर नहीं दे पाता है तो उस सूद को मूलधन में जो कर दूसरी किश्त में चक्रवृद्धि ब्याज लगा लिया जाता है। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का वह जिला है, जो गरीब है। वहां एक भी किसान ऐसा नहीं है, जिसका जीवन शुद्ध रूप में किसानी पर निर्भर हो। जो स्मगलिंग न करता हो और दूसरे अनाप-शनाप धंधे न करता हो। यदि किसी किसान का जीवन शुद्ध रूप में खेती पर निर्भर है तो वह कर्ज के बोझ से अवश्य लदा होगा और अपना कर्ज अदा करते-करते ही वह मर जायगा। आप बार-बार एलान करते हैं कि खाद्यान्नों की कीमत हम ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि गेहूं पैदा करने में कौन-कौन चीजें लगती हैं। आप उसे जो ट्रेक्टर कुछ समय पहले 26 हजार में देते थे, उसकी कीमत अब 41 हजार रुपया हो गयी है। इसी तरह से खाद है, दवा है। जो किसानों को चीजें खरीदनी प ती हैं, उनकी कीमतें बराबर बढ़ती चली जा रही हैं। गेहूं की कीमत 105 रुपए दिया करते हैं। जब किसान को पाने की बात आती है तो 80-85 रुपए में गेहूं देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब वही उनकी खत्तियों में चला जाता है तो उसकी कीमत आज बाजार में 150 रुपए प्रति क्विन्टल है।

यहां पर गन्ने की भी बात आयी। गन्ना किसानों को आप कितने रुपये क्विन्टल दाम देंगे। 14 रुपए क्विन्टल की मांग माननीय मुख्य मन्त्री जी ने की है। अच्छी बात है अगर 14 रुपए क्विन्टल मिले। सूखी हुई लकड़ी 14 रुपए क्विन्टल से ज्यादा महंगी है। किसान जिस गन्ने को खून पसीने से पैदा करता है, जिससे शकर निकलती है, जिसका सभी लोग आनन्द लेते हैं, उस किसान को 14 रुपए क्विन्टल गन्ने की कीमत देना भी ज्यादा महसूस हो रही है और बाजार में सूखी लकड़ी 20-25 रुपए क्विन्टल बिकती है।

जो बजट आया है लच्छेदार शब्दों से भरा है लेकिन उसकी दिशा साफ नहीं है जिस तरह से साफ होनी चाहिए। इसलिए मुझे भ्रम होता है। तीस वर्ष में जो चीजें हमारे सामने गुजर गयी हैं, जिनके बारे में आप बार-बार कोसते हैं, वही धोखा यहां न होने पाए। इसलिए जनता जरूर परिवर्तन की तरफ देख रही है, जिस परिवर्तन को राज्यपाल के अभिभाषण में क्रान्तिकारी परिवर्तन कहा गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उनकी तरफ जरूर ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्री रामकृष्ण (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं आज सदन में जो बहस चल रही है, उसके उपलक्ष्य में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने वाले जितने प्रदेश के साथी हैं, अपने-अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन कर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि रस्मी तौर पर भाषण न दिए जायं बल्कि जो विषय चल रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और यह भी नहीं होना चाहिए कि हमारी सरकार के पक्ष से जो बजट आया है उसमें अगर संशोधन करें तो इस दृष्टि से न देखा जाय कि हम कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले हैं। अगर वास्तविक बात रखी जाय तो गम्भीरतापूर्वक विचार करना ही होगा। ऐसा करने से प्रदेश और प्रदेश की जनता का कल्याण होगा।

पिछले तीस वर्षों की कांग्रेस सरकार का वह खंडन करते हैं। कहते हैं कि उसने देश और प्रदेश में कुछ नहीं किया। लेकिन मैं निवेदन करूं कि कांग्रेस सरकार ने पंच-वर्षीय मंगलमयी योजनाओं को बनाकर, सौ गांवों का ब्लाक बना कर, क्या आपके गांवों में जितने प्राइमरी स्कूल आज हैं उतने ही पहले थे? क्या जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल और कालेज आज जितने हैं पहले भी उतने ही थे जितने अंग्रेजों के जमाने में थे? सिंचाई के क्षेत्र में जाड़ों में चार बजे रात को खेत सींचते थे क्या आज वही उपलब्धि है? नलकूप उपलब्ध हुए, नालियां और नहरें बनीं। विकास के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हर गांव में अधिकारी नियुक्त किए गए। पहले जितना गल्ला पैदा होता था, आलू पैदा होता था, क्या उतना ही पैदा होता है? क्या खेत की पैदावार नहीं बढ़ी? शिक्षा के क्षेत्र को लीजिए, बिजली के क्षेत्र को लीजिए, क्या 30 साल के अन्दर यह सब चीजें नहीं हुई हैं? जिस क्षेत्र में कार्य हुआ है उसकी चर्चा जरूर करें जिससे आपके प्रदेश की जनता का मनोबल नीचा न हो। यह जरूर है कि कांग्रेस की पराजय हुई है इसलिए वह खराब रही। अब मैं हारा हूं, कांग्रेस खराब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कृष्ण]

हो गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र मे मेरा संशोधन है। जो बजट आप लाना चाहते हैं उससे अधिक लायें। जो मान्टेसरी स्कूल कहलाते हैं जिसके ऊपर 100-100 रुपए की बच्चों की पोशाक रहती है। और दूसरे पेड़ के नीचे बैठते हैं, वह बच्चे भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। तो यह भेद चल रहा है उसको बन्द किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि सबके बच्चे एक ही ड्रेस में हों; एक तरह का नाश्ता मिले जिससे उनमें समानता का भाव पैदा हो। इन सब बातों को दूर करेंगे तो आप का बहुत बड़ा काम होगा।

सड़कों के बारे में मैंने देखा है कि जहां देश और प्रदेश का रास्ता ठीक नहीं है उसकी तरक्की नहीं हो सकती है। आप पहले अपने प्रदेश का रास्ता ठीक कीजिए। इसीलिए सड़क के मद में और पैसा बढ़ाया जाए अन्यथा कोई विकास नहीं हो सकता है। गोभी, मूली, गल्ला बाजार में कैसे पहुंचेगा? इसीलिए लिंक रोड बनवाई जाएं, जैसा कि हमारी सरकार ने किया था और गांव वाले उनके माध्यम से अपने विकास को करेंगे। आप सड़क के मद में संशोधन करें। म्युनिसिपैलिटीज का बजट बहुत कम है। अभी भी वही दुर्दशा है, चाहे टैक्सी हो, या ट्रक हो, सड़क के किनारे महिलायें बैठी रहती हैं। अगर पैसा नहीं बढ़ायेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप फिर से इस पर विचार करें। इससे हमारे प्रदेश की जनता का उद्धार होगा और कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य किया है उनको संसार के लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इन संशोधनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है शायद पहली बार ऐसा सन्तुलित बजट प्रस्तुत किया गया है। जिसका हमारे प्रदेश की जनता ने हृदय से स्वागत किया है। इस बजट में, जहां तक मैं समझता हूं, वह सब कुछ है जो जनता पार्टी ने जनता को आश्वाशन दिया था। इसमें सरकार ने उन आशाओं और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का भी प्रयास किया है। बजट में पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं की समावृष्टि भी की है। बजट में भ्रष्टाचार उन्मूलन, साक्षरता शिक्षा, चिकित्सा सुविधा आदि-आदि जो भी योजनायें हों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उन पर विशेष बल दिया गया है लेकिन कोई बजट, चाहे वह सरकार का बजट हो या घर का बजट हो, तब तक सफलानहीं हो सकता है जब तक उसका सदुपयोग न हो। बजट प्रस्तुत होता है, स्वीकार हो जाता है लेकिन उसका उपयोग सही काम में न हो कर अधिकांशत: गलत कामों में होता है।

हमारी सरकार की भावनायें बहुत अच्छी हैं, वे उन वायदों के ही अनुरूप हैं जो उसने जनता से वायदे किए थे, उसने संकल्प ले रखा है और मुझे विश्वास है कि वह उन्हें पूरा करेंगी, यह जनता को भी विश्वास है लेकिन ध्यान देना होगा कि जो धन हम स्वीकृत करते हैं, वह उसी योजना में लगे जिसके लिए वह स्वीकृत किया जाता है। कहीं कागज पर ही पेय जल की समस्या है। इसी पेय जल की योजना के अभाव में उन्नाव जनपद में न जाने कितने लोग पंगु रोग से पीड़ित हो गए। माननीय राज्यपाल महोदय भी हमारे यहां पर गए थे, उन्होंने खिसारी दाल पर रोक लगाई थी। उन्होंने वहां के लोगों के लिए पेय जल की

व्यवस्था कराने के लिए भी घोषणा की थी लेकिन मैं समझता हूं कि सारी घोषणायें, घोषणायें होकर ही रह गयीं। आज भी उस क्षेत्र के निवासी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पीने के लिए गंदला पानी मिल रहा है।

(इस समय 4 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

जिला स्तर से जो छोटे-छोटे समाचार-पत्र निकलते हैं अब मैं उनकी ओर इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एमरजेन्सी के दौरान उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया गया था। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इन छोटे-छोटे समाचार-पत्रों के उत्थान के लिए अवश्य कोई उपाय सोचेगी। हमारी सरकार ने यह वायदा किया था कि वे बिक्री-कर हटा देंगे। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अड़चन होगी लेकिन अगर कोई अड़चन हो तो कम से कम जो 10 पैसे का जो टिकट लगता है उसको तो समाप्त कर दें जिसका इसको अधिकार है। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। मुझे विश्वास है कि इस ओर भी वे ध्यान देंगे। मै यहां पर यह भी बता दूं कि जहां इन सारी चीजों की ओर ध्यान दिया गया है वहां भूमि समस्या को सबसे पहले लिए रहिए। वह समस्या केवल यही नहीं है कि जो भूमि पिछली सरकार द्वारा गलत तरीके से किसानों को आबंटित की गयी है वही एक समस्या रह गयी है। मैं समझता हूं कि गंगा के किनारे के जो भी गांव हैं उनके सामने एक बड़ी विशाल समस्या है। मैं उन्नाव जनपद को लेता हूं। वहां गंगा जी की मुख्य धारा परिवर्तनशील है, परिवर्तित हुआ करती है। कानपुर जिले के जबरदार लोग हैं, जब गंगा जी की धारा इधर ज्यादा कटान करती है तो उनकी जमीन पर बड़े-बड़े आदमी कब्जा कर लेते हैं और एक दो बीघे पर नहीं, हजार-हजार डेढ़-डेढ़ हजार बीघा पर एक-एक आदमी का कब्जा है। मैं समझता हूं, शायद हमारे कई एक कांग्रेसी नेता भी उसमें शामिल हैं और वह उस भूमि पर अनधिकृत ढंग से कब्जा किए हुए हैं। सरकार को चाहिये था कि जहां पर इतना पैसा वह खर्च कर रही है वहां साथ ही साथ भूमि का नये सिरे से बन्दोवस्त कराती और इस मद में बजट में पैसा होना चाहिए था ताकि नए ढंग से बन्दोवस्त होता और यह देखा जाता कि कौन भूमि किसके कब्जे में है, यह बहुत आवश्यक था।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप देखें कि न मुख्य मन्त्री जी घंटों से हैं, न वित्त मंत्री हैं।

एक सदस्य—

आप भी अभी आए हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

उनको यहां होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष—

और मिनिस्टर मौजूद हैं।

एक सदस्य—

वह कौंसिल में हैं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं सदन का ध्यान इधर भी आकृष्ट करूंगा कि हमारे कर्मचारी कितने सजग और सावधान हैं। इसका उदाहरण यह है कि

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी]

आपके लखनऊ और कानपुर राजमार्ग जो हैं इससे, रेलवे लाइन से गंगा की दूरी केवल सौ मीटर रह गयी है और आपका अधिकारी वर्ग उदासीन है। अगर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो सम्भव है कि लखनऊ और कानपुर का सम्बन्ध विच्छेद हो जायगा क्योंकि गंगा जी की धारा अगर रोड में और रेलवे लाइन में मिल जायगी तो सिवाय इसके कि दूसरा पुल बनवाया जाय, तभी लोग आ जा सकेंगे। यह समस्या उत्पन्न हो गयी है, लेकिन हमारे अधिकारी आज भी कानों में उंगली डाले बैठे हैं। हम कोई भी योजना बनायें, बजट बनायें, हमारी योजनाएं, कितनी ही लाभकारी क्यों न हों, लेकिन यदि उसका समुचित रूप से सदुपयोग नहीं किया जाता है तो निश्चित है कि वह केवल कागजी बजट बनकर रह जायगा। मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूं, साथ ही अपेक्षा करता हूं कि इस ओर विशेष दृष्टि रखी जायगी कि बजट का, हमारे धन का कहीं दुरुपयोग न हो। आज भी सरकारी अधिकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं। मैं दृढ़ शब्दों में कहता हूं कि आज भी उनके बच्चे इन्हीं गाड़ियों में ही स्कूलों को जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना भाषण अब समाप्त करें।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि न इस समय वित्त मन्त्री हैं, न मुख्य मन्त्री मौजूद हैं, जबकि उनको उपस्थित रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

वित्त मन्त्री जी को बुलवाया है।

एक सदस्य--

धोबी मरवा दिया।

श्री श्यामधर मिश्र--

धोबी मरवा दिया तो इन्क्वायरी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्यामधर जी, आप आपस में बात न करें। मैंने कहा है वित्त मन्त्री जी को रहना चाहिए। खबर भेजी है, वह कौंसिल में हैं।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मैंने खबर भिजवा दी है।

श्री ईशदत्त यादव (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, सामान्य बजट की इस चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। 26 अगस्त को इस सदन में माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया और उस पर आधारित अपना जो भाषण दिया उसको मैंने ध्यानपूर्वक सुना और उसका अवलोकन किया। यह बजट बहुत ही आशाप्रद है और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप है। जनता पार्टी ने लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के जमाने में जो घोषणा की थी इस प्रदेश की जनता को रोजी रोटी देने की इस वायदे के

अनुसार है। इसलिए मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। पिछले 30 वर्षों में इस देश की अर्थ-व्यवस्था को कांग्रेस के लोगों और कांग्रेस की सरकार ने अस्त-व्यस्त कर डाला था। गांवों की ओर उस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था। किसानों के उत्थान के लिए, गांवों के विकास के लिए उस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था। आज पहली बार इस प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय वित्त मन्त्री जी ने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से गांवों का विकास हो सकता है। गांवों की तरक्की हो सकती है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, किसानों का विकास नहीं होगा, इस देश का उत्थान नहीं हो सकता है। कांग्रेस के लोगों ने 30 वर्षों के अन्दर केवल भ्रष्टाचार किया, पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया। देश के अन्दर पूंजीपतियों के बड़े-बड़े कल-कारखाने लगवाये और किसानों की उपेक्षा की, इस देश का जब तक किसान नहीं बनेगा, हिन्दुस्तान नहीं बन सकता है। प्रदेश नहीं बन सकता है।

एक उदाहरण मान्यवर, मैं देना चाहता हूं। एक प्राइमरी स्कूल के एक गुरू जी ने एक बच्चे की परीक्षा लेनी चाही। एक कागज पर हिन्दुस्तान का नक्शा बना हुआ था, उस नक्शे को बच्चे को दिखाया, गुरु ने, वह कागज फाड़ दिया, उस कागज के दूसरी तरफ किसान का चित्र बना हुआ था। मास्टर ने कहा कि कागज को जोड़ दिया जाय। लड़का नहीं जोड़ पाया क्योंकि उसे हिन्दुस्तान की जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ से उसने कागज के टुकड़े को जोड़ना शुरू किया, फिर गुरू जी के पास लाया कि यह किसान बन गया। गुरू जी ने कहा एक तरफ यह तुम्हारा किसान बना, तो दूसरी तरफ हिन्दुस्तान बन गया।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट में किसानों के उत्थान के लिए, गांव के उत्थान के लिए है इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मान्यवर, मैं अपनी सरकार से भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यों तो मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश का, पूरे हमारे आजमगढ़ का विकास हो, लेकिन अपने लालगंज क्षेत्र के बारे में जहां से मैं चुनकर आया हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यों तो हमारा आजमगढ़ जिला उपेक्षित जिला है। लालगंज तहसील उपेक्षित है। वहां पर सड़कों का, जल का, अस्पताल का अभाव है। ऊसर भूमि है। वहां पर सिंचाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें जहां तक हो सके लालगंज क्षेत्र के लिए प्राथमिकता दी जाय।

लालगंज में एक सड़क है देवगांव-मेहनाजपुर जिसकी लम्बाई 16 किलोमीटर है। उसमें आज तक केवल 5 किलोमीटर मार्ग को बनाया गया है। 10-11 किलोमीटर मार्ग आज भी पड़ा हुआ है जिस पर सरकारी बस कठिनाई से जाती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस बजट के पास होने के बाद इस सड़क पर ध्यान दिया जाय। यह बहुत ही उपयोगी सड़क है। 5 किलोमीटर पूरी हुई है शेष पूरी होने से रह गयी है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कोई उद्योग धन्धा नहीं है। वहां पर कोई उद्योग लगाया जाय जिससे लोगों की बेकारी दूर हो सके। वहां पर बड़े उद्योग धन्धे लगाए जायं। छोटे उद्योग धन्धों के लिए हमारी सरकार की नीति है और माननीय वित्त मंत्री जी ने उसकी तरफ संकेत भी किया है। हमारे क्षेत्र की समस्याओं को, बेरोजगारी को, गरीबी को दूर करने के लिए छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगाए जायं। हमारे

[श्री ईश दत्त यादव]

क्षेत्र के लोगों को सहायता दी जाय, सहूलियत दी जाय ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके, ताकि गरीबी दूर हो सके और वे लोग अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में अस्पताल का अभाव है। तरवा मैनाजपुर जो हमारें क्षेत्र में है वहां से आजमगढ़ नगर बहुत दूरी पर है। लालगंज अस्पताल जहां पर है, काफी दूरी पर है। ऐसी जगहों पर बड़े-बड़े अस्पताल खोले जायं, जिससे वहां के लोगों को सहूलियत मिल सके। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का भी अभाव है। कई कालेजेज हैं जो हाई स्कूल तक ही चल पाए हैं, उनको इण्टरमीडिएट तक मान्यता दी जाय जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके और वहां के लोग शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ सकें। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनकी तरफ सरकार शीघ्र ध्यान दे। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं आपका कि आपने यह जो बजट पर चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने का सुअवसर दिया। यह बजट बड़ी प्रतीक्षा के बाद हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। इस देश और प्रदेश में जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसके बाद महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण यहां हुआ उसमें यह कहा गया कि प्रदेश और देश में द्वितीय क्रान्ति हुई है। हम यह प्रतीक्षा करते थे कि बजट भी कोई क्रान्ति लाएगा। लेकिन बजट बड़ा ही निराशाजनक है और ऐसा बजट इस सदन में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसमें गरीबों के उत्थान की कोई बात नहीं की गयी है। अगर पिछले बजट से इसकी तुलना की जाय, जो इस सदन मे प्रस्तुत किया गया था तो पता चलेगा कि इसमें आवासहीन लोगों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। पिछले बजट में आवास स्थल जो आवंटित किए गए थे उस सम्बन्ध में प्राविधान था। गरीबों के आवास के लिए मकानों का निर्माण किया जायगा इसका भी इस बजट मे कोई प्राविधान नहीं है। अब यह जो सरकार आई है तो कहा जा रहा है कि पिछली सरकार ने प्रदेश को दिवालिया कर दिया और 100 करोड़ का घाटा कर दिया। तो यह बजट इस बात का सबूत है कि प्रदेश दिवालिया नहीं हुआ है। अगर यह बात होती तो कर लगाकर इस बजट को संतुलित करना पड़ता। यह प्रमाण है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। लेकिन जबसे जनता पार्टी की हुकूमत इस प्रदेश में आई है उनके साथ कुछ चीजें अवश्य आयीं। अराजकता, अशान्ति और असुरक्षा आयी। जनता पार्टी के राज्य का मतलब हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस।

इस प्रदेश में जंगल का कानून व्याप्त है। गरीबों के अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है। रोज-रोज अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं जिनको सुनकर शर्म आती है। होता यह है कि मुख्य मन्त्री जी आदेश भेज देते हैं, जिला मैजिस्ट्रेट के पास, कप्तान के पास लेकिन कोई आदेश सुनता नहीं है। मंहगाई बढ़ती जा रही है। देश के प्रधान मन्त्री अपील करते हैं कि कीमतें कम हों। लेकिन असर कुछ नहीं होता है। यह वैसे ही हैं जैसे कोई घोड़े से कहे कि घास न खाओ। कोई असर कीमतों के बढ़ने पर नहीं पड़ा है। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे मूल्यों को नियन्त्रित किया जा सके। दाल, सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं। कोई भी योजना नहीं आयी जिससे सस्ते मूल्य पर तेल और खाद्यान्न मिल सकें। यहां कहा जाता है कि पिछली सरकार ने कोर्ट फीस को बढ़ाने

के लिए मान लिया था इसलिए हम बढ़ा रहे हैं । पिछली सरकार ने आदेश कर दिया था कि जो कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर दिया जायगा। इसको क्यों नहीं आप मान लेते ? पिछली सरकार ने यह भी तय किया था कि बिजली का रेट कम कर दिया जाय तो उसको भी आप क्यों नहीं मान लेते ? एक अध्यादेश लगान को कम करने के लिए निकाला गया था उसको आप अधिनियमित नहीं कर सके हैं ? पिछली सरकार ने जितनी छूट दी थी उसको मानकर आप संतुलित बजट बनाते तब मैं मानता, वित्त मन्त्री ने चमत्कार किया है। आपने आंकड़ों के माया-जाल में बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया और देश के विकास के लिए कोई योजना नहीं रखी। 50 करोड़ रुपए का घाटा रखा। आपने यह भी नहीं बताया कि इसको पूरा कैसे करेंगे ?

आपने यह भी मैनिफेस्टो में कहा था कि बिक्री-कर समाप्त कर देंगे। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस बजट में बिक्री-कर समाप्त कर देंगे लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। बजट को पढ़ा जाय तो बाढ़ के बारे में हम सोचते थे कि कोई योजना आएगी, लेकिन वह नहीं आयी है। बाढ़ के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है लेकिन कोई योजना नहीं रखी गयी है कि बाढ़ के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी और कितने सालों में बाढ़ को नियन्त्रित किया जा सकेगा। छोटे उद्योगों के लिए आपने कहा कि देहाती इलाके में लगायेंगे लेकिन उसके लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसी तरह आपने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए योजना लागू करेंगे लेकिन कोई व्यवस्था नहीं किया है। तो यह सब ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पर्वतीय अंचल के बारे में सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि आप पहाड़ पर जायं तो वहां देखेंगे कि सड़कों का अभाव, अस्पतालों का अभाव, पानी का अभाव है और उनको दूर करने के लिए जो पिछली सरकार ने वृहत् योजना बनाई थी उसको कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आपने 27 करोड़ की बात कही है जोकि पिछले साल 37 करोड़ था। इसके पहले आपने कहा था कि 56 करोड़ की व्यवस्था की जायगी लेकिन पता नहीं वह रुपया कहां चला गया।

मान्यवर, प्रदेश में जैसे पिछली सरकार ने बहुत से कार्यक्रम शुरू किए थे, हमारे मन्त्री परिषद् की एक उप समिति थी जो हर मण्डल में जाकर चाहे नलकूप लगाने की बात हो या बिजली देने की बात हो या अन्य कोई बात हो वहां कार्यरूप देती थी लेकिन इस सरकार के आने के बाद वह सब बन्द हो गया।

श्रीमन्, नयी सड़कों के लिए वित्त मन्त्री ने बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है । क्या आप कह सकते हैं कि इस प्रदेश में अब सड़कों की आवश्यकता नहीं है। नलकूप या नहरों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की थी कि वृहत् योजना वित्त मन्त्री जी रखते जैसे सड़क पर, बिजली पर लेकिन वह नहीं किया। हम यह समझते थे कि बजट बनने में देर इसलिए हो रही है कि जितनी प्रदेश की समस्याएं हैं उनकी जानकारी करके तब बजट पारित होगा। लेकिन बजट देखने से इतनी निराशा हुई जितनी की कभी नहीं हुई थी ।

श्रीमन्, हरिजनों पर अत्याचार की जानकारी करके मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दिया है कि अब थानों में मारने का अधिकार नहीं होगा। लगता है कि पहले थाने में मारने के आदेश थे ? इस तरह के आदेश इनके होते हैं. . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

पहले आदेश थे कि जेल में मारा जाय।

श्री देव बहादुर सिंह—

पहले आदेश नहीं थे। कमाल तब होगा जबकि जो कुकर्म थानों में हो रहे हैं वह रुक जायं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

कुलदीप नैय्यर की किताब को पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में सभी को समान अवसर मिलें। शिक्षा का स्तर पब्लिक और प्राइमरी स्कूलों में एक सा होना चाहिए। लेकिन आज पब्लिक स्कूलों में धनाढ्य लोग फायदा उठाते हैं और गरीब लोगों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं।

जहां श्यामपट नहीं मिलता, कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। इस पर भी हम कहते हैं कि हम समान अवसर देते हैं। इस बजट में व्यवस्था होनी चाहिए कि जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनमें इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था की जायगी जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके।

जितने निजी स्कूल चलते हैं चाहे हाई स्कूल हों, इण्टर कालेज हों, या डिग्री कालेज हों वह व्यापारिक संस्था बन गए हैं। उनका सारा वेतन सरकारी खजाने से जाता है। हमारी मांग यह है कि उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। एक बात मैं बिजली के संबंध में कहना चाहूंगा। जो अनुबन्ध होता है उसमें मिनीमम रेट लिया जाता है चाहे किसानों को बिजली मिले या न मिले। मेरा यह निवेदन है कि जब बिजली न दें तो मिनीमम चार्ज में से उतनी कटौती होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है जिसके कारण आज लोग नलकूप के कनेक्शन कटवा रहे हैं। पम्प की बात सोच रहे हैं। इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि हमने जो सुझाव रखे हैं सरकार उनको स्वीकार करेगी। उर्दू के बारे में भी निवेदन कर दूं। इनके नेता तरह-तरह की बात करते हैं। एक मन्त्री कहता है विकास कर समाप्त हो गया। दूसरा मन्त्री कहता है औद्योगिक नीति दूसरी होगी। सेन्टर से आता है कि औद्योगिक नीति वही होगी जो 1956 से है। उर्दू के बारे में कहते हैं कि जो उसकी बात करते हैं उसमें विदेशी तत्वों का हाथ है। इस बजट में उर्दू के विकास के लिए प्राविधान होना चाहिए था। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित करने के प्रस्ताव हैं। इसकी 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से मैंने श्री मोहन सिंह, श्री हरिकेवल प्रसाद के प्रस्ताव को स्वीकार किया है जो यह है कि गोरखपुर जनपद में प्रशासन

की सुस्ती के कारण युवा नेता बलवन्त सिंह एवं ब्लाक प्रमुख डा0 सूर्यनाथ पाण्डेय की हत्याएं तथा दर्जनों कत्ल व डकैतियों से व्याप्त कानूनी अव्यवस्था। अन्य सूचनाएं मैंने स्वीकार नहीं की हैं। मुख्य मन्त्री जी आप आज वक्तव्य देंगे या फिर देंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

आज नहीं, एक हफ्ते के बाद।

एक सदस्य—

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोरखपुर जिले की हालत बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। एक हफ्ता ज्यादा है।

श्री राम नरेश यादव—

सारी जानकारी मंगानी पड़ेगी और तभी मैं इस लायक हो सकूंगा कि सदन को सारी जानकारी दे सकूं।

श्री अध्यक्ष—

आप किस तारीख को वक्तव्य देंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

3 तारीख रख दें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

3 को छुट्टी है।

श्री अध्यक्ष—

3 तारीख को छुट्टी है। आप 2 तारीख को वक्तव्य दे दीजिए।

श्री राम नरेश यादव—

2 तारीख को सम्भवतः विस्तृत सूचना न मिल सके। क्योंकि सम्मानित सदस्य की मंशा यह है कि विस्तृत जानकारी हो, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि विस्तृत जानकारी सदन को दे दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप 2 तारीख को वक्तव्य दे दीजिए।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
29 अगस्त, 1977

पी0एस0यू0पी0—एल0 208 वि0सभा (505)—1977—840